IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

November 2021
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

IAS BABA

You Might Be An Early Bird Or A Night Owl. But, When It Comes To Prelims, The Best Way To Study Is By PRACTICING DAILY.

Early Bird Offer

- 300 Hours Of Prelims Focused Classes
- 100+ Meticulously Prepared Practice Tests
- 1:1 Mentorship
- Prelims Strategy Classes
- Prelims Specific & Exclusive Handouts

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) -2022

Crack UPSC Prelims 2022 in a Go!

REGISTER HERE

www.iasbaba.com

pep@iasbaba.com

91691 91888

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- CBI और ED के प्रमुखों का कार्यकाल अब पांच साल का होगा
- वन्नियार कोटा (Vanniyar quota)
- सामुदायिक रसोई
- आदिवासी भाषाओं के लिए ओडिशा की परियोजना समहती
- फार्मा सेक्टर पर CCI मार्केट स्टडी
- कृषि कानून को निरस्त करना
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5
- सरकार EWS कोटा के लिए आय मानदंड पर पुनः विचार किया
- राष्ट्रीय अपील न्यायालय
- सांसदों का निलंबन
- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)
- निपुण भारत योजना
- 'ऑनलाइन विवाद समाधान' (Online Dispute Resolution- ODR)
- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
- शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) 2021
- लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2021
- आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम

अर्थव्यवस्था

- 2020-21 में अनौपचारिक क्षेत्र का सिकुड़ना (Shrinking)
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन
- RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया
- एआरसी पर आरबीआई पैनल
- श्रीनगर को 'प्रमुख हवाई अड्डा' घोषित किया गया
- FPI और InvITs
- LEADS रिपोर्ट 2021
- दुआरे राशन योजना
- चेन्नई महानगर क्षेत्र (CMA) के लिए सतत शहरी सेवा कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- फुल-स्टैक 'डिजिटल बैंक'
- तीन-दर GST संरचना
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना
- मजदूरी दर सूचकांक (WRI)
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- नागर विमानन के लिए विकास परियोजनाएं
- गन्ना, कपास, जूट किसानों के लिए प्रोत्साहन (incentive) को मंज़ूरी दी गई
- पोषण स्मार्ट गांव
- चेन्नई-बेंगलुरु सड़क परियोजना
- रिकवरी को बनाए रखने के लिए राज्यों को मौद्रिक संवितरण
- USOF योजना
- घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

पर्यावरण

- जलवायु इक्विटी मॉनिटर (Climate Equity Monitor)
- सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना
- यूनेस्को विश्व धरोहर वन (UNESCO World Heritage Forests)
- जलवायु इक्विटी मॉनिटर
- भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा
- CEEW द्वारा जारी किया गया जलवायु भेद्यता सूचकांक
- प्रधानमंत्री का संबोधन: COP26 शिखर सम्मेलन में 'एक्शन एंड सॉलिडेरिटी-द क्रिटिकल डिकेड'
- COP26
- ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव: वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड
- टी.एन. वन और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
- लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा
- दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता
- पराली जलाना
- उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा
- नई जलवायु प्रतिज्ञाएं वैश्विक तापन को मुश्किल से प्रभावित करती हैं: UN
- पोर्टेबल ऑक्सीजन केन
- जलवायु वित्तपोषण
- चीन, अमेरिका जलवायु सहयोग बढ़ाएंगे
- 'केसर-ए-हिंद' को अरुणाचल की राजकीय तितली के रूप में मंज़ूरी दी गई
- मिशन 2030 तक 500 गीगावॉट
- महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)
- वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं (ACROSS)
- रिवर सिटीज एलायंस (RCA) का शुभारंभ
- वाणिज्यिक उड़ानों में वाईफाई सेवा
- यमुना प्रदूषण
- CEEW ऊर्जा वित्त के लिए CEEW केंद्र (CEEW-CEF)

भूगोल और समाचारों में स्थान

- उत्तर पूर्व मानसून

- खबरों में स्थान: काहो गांव
- हिमालय के ग्लेशियर ने बदला ट्रैक
- ताइवान जलडमरूमध्य

इतिहास और संस्कृति

- एटिकोप्पका खिलौने
- गुरु पर्व को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव
- यूनेस्को द्वारा श्रीनगर को रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया
- आदि शंकराचार्य
- पद्म पुरस्कार
- करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर
- रानी लक्ष्मीबाई की जयंती
- कश्मीर में नमदा शिल्प (Namda Craft)
- सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन
- सब्ज़ बुर्ज

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- प्रोजेक्ट-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर
- ऑटोसोमल डीएनए तकनीक
- अतिरिक्त सौर ग्रहों का वातावरण
- Covaxin को WHO की आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली
- स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार
- भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG)
- मेसियर 87
- जीका वायरस
- पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril)
- S-400 सिस्टम
- DART मिशन
- नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप (Citizens' Tele-Law Mobile App)
- 170-पोत बल (ship force) के लिए नौसेना की योजना
- दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने पर बीआरओ को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र
- भारतीय खगोलविदों द्वारा दुर्लभ रेडियो सितारों की खोज
- ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) योजनाएं
- NBRC में दुनिया की सबसे परिष्कृत एमआरआई सुविधा का शुभारंभ
- PM-WANI ढांचे का लाइट-टच विनियमन
- स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी INS Vela
- रूस का वर्गीकृत सैन्य उपग्रह
- 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर नए स्टेट ऑफ़ मॉन्स्टर ब्लैक होल का पता चला

- ओमाइक्रोन (Omicron) चिंता का नया रूप
- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी (WISER) कार्यक्रम
- स्वदेशी विकास
- भारतीय जैव जेट ईंधन प्रौद्योगिकी
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)
- गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC) 2021: समापन टिप्पणी
- Tech NEEV/नीव@75
- नाविक (NaVIC)
- आयोग की रिपोर्ट धूम्रपान के विरुद्ध फिर से लड़ाई शुरू
- भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल सांइस लैब का शुभारंभ
- नया क्रिप्टो बिल (New Crypto Bill)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- बेसिक ग्रुप आफ कंट्रीज
- भारत और विश्व बैंक
- गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (Goa Maritime Conclave)
- यूएई और बहरीन ने इस्राइल के साथ किया नौसैनिक अभ्यास
- APEC शिखर सम्मेलन, 2021
- संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतंत्र शिखर सम्मेलन
- लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जेंडर इक्वलिटी को खतरा: यूनेस्को का अध्ययन
- लिथियम निक्षेप (Lithium deposits)
- मोरक्को-इजरायल समझौता
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- भारत और अमेरिका इक्व लाइसेशन लेवी 2020 को लेकर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत
- बांग्लादेश: विकासशील राष्ट्र का दर्जा
- अभ्यास 'SIMBEX
- विश्व बैंक की स्टार्स परियोजना (World Bank's STARS project)
- यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF)
- रक्षा गठबंधन, AUKUS
- AK-203 सौदे को मंजूरी

विविध

- डेयरी सहकार योजना
- इंडोलॉजी या भारतीय अध्ययन
- राष्ट्रीय एकता दिवस- नेशनल यूनिटी डे
- कोवोवैक्स (Covovax)
- योद्धा महिला ओनाके ओबाव्वा (Warrior woman Onake Obavva)

- लैंडरेस (Landraces)
- इंदिरा गांधी - जयंती
- भारत के सबसे स्वच्छ शहर
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश:
- जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती

मुख्य फोकस (MAINS)

राज्यव्यवस्था और शासन

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
- न्यायिक स्थानान्तरण
- पूर्व विधायी परामर्श नीति (PLCP)

अर्थव्यवस्था

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां और अवसर
- कराधान और संघवाद
- सुप्रीम कोर्ट ने FCRA एक्ट पर फैसला सुरक्षित रखा
- उर्वरक क्षेत्र में सुधार
- क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन

पर्यावरण

- भारत का जल संकट
- वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge)
- भारत के लिए जलवायु कानून
- नेट जीरो की लॉन्ग रोड
- वन हानि (Forest Loss)
- चेन्नई बाढ़- जलवायु संकट
- ग्लासगो जलवायु समझौता: उपलब्धियां और निराशाएं
- भारत के विद्युत क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन
- 'ऑर्गेनिक' ग्रोथ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 5G: रोडब्लॉक और आगे की राह
- इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियाँ
- समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- चीन का नया सीमा कानून
- भारत और यूरेशिया नीति (India & Eurasia Policy)

प्रैक्टिस MCQs

उत्तर कुंजी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों के लिए निर्देश जारी करने के 15 साल बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य सरकारों को 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' वाद (2006) के निर्णय के अनुसार 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' स्थापित करने के लिये कहा है। **मुख्य सिफारिशें** • अनुपालन की स्थिति मंत्रालय और राज्य के गृह विभागों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। • गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 114(B) जोड़ने के लिये भारतीय विधि आयोग की 113वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना चाहिये। • इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में घायल हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे पुलिस द्वारा घायल किया गया था और चोट की व्याख्या करने के लिये सबूत प्रस्तुत करने का भार संबंधित प्राधिकारी पर है। • आपराधिक न्याय प्रणाली को गति देने के लिये कानूनी ढाँचे को प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया जाना चाहिये। • सभी पुलिस स्टेशनों में नाइट विज़न के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 2020 के आदेश को जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिये।

CBI और ED के प्रमुखों का कार्यकाल अब पांच साल का होगा	**संदर्भ :** हाल ही में भारत सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश लाई है। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में निश्चित दो साल का कार्यकाल होता है, हालांकि, जरूरत पड़ने पर कार्यकाल को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
	संशोधित अधिनियम
	• CBI निदेशक के लिए: इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act- DSPE), 1946 लागू किया गया।
	• ED निदेशक के पद के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया।
	केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बारे में
	• CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है।
	• **मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
	• **भूमिका:** यह मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित किया गया था। 1965 में, इसे भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध, बहु-एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच के लिए विस्तारित क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ।
	• CBI को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
	• CBI इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए भारत का आधिकारिक रूप से नामित एकल संपर्क बिंदु है।
	• **CBI मुख्यालय:** नई दिल्ली।
	प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बारे में
	• प्रवर्तन निदेशालय ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
	• **मंत्रालय:** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
	• मुख्य उद्देश्य दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है:
	  ○ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA)
	  ○ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA)
	• **मुख्यालय:** नई दिल्ली

	• **पांच क्षेत्रीय कार्यालय:** मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली विशेष प्रवर्तन निदेशकों की अध्यक्षता में।
वन्नियार कोटा (Vanniyar quota)	**संदर्भ:** तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 1 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है। • आदेश ने अल्ट्रा वायर्स (किसी की कानूनी शक्ति या अधिकार से परे) को तमिलनाडु सरकार का एक कानून घोषित किया, जो सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सबसे पिछड़े वर्गों (MBCs) के लिए कुल 20% कोटा के भीतर वन्नियारों के लिए 10.5 फीसदी आंतरिक आरक्षण प्रदान करता है। • वन्नियाकुला क्षत्रिय को 10.5 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश उनकी जनसंख्या के अनुरूप की गई थी, जैसा कि 1983 में तमिलनाडु द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया था। **वन्नियार आंदोलन क्या है?** • वन्नियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है। • उन्होंने 1980 के दशक के मध्य, राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। • 17 से 23 सितंबर, 1987 तक आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए। • OBC कोटा का विभाजन: 1989 में, OBC कोटा दो में विभाजित किया गया था: पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति। ○ वन्नियारों को 107 अन्य समुदायों के साथ 20% आरक्षण के साथ MBCs में वर्गीकृत किया गया था। • तीन दशक बाद, राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया और वर्तमान सरकार ने इसे 20 प्रतिशत MBCs कोटे के भीतर वन्नियारों के लिए 10.5% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले सरकारी आदेश के साथ लागू किया है।

सामुदायिक रसोई	**संदर्भ :** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भुखमरी को कम करने के लिए देश भर में सामुदायिक रसोई चलाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया था।
	• इसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य का पहला काम यह सुनिश्चित करना था कि लोग भूखे न रहें।
	महत्वपूर्ण तथ्य
	• कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकारों के परामर्श से सामुदायिक रसोई चलाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सरकार की प्रगति धीमी थी।
	• कोर्ट ने योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।
	भुखमरी के खतरे
	• भुखमरी से होने वाली मौतें जीवन के अधिकार और सामाजिक ताने-बाने की गरिमा को प्रभावित करती रहती हैं।
	• गरीबों और भूखों को खिलाने के लिए पूरे देश में सामुदायिक रसोई जैसे "महत्त्वपूर्ण" नए उपाय स्थापित करने की आवश्यकता है।
	भुखमरी के कोई आंकड़े नहीं
	• जबकि देश में बच्चों और वयस्कों में कुपोषण से होने वाली मौतों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भुखमरी के कारण व्यक्तियों की मृत्यु के लिए कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।
	• खाद्य और कृषि रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि भारत में दुनिया के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन हैं, जो दुनिया के भूखे लोगों का लगभग 24% हिस्सा है।
	• भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.8% है, जो वैश्विक और एशियाई दोनों औसत से अधिक है।
	विभिन्न राज्यों में सामुदायिक रसोई
	• तमिलनाडु की अम्मा उनावगम स्वयं सहायता समूहों में साथियों को शामिल करके और गरीबों को स्वच्छ भोजन परोसने के लिए सड़कों पर भूख की समस्या को मिटाने के लिए एक बड़ी सफलता थी।
	• अन्य उदाहरणों में शामिल हैं -
	  ○ राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई
	  ○ कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन

	○ दिल्ली में आम आदमी कैंटीन ○ आंध्र प्रदेश की अन्ना कैंटीन ○ झारखंड मुख्यमंत्री दल भात झारखंड में ○ o ओडिशा में आहार केंद्र
आदिवासी भाषाओं के लिए ओडिशा की परियोजना समहती	**संदर्भ :** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाने पर ज़ोर देती है। ● इस प्रकार, ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने 'संहति' नामक एक परियोजना शुरू की है। ● इस परियोजना से लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को बचाने में मदद मिलेगी। **ओडिशा की समहती परियोजना के बारे में** ● ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (OSEPA) के अनुसार, 21 आदिवासी भाषाओं में 302 से अधिक पाठ्यपुस्तकें और 2,500 पूरक पठन सामग्री विकसित की गई हैं, जिसमें कहानी की किताबें और चित्र चार्ट शामिल हैं। ● समहती के तहत, प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ● **द्वारा कार्यान्वित:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (SCSTRTI), जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी (ATLC), भुवनेश्वर। ● 21 भाषाओं में से, संथाली - एकमात्र भाषा जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है - को अपनी पुरानी चिकी लिपि (chiki script) में पढ़ाया जाता है जबकि बाकी आदिवासी भाषाओं में ओडिया लिपियाँ हैं। **क्या आप जानते हैं?** ● ओडिशा, देश में सबसे बड़ी और सबसे विविध जनजातीय आबादी में से एक है। ओडिशा में रहने वाले 62 आदिवासी समूहों में से 13 को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ● ओडिशा की 21 जनजातीय भाषाओं में से, संथाली - एकमात्र भाषा जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है - अपनी पुरानी चिकी लिपि में पढ़ाया जाता है जबकि बाकी आदिवासी भाषाओं में ओडिया लिपियां हैं।
फार्मा सेक्टर पर CCI मार्केट स्टडी	**संदर्भ :** हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CC) ने एक रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डेटाबैंक बनाने और भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दवा गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की है। **रिपोर्ट के मुख्य अंश** ● जेनेरिक दवाओं का बाजार कार्यात्मक और रासायनिक रूप से समान होने के बावजूद मूल्य प्रतिस्पर्धा के बजाय ब्रांड प्रतिस्पर्धा द्वारा संचालित होता है। ● जेनेरिक दवाओं सहित फार्मास्यूटिकल्स भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का लगभग 43.2% और भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 62.7% है। ● 2018 में ऑनलाइन फ़ार्मेसीज़ की हिस्सेदारी 2.8% थी, महामारी के दौरान महामारी से पहले के 35 लाख घरों से 8.8 मिलियन घरों तक ऑनलाइन फ़ार्मेसी क्षेत्र की पहुंच बढ़ी है। **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में** ● यह 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है और 2009 में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया। ● यह पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ○ यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। ○ अधिनियम संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण और विलय तथा अधिग्रहण) को नियंत्रित करता है, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या होने की संभावना है। ● CCI में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। ○ **पात्रता:** व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून, वित्त में कम से कम पंद्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए।

	• **आयोग का यह कर्तव्य है कि:**
	  ○ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।
	  ○ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और बनाए रखना।
	  ○ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
	  ○ भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

कृषि कानून को निरस्त करना	• कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया - जिस पर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है यह संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में होगी। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • कानून को निरस्त करना किसी कानून को रद्द करने का एक तरीका है। • एक कानून को उलट (reversed) दिया जाता है जब संसद को अब इस कानून के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है। • विधान में एक "सूर्यास्त" खंड भी होता है, एक विशेष तिथि जिसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। • उदाहरण के लिए, आतंकवाद विरोधी कानून आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987, जिसे आमतौर पर टाडा (TADA) के रूप में जाना जाता है, में एक सूर्यास्त खंड था, और 1995 में इसे समाप्त होने की अनुमति दी गई थी। • ऐसे कानूनों के लिए जिनमें सूर्यास्त खंड नहीं है, संसद को कानून को निरस्त करने के लिए एक कानून पारित करना होता है। • **अनुच्छेद 245:** संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है, और राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। • एक कानून को पूरी तरह से उस स्तर तक निरस्त किया जा सकता है, जब तक कि वह अन्य कानूनों के उल्लंघन में न हो। • कानूनों को दो तरीकों से निरस्त किया जाता है - या तो एक अध्यादेश के माध्यम से या कानून के माध्यम से।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक	**संदर्भ:** व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के 30 सदस्यों में से कम से कम पांच सदस्यों से कानून पर पैनल की रिपोर्ट में असहमति (आधिकारिक राय से असहमति) नोटों को स्थानांतरित करने की उम्मीद है। • ये नोट ज्यादातर उस विवादास्पद खंड पर निर्देशित थे, जिसने केंद्र सरकार को कानून से अपने दायरे में किसी भी एजेंसी को छूट देने की अनुमति दी थी। **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) कानून के बारे में** • यह कानून का एक व्यापक हिस्सा है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है। • बिल इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण भी स्थापित करता है। • विधेयक की उत्पत्ति • इस विधेयक की उत्पत्ति न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्ण। • निजता के अधिकार के मामले (जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। **विवादास्पद धारा 35** • यह सरकार को अपनी किसी भी एजेंसी को कानून के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है। • इस धारा के तहत "भारत की संप्रभुता", "सार्वजनिक व्यवस्था", "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध" और "राज्य की सुरक्षा" संबंधी मामले का हवाला देकर केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी को कानून के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट की अनुमति दे सकती है। • यह खंड पेगासस स्पाइवेयर मामले में हाल के खुलासे की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सरकार द्वारा कथित तौर पर निजी और सार्वजनिक दोनों नागरिकों की जासूसी की गई थी।

	• पैनल इस बात पर सहमत होते हुए कि किसी एजेंसी को छूट देने के कारणों को सरकार को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, खंड पर एक बीच के रास्ते पर पहुंच गया। • मांग है कि इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि इस तरह की छूट प्राप्त करने के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रावधान को शामिल किया जा सके जिसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5	**संदर्भ :** हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5 जारी किया गया था। • यह 2017-18 में जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतकों पर अधिपत्य कर लिया। **सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष** • संस्थागत बर्थ (Institutional births) : अस्पताल जैसी संस्थागत सुविधाओं में जन्म में लगभग 8 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ। • **बौना विकास:** बौने बच्चों या वेस्टिंग के लक्षण दिखने पर अधिकतम 3 प्रतिशत अंक ही गिरे। • TFR में गिरावट— समय के साथ कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) में गिरावट आ रही है और यह अब 2.1 के प्रतिस्थापन दर से नीचे (2.0) आ गई है। ○ यह स्थिति भारत के सभी राज्यों में नज़र आ रही है जिसका अर्थ यह है कि कुल जनसंख्या स्थिर हो गई है। ○ यदि यह उर्वरता पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक बनी रहती है, तो प्रत्येक पीढ़ी बिल्कुल स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेगी। • **गर्भनिरोधक:** गर्भ निरोधकों का उपयोग 53.5% से बढ़कर 66.7% हो गया। • **नसबंदी:** महिला नसबंदी में वृद्धि तथा पुरुष नसबंदी में निरंतर ठहराव। ○ यह दर्शाता है कि परिवार नियोजन का दायित्व अभी भी महिलाओं पर है। • **पूर्ण टीकाकरण:** पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों (12-23 महीने) के अनुपात में 62%-76% से सुधार हुआ है। • विशेष स्तनपान (Exclusive breastfeeding): छह महीने से कम उम्र के बच्चों में सुधार, जिन्हें विशेष रूप से 54.9% से 63.7% तक स्तनपान कराया गया था। • **पोषाहार लाभ:** बच्चों में न्यूनतम सुधार। • सामान्यBMI से नीचे के साथ महिलाओं और पुरुषों (15-49) में लाभ लगभग चार प्रतिशत अंक गिरा। ○ सामान्य से अधिक BMI वाले लोगों में लगभग 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। ○ असामान्य BMI मोटापे और अन्य गैर-संचारी रोगों (NCD) में वृद्धि से जुड़े हैं। • **रक्ताल्पता:** एनीमिया से ग्रस्त बच्चों (6-59 महीने) का अनुपात 58% से बढ़कर 67% हो गया। ○ एनीमिक महिलाएं (15-49 वर्ष) 53% से बढ़कर 57% हो गई हैं। ○ एक ही उम्र के एनीमिक पुरुष 29% से बढ़कर 31% हो गए।

Hunger watch

The nutritional status of children in India barely improved in 2019-20 from the levels in 2015-16, the National Family Health Survey-5 data show

(IN %)

Indicator	2019-20	2015-16	2005-06
Children aged six to 59 months who are anaemic	67.1	58.6	69.4
Children under five who are stunted	35.5	38.4	48
Children under five who are wasted	19.3	21	19.8
Children under five who are severely wasted	7.7	7.5	6.4
Children under five who are underweight	32.1	35.8	42.5
Children aged six to 23 months receiving an adequate diet	11.3	9.6	-
Institutional births	88.6	78.9	38.7

सरकार EWS कोटा के लिए आय मानदंड पर पुनः विचार किया

संदर्भ: केंद्र सरकार ने संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है।

- मानदंड की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाएगा और इस अभ्यास में चार सप्ताह लगेंगे।

पृष्ठभूमि

- NEET के उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय कोटा (AIQ) श्रेणी में OBCs को 27% कोटा और EWS को 10% आरक्षण की घोषणा करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया।

EWS कोटा क्या है?

- EWS कोटा उन व्यक्तियों के लिए था जो अर्थव्यवस्था आधारित अनारक्षित श्रेणी से संबंधित थे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम थी और जो SC/ST/OBC जैसी किसी अन्य श्रेणी से संबंधित नहीं थे।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय

संदर्भ: भारत के महान्यायवादी (AGI) के.के. वेणुगोपाल ने देश के चार क्षेत्रों में राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करने के 11 साल पुराने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए संविधान दिवस पर तर्क दिया।

AGI वक्तव्यों से मुख्य तथ्य

- **इंटरमीडिएट अपीलीय न्यायालय:** अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 15 न्यायाधीशों के साथ चार 'अपील न्यायालय' राज्य के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बीच मध्यवर्ती अपीलीय अदालतों के रूप में कार्य करते हैं।
- **ऐसे न्यायालयों की उपयोगिता:** वे वैवाहिक विवादों, किराया नियंत्रण के मामलों और इस तरह के मामलों को आत्मसात करेंगे, जो लंबित मामलों को जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव डालते हैं। राष्ट्रीय अपील न्यायालय के निर्णय अंतिम होंगे।
- **न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि:** इन अदालतों का मतलब यह भी होगा कि हम 60 न्यायाधीशों को जोड़ रहे हैं जो इन मामलों को संभालेंगे। पेंडेंसी (Pendency) में काफी हद तक कटौती की जाएगी।
- **उच्चतम न्यायालय:** अपीलों की ऐसी मध्यवर्ती अदालतें उच्चतम न्यायालय पर दबाव कम करेंगी, जो कानून, संदर्भ, मौत की सजा के मामलों के संवैधानिक प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **बेहतर न्यायशास्त्र:** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मामलों की आराम से सुनवाई कर सकते थे, काम का दबाव कम होने पर समय के साथ बेहतर निर्णय पढ़ और लिख सकते थे।
- **अनुसूचित जाति की शक्ति को युक्तिसंगत बनाने की संभावना:** वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय को 34 न्यायाधीशों की के बजाय सिर्फ 15 की आवश्कता होगी। सुप्रीम कोर्ट के ये जज तीन संविधान पीठों में बैठ सकते थे।
- **न्याय तक एक्सेस में वृद्धि:** यह ध्यान दिया जाता है कि मामले सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लंबित रहते हैं। ट्रायल और हाई कोर्ट के स्तर पर एक-एक दशक बिताने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाता है।

सांसदों का

संदर्भ: संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में, संसदीय कार्यमंत्री ने शेष सत्र के लिए 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित करने के

निलंबन	लिए सदन की मंजूरी मांगी है। **मंत्री ने सांसदों के निलंबन की मांग क्यों की?** • उनके निलंबन का कारण मानसून सत्र के अंतिम दिन "उनके कदाचार, अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार तथा सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले के अभूतपूर्व कृत्य" थे। • सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। **सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया क्या है?** • अत्यंत उपद्रवी आचरण के लिए प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी एक सांसद को विधायी कक्ष से हटने का निर्देश दे सकता है। इसके बाद सांसद को शेष दिन सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहना पड़ता है। • पीठासीन अधिकारी सदन के "निरंतर और जानबूझकर कार्य में बाधा डालने" के लिए एक सांसद का "नाम" भी लगा सकते हैं। ऐसे मामले में आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री आपत्तिजनक सांसद को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। निलंबन सत्र के अंत तक चल सकता है। • 2001 में लोकसभा के नियम में संशोधन कर स्पीकर को एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई। एक नया नियम, 374A, अध्यक्ष को सदन के कामकाज को बाधित करने के लिए अधिकतम पांच दिनों के लिए एक सांसद को स्वचालित रूप से निलंबित करने का अधिकार देता है। ○ 2015 में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया था।
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)	**सुर्ख़ियों में:** कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में, OOPE 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो 2013-14 में 64.2% था। प्रति व्यक्ति OOPE के मामले में भी 2013-14 और 2017-18 के बीच 2,336 रुपए से 2,097 रुपए की गिरावट आई है। • इस गिरावट का एक कारण सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि और सेवाओं की लागत में कमी है। • यदि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2014-15 और 2017-18 की तुलना करें, तो सरकारी अस्पतालों के लिए OOPE में 50% की गिरावट आई है। **क्या सरकारी उपायों ने OOPE को कम करने में मदद की?** • 2017-18 के NHA अनुमानों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। • यह 2013-14 में 1.15% से बढ़कर 2017-18 में 1.35% हो गया है। इसके अतिरिक्त, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी समय के साथ बढ़ा है। • 2017-18 में सरकारी खर्च का हिस्सा 40.8 फीसदी था, जो 2013-14 के 28.6% से काफी ज्यादा है। • रिपोर्ट आगे यह बताती है कि 2013-14 से 2017-18 के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपए से 1,753 रुपए तक बढ़ गया है।
निपुण भारत योजना	**सुर्ख़ियों में:** निपुण भारत मिशन दिशा निर्देश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिकताएं एवं कार्रवाई योग्य कार्य सूची निर्धारित करता है ताकि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता में दक्षता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। निपुण भारत मिशन के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित तत्व भी सम्मिलित हैं- • 3 से 9 वर्ष की आयु के लिए विकास लक्ष्यों एवं अभिगम (सीखने) के परिणामों का संहिताकरण एवं बाल वाटिका से ग्रेड III तक, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता हेतु लक्ष्य अथवा टारगेट। • स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) नामक फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। • इस मिशन का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करना है। • मिशन दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिक साक्षरता और ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए संख्यात्मकता में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य एजेंडा निर्धारित करता है।

	निपुन भारत कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, आधारभूत शिक्षा के दौरान मूल्यांकन को मोटे तौर पर दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्: • विविध अनुभवों एवं गतिविधियों में बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से विद्यालय आधारित मूल्यांकन (SBA)। मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों एवं तकनीकों जैसे कि उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, परीक्षण सूची (चेक लिस्ट), पत्राधान (पोर्टफोलियो) एवं अंतः क्रिया (इंटरैक्शन) (शिक्षक, सहकर्मियों, परिवार एवं मित्रों के साथ समग्र 360-डिग्री मूल्यांकन के माध्यम से) का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, आधारभूत स्तर पर शिक्षकों को बच्चों की रुचियों एवं अभिगम का आकलन करने हेतु बच्चों को खेलते हुए, उनके नियत कार्य पर काम करते हुए, प्रदर्शन या आपस में अंतः क्रिया करते हुए अवलोकन करना चाहिए। • शैक्षिक प्रणालियों (जैसे NAS, SAS, एवं तृतीय-पक्ष आकलन) की प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली के मूल्यांकन हेतु व्यापक स्तर पर मानकीकृत मूल्यांकन। व्यापक स्तर पर मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होते हैं एवं प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए निर्मित प्रतिक्रियाओं को आमतौर पर परिवर्तित किया जाता है। • ये आकलन यह मापन करने हेतु एक तंत्र हैं कि उनके राज्य, जिलों एवं प्रखंडों में शिक्षा कितनी अच्छी तरह हो रही है। इस संबंध में, कक्षा III में बच्चों के अभिगम (सीखने) के परिणामों का आकलन करने हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021 संचालित किया गया है। • यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर लगभग 25 लाख शिक्षकों को शामिल करते हुए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक विशेष राष्ट्रीय पहल (NISHTHA 3.0) सितंबर, 2021 में शुरू की गई है।
'ऑनलाइन विवाद समाधान' (Online Dispute Resolution-ODR)	**सुर्खियों में:** नीति आयोग ने विवाद से बचने, रोकथाम और ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) के लिए 'डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिसप्यूट रिजॉल्युशनः द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया' (Designing the Future of Dispute Resolution: The ODR Policy Plan for India) रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों को लागू करने से भारत को प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने में विश्व में अग्रणी बनाने में मदद मिल सकती है। • सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी की अध्यक्षता में भारत में ओडीआर ढांचे को अपनाने में चुनौतियों से निपटने के लिए तीन स्तरों पर उपायों की सिफारिश करता है। • ढांचागत स्तर पर यह डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अवसंरचना में सुधार और ODR सेवाओं के वितरण के लिए पेशेवरों को तटस्थ रूप में प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करने का सुझाव देती है। • व्यवहारगत स्तर पर, रिपोर्ट सरकारी विभागों और मंत्रालयों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ODR को अपनाने की सिफारिश करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता, जो अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है एवं तकनीकी नवाचार अभी भी विकसित हो रहे हैं, यह अनुशंसा की जाती है कि ओडीआर को चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जाए। • नियामकीय स्तर पर, रिपोर्ट ODR प्लेटफॉर्म और सेवाओं के विनियमन के लिए नरम रुख अपनाने की सिफारिश करती है। • **ऑनलाइन विवाद समाधान:** यह पारम्परिक अदालती व्यवस्था के बाहर डिजिटल प्रौद्योगिकी और पंच निर्णय, सुलह व मध्यस्थता जैसे उपायों के इस्तेमाल से विशेष रूप से लघु और मध्यम मूल्य के मामलों से जुड़े विवादों का समाधान है। • रिपोर्ट में कानूनों में आवश्यक संशोधन करके ओडीआर के लिए मौजूदा विधायी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट भारत में ओडीआर के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन ढांचा प्रदान करती है। **ओडीआर क्या है?** ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution- ADR) की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर विशेष रूप से छोटे और मध्यम किस्म के विवादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है। • इस विधि में विवादों के समाधान की सुविधा के लिये सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया

	जाता है। • ऑनलाइन विवाद समाधान विवादों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। • 'ऑनलाइन विवाद समाधान' सुविधाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और किफायती है। **हमें ओडीआर की आवश्यकता क्यों है?** कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप भारतीय न्यायपालिका देश में लंबित मामलों में हो रही वृद्धि की समस्या से जूझ रही है तथा जजों की कमी से नागरिकों को भी समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। • ओडीआर में न्यायालय पर बोझ कम करने और कई श्रेणियों के मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करने की क्षमता है। • इसे ई-लोक अदालतों के माध्यम से जुड़े वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से न्यायपालिका का समर्थन करने के लिए एकीकृत किया जा सकता है और आंतरिक विवादों के लिए सरकारी विभागों के भीतर भी पेश किया जा सकता है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि से वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) की बहाली को मंज़ूरी प्रदान की है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होगी। इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिये निलंबित कर दिया गया था। • प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट वार्षिक MPLADS राशि 5 करोड़ रुपए है, जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी की जाती है। MPLADS के तहत जारी वित्त गैर-व्यपगत (Non-Lapsable) है। • **निलंबन की आलोचना:** विपक्षी नेताओं ने बताया था कि सरकार ने अब तक इस बात का रिकॉर्ड नहीं दिया है कि उसने एक साल के लिए योजना को स्थगित करने से बचत कैसे खर्च की। **प्रभाव** • क्षेत्र में सामुदायिक विकास परियोजनाओं/कार्यों को फिर से शुरू करेंगे जो MPLADS के तहत धन की कमी के कारण रुके हुए हैं। • स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को फिर से शुरू करेगा, जो कि MPLADS का प्राथमिक उद्देश्य है। • स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करना। **MPLADS (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) योजना या संसद निधि योजना क्या है?** • यह सांसदों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इसे दिसंबर, 1993 में लॉन्च किया गया था। • स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने पर जोर दिया गया है। • **मूल निकाय/मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) • फंड - 5 करोड़ रुपए / वर्ष / एमपी - योजना के तहत अव्यपगत हैं। • अनुदान सहायता के रूप में यह सीधे जिला प्राधिकारियों को जारी किया जाता है। • सांसदों की केवल अनुशंसात्मक भूमिका होती है और जिला प्राधिकरण के कार्यों की पात्रता की जांच करने, कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करने और इसकी निगरानी करने का अधिकार है।
शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) 2021	**संदर्भ :** हाल ही में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2021 जारी की गई थी। • ASER सर्वेक्षण को NGO, प्रथम द्वारा सरल बनाया गया था। **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** • **महामारी प्रभाव:** महामारी के दौरान स्कूल में नामांकित नहीं होने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत दोगुना हो गया। • **नामांकन में वृद्धि:** सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की कीमत पर नामांकन में वृद्धि देखी गई। ○ सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में 64.3% से बढ़कर 2021 में 70.3% हो गया, जबकि इसी अवधि में निजी

	स्कूलों में नामांकन 32.5% से गिरकर 24.4% हो गया। • **नामांकन में बदलाव के कारण:** वित्तीय संकट, किफायती निजी स्कूलों का बंद होना और प्रवासियों का ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाना। • **कभी स्कूल नहीं गए:** कक्षा 1 और 2 में नामांकित एक तिहाई से अधिक बच्चे कभी व्यक्तिगत रूप से स्कूल न जाना। • **सीखने के संसाधनों की कमी:** जबकि 92% बच्चों के पास अपने ग्रेड के लिए पाठ्य-पुस्तकें थीं, उनमें से केवल एक तिहाई के पास किसी भी अन्य शिक्षण संसाधन या सहायता तक पहुंच थी। • **स्मार्टफोन की सीमित उपलब्धता:** स्मार्टफोन की उपलब्धता और पहुंच सीमित होने के कारण, ऑनलाइन शिक्षा एक चौथाई छात्रों तक ही सीमित थी। • **विविध अनुभव:** केरल के 91% और हिमाचल प्रदेश के लगभग 80% छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बिहार से केवल 10% और पश्चिम बंगाल से 13% छात्र थे। • **निजी ट्यूशन:** 2018 में 30% की तुलना में 40% स्कूली बच्चे अब निजी ट्यूशन कक्षाओं का चयन कर रहे हैं। यह अनुपात लिंग और सभी ग्रेड तथा स्कूल दोनों में बढ़ गया है। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में ट्यूशन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। **सुझाव** • नामांकन में इस उछाल के लिए सरकारी स्कूल और शिक्षक सुसज्जित हैं तथा उन्हें आवश्यक संसाधन दिए गए हैं। 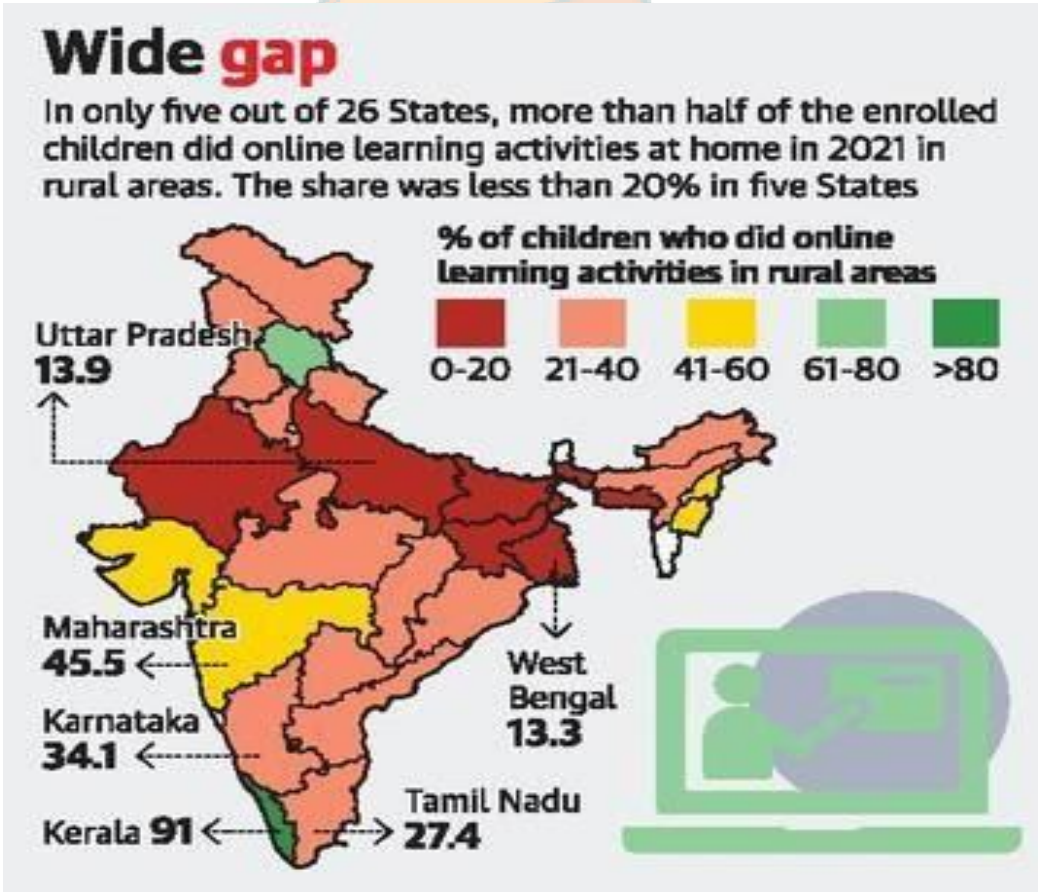
लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2021	**संदर्भ :** द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 जारी की गई। • **द्वारा जारी:** लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** • 2020 में अधिनायकवाद की ओर बढ़ने वाले देशों की संख्या लोकतंत्र की ओर जाने वाले देशों की तुलना में अधिक थी। • लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें तेजी से सत्तावादी हथकंडे अपना रही हैं।

	• ब्राजील और भारत को "पीछे खिसकने के कुछ सबसे चिंताजनक उदाहरण" के रूप में उजागर किया गया था। ○ भारत मध्य-स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्र की श्रेणी में बना रहा। • इस प्रकार महामारी का गैर-लोकतांत्रिक देशों पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम	**संदर्भ:** आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, तथा राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) निरसन अधिनियम 2020 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
	कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
	• अभी और व्यापक कानून लाया जाएगा।
	• अभ्यास के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
	• निरसन का उद्देश्य विकेंद्रीकरण की नीति को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए आगे के अध्ययन और परामर्श करना था।
	तीन- राजधानियाँ
	• आंध्र प्रदेश ने जुलाई में AP विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 तथा AP राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) अधिनियम, 2020 को अधिसूचित किया था।
	• यह कानून राज्य के लिए तीन राजधानियों का मार्ग प्रशस्त करता है।
	  ○ अमरावती- विधायी राजधानी।
	  ○ विशाखापत्तनम- कार्यकारी राजधानी।
	  ○ कुरनूल- न्यायिक राजधानी।

2020-21 में अनौपचारिक क्षेत्र का कम होना (Shrinking)	**संदर्भ:** SBI के अनुसार एक शोध रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने की दिशा में बड़ा बदलाव आया है। • समग्र आर्थिक गतिविधि में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में तेजी से कम हुई है, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों को महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। • अनौपचारिक क्षेत्र में "स्वयं का खाता" या असंगठित उद्यम शामिल हैं जो किराए के श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, इस तरह की असंगठित गतिविधि का उच्चतम हिस्सा कृषि में होता है जहां जोत छोटी और खंडित होती है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2017-18 में लगभग 52% से कम होकर आर्थिक उत्पादन का लगभग 20% हो सकता है। • इसे महामारी के बीच सकारात्मक विकास कहा गया है। • इसके अलावा, इस साल की शुरुआत में IMF के एक नीति पत्र में अनुमान लगाया गया था कि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2011-12 में 53.9% था और 2017-18 में केवल मामूली रूप से 52.4 फीसदी तक सुधार हुआ। • 2014 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार, लगभग 93% कार्यबल ने अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में अपनी आजीविका अर्जित की।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन	**संदर्भ:** बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और बदलते वैश्विक जलवायु परिदृश्य के बीच, सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करके अक्षय ऊर्जा के प्रवेश के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है। **उद्देश्य:** उद्योग, बिल्डिंग्स, परिवहन आदि जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ाना। **प्रस्ताव में शामिल हैं:** • औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा समग्र खपत में नवीकरणीय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना। • कार्बन बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान होगा। • प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्बन बाजार के विकास में मदद मिलेगी और अक्षय ऊर्जा की न्यूनतम खपत या तो प्रत्यक्ष खपत या ग्रिड के माध्यम से अप्रत्यक्ष उपयोग के रूप में निर्धारित होगी। इससे जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत और वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। **पृष्ठभूमि:** • भारत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में सबसे है और 2005 के स्तरों के मुकाबले 2030 में उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35% तक कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के लिए प्रतिबद्ध है। • भारत 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत से अधिक संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। • ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाकर, भारत में 2030 तक लगभग 550 MtCO2 को कम करने की क्षमता है। • EC अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देंगे। प्रावधानों से उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में सुविधा होगी। • स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की तैनाती के खिलाफ कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप जलवायु कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। • प्रस्ताव में स्थायी आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े आवासीय भवनों को शामिल करने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करना भी शामिल है।
RBI ने बैंकों के लिए संशोधित	**संदर्भ:** आरबीआई ने "उचित समय (appropriate time)" पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt

PCA ढांचा जारी किया	Corrective Action - PCA) ढांचा जारी किया है। **संशोधित ढांचे के बारे में:** • संशोधित PCA ढांचा 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। • पहले निगरानी के लिए तीन मानदंड पूंजी (पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात), संपत्ति गुणवत्ता (NPA) और संपत्ति पर वापसी (लाभ) थे। अब तीन पैरामीटर पूंजी (पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात), संपत्ति गुणवत्ता (NPA) और उत्तोलन (इक्विटी पूंजी/बैंक की कुल संपत्ति) हैं। • पहले PCA ढांचा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता था। अब यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। **शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) क्या है?** • शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) भारतीय रिजर्व बैंक का एक पर्यवेक्षी ढांचा है जहां यह बैंकों के सुदृढ़ वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों/उपकरणों का उपयोग करता है। • एक बार जब ये पैरामीटर एक निश्चित स्तर को पार कर जाते हैं तो आरबीआई बैंक को PCA के अंतर्गत रखता है। और फिर वह बैंक के खिलाफ विवेकाधीन कार्रवाई कर सकता है। • एक बार जब कोई बैंक PCA ढांचे के अंतर्गत आता है, तो आरबीआई बैंक पर क्या कार्रवाई कर सकता है? • आरबीआई शाखा विस्तार, लाभांश वितरण, प्रबंधन और निदेशकों के मुआवजे और शुल्क की सीमा पर प्रतिबंध लगा सकता है। • चरम मामलों में, बैंकों को उधार देने से रोका जाता है और विशिष्ट क्षेत्रों/संस्थाओं को उधार देने पर एक सीमा हो सकती है। • बैंकों के लिए प्रावधान की आवश्यकता को बढ़ा सकता है। • नया प्रबंधन/बोर्ड लाने, संगठनात्मक संरचना, स्वामित्व परिवर्तन, बैंक के विलय के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
एआरसी पर आरबीआई पैनल	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस-III - अर्थव्यवस्था **संदर्भ :** परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, रिजर्व बैंक पैनल कई सुझावों के साथ सामने आया है। **पृष्ठभूमि:** RBI ने सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिये तथा बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें सक्षम करने हेतु कुछ उपायों की सिफारिश करता है। **सुझाव:** • स्ट्रेस्ड एसेट्स की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएं। • ARCs को IBC प्रक्रिया के दौरान समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दें। • ARCs को सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्तियां प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार किया गया है। • 500 करोड़ रुपए से अधिक के खातों के लिए, दो बैंक-अनुमोदित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को परिसमापन मूल्य और उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। • साथ ही, आरक्षित मूल्य की अंतिम स्वीकृति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जानी चाहिए जिसके पास ऋण के संबंधित बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन करने की शक्ति हो। **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनि (ARC) के बारे में:** • यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें। • बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।

	• इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। • एआरसी आरबीआई के तहत पंजीकृत हैं।
श्रीनगर को 'प्रमुख हवाई अड्डा' घोषित किया गया	**संदर्भ :** केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाईअड्डा आर्थिक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (AERA) के अंतर्गत श्रीनगर हवाई अड्डे को "प्रमुख हवाई अड्डा" घोषित किया। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • हवाईअड्डा आर्थिक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने श्रीनगर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। • इस कदम से AERA को श्रीनगर हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाओं के लिए विकास शुल्क और यात्री सेवा शुल्क सहित टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी। केंद्र एक हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित करता है यदि वह वार्षिक यात्री यातायात की एक विशेष मात्रा को पार करता है। • इससे पहले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक निकाय, श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए यातायात का निर्धारण करेगा। **हवाई अड्डे के आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम के बारे में** • AERA 15 लाख से अधिक यात्रियों के वार्षिक यातायात वाले नागरिक हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। • यह इन हवाई अड्डों पर सेवाओं के प्रदर्शन मानक की निगरानी भी करता है। • **प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा:** अधिनियम एक प्रमुख हवाई अड्डे को 15 लाख से अधिक वार्षिक यात्री यातायात या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य हवाई अड्डे के रूप में परिभाषित करता है। विधेयक प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख से अधिक कर देता है। • AERA संशोधन विधेयक 2021 में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना कर एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित कर सकती है। • AERA द्वारा टैरिफ निर्धारण: अधिनियम के तहत, AERA यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है: • प्रत्येक पांच साल में विभिन्न हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क। • प्रमुख हवाई अड्डों का विकास शुल्क। • यात्री सेवा शुल्क।
FPI और InvITs	**संदर्भ:** रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि FPIs को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Infrastructure Investment Trust- InviTs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Real Estate Investment Trust- ReIT) द्वारा जारी डेट सिक्योरिटीज में निवेश करने की अनुमति दी गई है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • विदेशी मुद्रा प्रबंधन (लिखत ऋण) विनियम, 2019 में आवश्यक संशोधन अक्टूबर में अधिसूचित किए गए थे ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा इनविट और आरईआईटी के ऋण वित्तपोषण को सक्षम किया जा सके। • "FPIs मध्यम अवधि के ढांचे (MTF) या स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (VRR) के तहत इनविट और REITs द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। • इस तरह के निवेश को सीमा के भीतर माना जाएगा और संबंधित नियमों के तहत FPIs द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए नियमों और शर्तों के अधीन होगा। **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में** • विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। • यह निवेशक को वित्तीय आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। • **उदाहरण:** स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (ADRs) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (GDRs)।

	• अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए FPI और FDI दोनों ही वित्त पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। • FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दिखाया जाता है। • FPI, FDI की तुलना में अधिक स्पष्ट और कम जोखिम भरा है। **इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या हैं?** • InvITs ऐसे साधन हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। • वे कई निवेशकों से छोटी रकम जमा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं ताकि वे उन परिसंपत्तियों में निवेश कर सकें जो समय की अवधि में नकदी प्रवाह देती हैं। इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा। • IPO के माध्यम से InvITs को स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध InvITs IRB InvIT Fund और India Grid Trust हैं। • InvITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। • रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) इनविट के समान हैं लेकिन वे केवल रियल एस्टेट क्षेत्र में मौजूद हैं।
LEADS रिपोर्ट 2021	**संदर्भ:** हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट (सूचकांक) 2021 जारी की है। **LEADS रिपोर्ट के बारे में** • LEADS रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ वे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। • इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। • राज्यों को सड़क, रेल और वेयरहाउसिंग जैसे प्रमुख बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और क्षमता के साथ-साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति तथा नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक्स के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। **राज्यों की रैंकिंग** • **शीर्ष प्रदर्शक:** गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमश: LEADS 2021 इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं। यह लगातार तीसरा साल है जब गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। • केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। • उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम तथा मेघालय हैं।
दुआरे राशन योजना	**संदर्भ:** हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिये 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 'दुआरे राशन' (घर के दरवाज़े पर राशन) योजना शुरू की है। **योजना की विशेषताएं** • इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। • राशन डीलर्स को 75 प्रतिशत कमीशन के बजाय 150 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। • राज्य में लगभग 21000 राशन डीलर हैं और सरकार प्रत्येक डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिये 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। • राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट का उद्घाटन किया गया और लोगों को राशन कार्ड के लिये आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन- 'खाद्य साथी: अमर राशन मोबाइल एप' भी लॉन्च किया गया। • राशन कार्डों की सुवाह्यता के लिए एक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया, जिसके उपयोग से लोग राज्य में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
चेन्नई महानगर क्षेत्र (CMA) के	• भारत AIIB का सबसे बड़ा लाभार्थी है और बैंक ने अब तक भारत के लिए 6.8 बिलियन अमरीकी डालर की 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

लिए सतत शहरी सेवा कार्यक्रम	• ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों को AIIB के वित्तपोषण की उच्चतम राशि प्राप्त हुई है। **चेन्नई महानगर क्षेत्र परियोजना के बारे में** • चेन्नई महानगर क्षेत्र (CMA) लगभग 11 मिलियन लोगों का घर है और भारत में इसके बढ़ते आर्थिक महत्व के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। • **उद्देश्य:** CMA में चयनित शहरी सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए संस्थानों और वित्तपोषण को मजबूत करना। • **कवर की जा रही सेवाएं:** जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति और सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित मुख्य शहरी सेवाएं। • **राशि (Funds):** कुल परियोजना लागत 701 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से AIIB और विश्व बैंक प्रत्येक 150 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करेंगे। बाकी खर्चा तमिलनाडु की सरकार वहन करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	**सुर्खियों में:** प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण ने 5 वर्ष पूरे किए। • प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G), भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के महान उद्देश्य से प्रेरित है। • यह एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार SECC 2011 डेटा का उपयोग करके पहचाने गए बेघर लाभार्थियों को उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए सम्मानजनक गुणवत्ता का घर बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • इस कार्यक्रम में वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ PMAY-G घरों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। • इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन और मनरेगा के तहत 90-95 दिनों के अकुशल मजदूरी घटक जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से लाभार्थियों के लिए इसे एक महत्वाकांक्षी घर बनाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कल्पना की गई थी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है?** • प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मानिर्भर भारत का एक हिस्सा बनाता है। • इस स्कीम के तहत 5 किलो गेहूं/चावल हर महीने (अगले तीन महीनों के लिए) प्रत्येक लाभार्थी गरीब व्यक्ति को मुफ्त में मिलेगा और साथ ही साथ 1 किलो साबुत चना हर गरीब परिवार को अतिरिक्त मिलेगी। • गेहूं 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात। ○ शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल उपलब्ध कराया गया है। • यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त है। • लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता घरेलू (PHH) कार्डधारक शामिल हैं।
फुल-स्टैक 'डिजिटल बैंक'	**संदर्भ :** हाल ही में नीति आयोग ने फुल-स्टैक 'डिजिटल बैंक' की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। • ऐसे बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य तत्काल चैनलों पर निर्भर होंगे न कि भौतिक शाखाओं पर। • यह प्रस्ताव देश में सामने आ रही वित्तीय गहन चुनौतियों को कम करने के लिए बनाया गया था। • ऐसे डिजिटल बैंक जमा जारी करेंगे, ऋण देंगे और उन सेवाओं की पूरी श्रृंखला पेश करेंगे जिनके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम उन्हें अधिकार देता है।
तीन-दर GST संरचना	**संदर्भ:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के अध्ययन के अनुसार, सरकार चार प्रमुख जीएसटी दरों (5%, 12%, 18% और 28%) को 8%, 15% और 30% की दर ढांचा तीन के साथ पुनर्व्यवस्थित करके राजस्व को खोए बिना GST दर संरचना को युक्तिसंगत बना सकती है। • NIPFP वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित एक स्वायत्त थिंक टैंक है। **अध्ययन का महत्व**

- GST परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह को कर दरों के युक्तिकरण और दिसंबर तक विभिन्न कर स्लैब के संभावित विलय का प्रस्ताव दिया है ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके।
- NIPFP पेपर यह भी नोट करता है कि कीमती पत्थरों और आभूषणों जैसे 'उच्च मूल्य वाले कम मात्रा के सामान' पर दरें बढ़ाने से अघोषित लेनदेन और राजस्व रिसाव को बढ़ावा मिल सकता है।

वर्तमान दर संरचना

- GST चार दरों पर लगाया जाता है - 5%, 12%, 18% और 28%।
- GST परिषद द्वारा इन कई स्लैबों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची तैयार की जाती है।
- इसके अलावा, सोने पर कर 3% रखा गया है। रफ कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों को GST के तहत 0.25% रखा गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- घरेलू खपत के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर लगाया जाता है।
- इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था।
- इसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को एक मद में समाहित कर दिया।
- उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन यह सामान और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
- केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले GST को केंद्रीय GST (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला GST राज्य GST (SGST) कहलाता है।
- एकीकृत माल और सेवा कर (IGST): माल या सेवाओं का अंतर-राज्य आयात
- **GST परिषद:** GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279 A)।

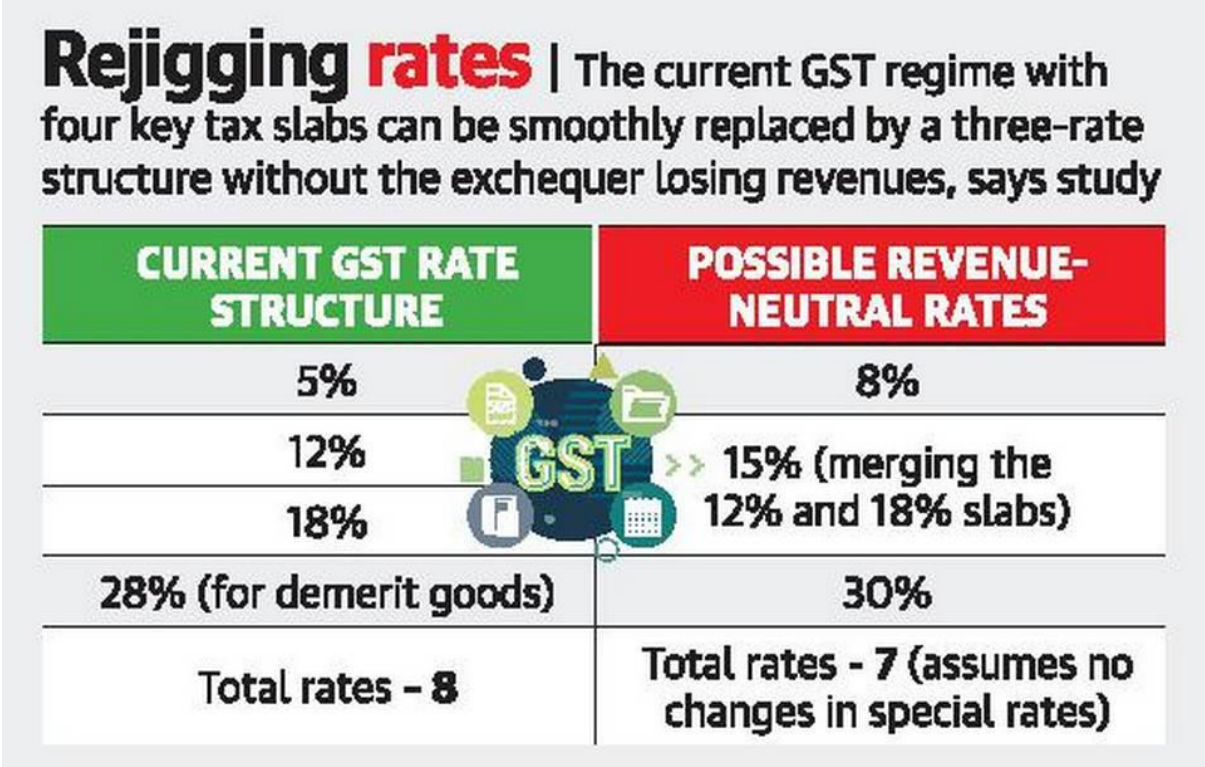

फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)

सुर्खियों में: फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना "आत्मनिर्भर भारत- भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और दस क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति" की रणनीति पर आधारित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य की वस्तुओं के

योजना	उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। • इस योजना के आगे के उद्देश्यों में से एक भारत से बाहर वैश्विक चैंपियन बनाना है जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में बढ़ने की क्षमता रखते हैं और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। **योजना के बारे में** • योजना के लिए प्रोत्साहन की कुल राशि 15,000 करोड़ रुपये है। सिडबी इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। • यह फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना का हिस्सा होगा। • **उद्देश्य:** (1) निवेश बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना; (2) उच्च मूल्य की वस्तुओं को शामिल करने के लिए उत्पाद विविधीकरण। • **लक्ष्य समूह:** भारत में पंजीकृत निर्माताओं को योजना की व्यापक प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए उनके वैश्विक विनिर्माण राजस्व (GMR) के आधार पर समूहीकृत किया जाएगा। • प्रोत्साहन की मात्रा: 15,000 करोड़। • **कवर किए गए सामानों की श्रेणी:** 1. श्रेणी 1: बायोफर्मासिटिकल; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट की गई दवाएं या दवाएं पेटेंट की समाप्ति के नजदीक होना; सेल-आधारित या जीन थेरेपी दवाएं; ऑर्फन्स ड्रग्स; स्वीकृत के रूप में अन्य दवाएं। 2. श्रेणी 2: सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट। 3. श्रेणी 3: श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आने वाली दवाएं।
मजदूरी दर सूचकांक (WRI)	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित आधार वर्ष 2016=100 के साथ मजदूरी दर सूचकांक (WRI) की नई श्रृंखला जारी की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय। 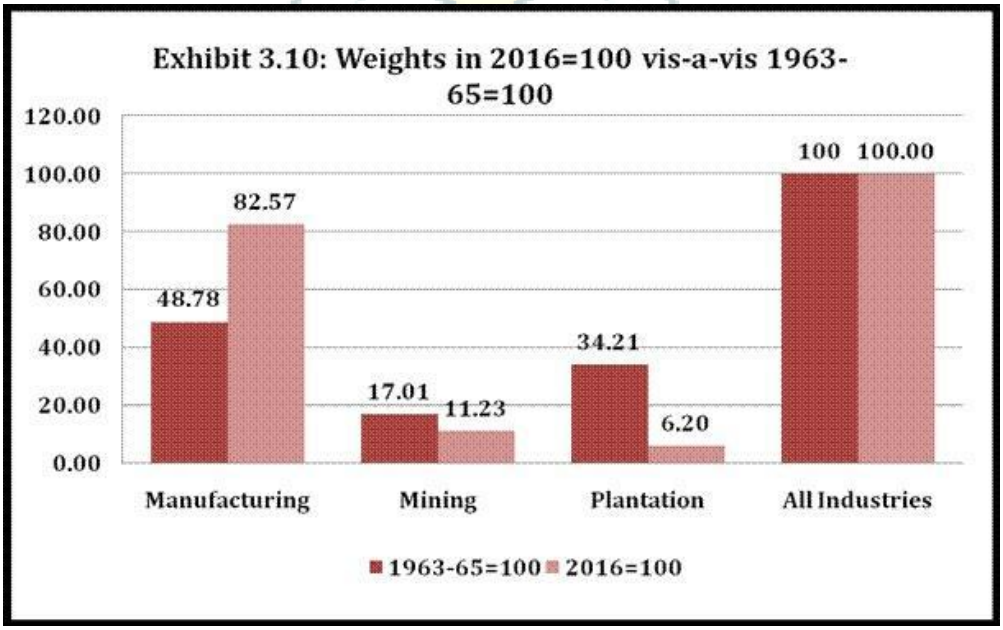 **मुख्य विचार** • नई श्रृंखला जो पुरानी श्रृंखला (1963-65=100) की जगह लेती है, जो लगभग छह दशक पुरानी है, ने उद्योगों की संख्या, नमूना आकार, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसायों, उद्योगों के भार आदि के मामले में दायरे और कवरेज में वृद्धि की है। • नए WRI बास्केट में (2016=100) पुरानी WRI शृंखला (1963-65=100) की तुलना में व्यवसायों और उद्योगों के मामले में दायरे और कवरेज को बढ़ाया गया है। • नई श्रृंखला में चयनित 37 उद्योगों को वृक्षारोपण क्षेत्र से 3 उद्योग, खनन क्षेत्र से 4 उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से 30

	उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछली श्रृंखला में, विनिर्माण क्षेत्र से 14 उद्योग, खनन से 4 और वृक्षारोपण क्षेत्र से 3 उद्योग थे। • नए WRI बास्केट में, वर्तमान मजदूरी डेटा को 37 चयनित उद्योगों के तहत 2881 इकाइयों से एकत्र किया गया है, जबकि WRI की पुरानी श्रृंखला में 21 उद्योगों के तहत 1256 इकाइयों का संग्रह किया गया है। • WRI (2016=100) की नई श्रृंखला में 37 चयनित उद्योगों के अंतर्गत लगभग 700 व्यवसायों को शामिल किया गया है। • WRI बास्केट की नई श्रृंखला में सोलह नए विनिर्माण उद्योग जोड़े गए हैं, अर्थात-सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, फुटवियर, पेट्रोलियम, केमिकल एंड गैसेस, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेज, मोटर वेहिकल्स, मोटर साइकिल्स, टी प्रोसेसिंग, टायर्स एंड ट्यूब्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक आर्टिकल्स। • नई श्रृंखला न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मंजिल मजदूरी के साथ-साथ अन्य मानकों के साथ आने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो विशेषज्ञ समूह द्वारा नियत समय में तय की जाएगी। • यह शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, विद्वानों और डब्ल्यूआरआई के अन्य सभी हितधारकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ पुस्तक के रूप में काम करेगा।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक	**सुर्ख़ियों में:** राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI का पुनर्निर्माण करना और वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के बड़े लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर गठबंधन और अभी तक अनुकूलित भारत MPI बनाना है। • सुधार और विकास के लिए कैबिनेट सचिव की वैश्विक सूचकांक (GIRG) पहल के तहत, मानव विकास सूचकांक (HDI), वैश्विक भूख सूचकांक (GHI), वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (GCI), मानव पूंजी सहित 29 वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है। • इस अभ्यास का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों के निगरानी तंत्र का लाभ उठाना है, ताकि परिणामों में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों को उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में उन्हें तदनुसार प्रतिबिंबित किया जा सके। • नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के लिए नोडल मंत्रालय है। ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार भारत की रैंक 109 देशों में 66वें स्थान पर है। **NFHS 5 (2019-20) के सारांश डेटा फैक्टशीट से प्रारंभिक अवलोकन उत्साहजनक हैं।** • वे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार का सुझाव देते हैं जो अभाव में कमी बताता है। • इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी राज्य की रिपोर्ट में स्कूल में उपस्थिति, पेयजल, बैंक खातों और आवास में कमी आदि का सुझाव दिया गया है। • ये सुधार NFHS 5 (2019-20) घरेलू माइक्रो डेटा पर आधारित आगामी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी की समग्र दिशा का संकेत देते हैं।
नागर विमानन के लिए विकास परियोजनाएं	• लगभग एक करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं को हाथ में लिया। मौजूदा टर्मिनलों, नए टर्मिनलों के विस्तार और संशोधन, मौजूदा रनवे, एप्रन, एयर नेविगेशन सेवाओं, नियंत्रण टावरों, तकनीकी ब्लॉक आदि के विस्तार या सुदृढ़ीकरण के लिए अगले पांच वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये। • दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में तीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) हवाई अड्डे • लगभग पीपीपी मोड के तहत देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास में निवेश के लिए 36,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। • भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। अब तक, आठ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, महाराष्ट्र में शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पकयोंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओरवकल, कर्नाटक में कलबुर्गी, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का संचालन किया गया है।

	• क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत, जिसे उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना के रूप में भी जाना जाता है, 393 मार्गों ने 62 असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 वाटर एयरोड्रोम और 6 हेलीपोर्ट शामिल हैं।
गन्ना, कपास, जूट किसानों के लिए प्रोत्साहन (incentive) को मंज़ूरी दी गई	**संदर्भ:** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कई उपायों को मंजूरी दी है जो गन्ना, कपास और जूट उगाने वाले किसानों का समर्थन करेंगे। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • CCEA ने पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए गन्ने के रस से निकाले गए इथेनॉल की कीमत में वृद्धि की। पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण अगले साल 10% और 2025 तक 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। • CCEA ने सी-हैवी मोलासेस से निकाले गए एथेनॉल की दर भी बढ़ा दी है। • तेल विपणन कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित दर पर डिस्टिलरी और चीनी मिलों से इथेनॉल खरीदती हैं। • **वृद्धि के निहितार्थ:** दर वृद्धि से गन्ना किसानों को भुगतान में मिलों के लंबित बकाया को कम करने की उम्मीद है। ○ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को भी कम किया। **CCI को मूल्य समर्थन** • CCEA ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन (committed price support) को भी मंजूरी दी। पिछले सात वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में मूल्य समर्थन प्रदान किया जाएगा। • **CCI का कार्य:** CCI को किसानों से बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सभी उचित औसत गुणवत्ता वाले कपास की खरीद करना अनिवार्य है, जब कभी भी कीमतें केंद्र द्वारा निर्धारित MSP दरों से कम होती हैं, ताकि किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाया जा सके। ○ महामारी के दौरान पिछले दो सत्रों में, CCI ने देश के कपास उत्पादन का एक तिहाई खरीद लिया, जिससे 40 लाख किसानों को 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। **पैकेजिंग में जूट के लिए आरक्षण मानदंड** • CCEA ने इस साल पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को भी मंजूरी दे दी है, यह निर्धारित करते हुए कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से जूट बैग में पैक किया जाना चाहिए। • इस तरह के आरक्षण ने पिछले साल कुल कच्चे जूट उत्पादन का दो-तिहाई उपभोग किया। • **किसानों को सहायता:** जैसा कि केंद्र स्वयं लगभग प्रति वर्ष 8,000 करोड़ रु अनाज पैक करने के लिए जूट सेकिंग बैग खरीदता है। यह 40 लाख जूट किसानों की उपज के लिए एक गारंटीकृत बाजार भी सुनिश्चित करता है, ज्यादातर पूर्वी भारत में, और बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में 3.7 लाख जूट मिल श्रमिकों का समर्थन करता है।
पोषण स्मार्ट गांव	**सुर्खियों में:** पोषण अभियान को मज़बूत करने के लिये "पोषण स्मार्ट गांव" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नवीन पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-डब्ल्यूआईए) के नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण भारत में 75 गांवों तक पहुंचना है, जो भारत के 12 राज्यों में 13 केंद्रों पर संचालित है। • कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। • कुपोषण को दूर करने के लिये स्थानीय विधि के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना। • घरेलू कृषि एवं न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण-संवेदी कृषि को क्रियान्वित करना। • महिला किसानों में भी जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी।
चेन्नई-बेंगलुरु सड़क परियोजना	**संदर्भ :** पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण मंजूरी के लिए चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आठ-लेन एक्सप्रेसवे के चरण- III की सिफारिश की है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • **द्वारा कार्यान्वित:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)। • यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले और तमिलनाडु के वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों से होकर गुजरती है।

	• **उद्देश्य:** इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु और चेन्नई के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। • यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केंद्रों के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करेगा। • वन विभाग की अनुशंसा पर एक पशु अंडरपास भी प्रस्तावित किया गया है। **पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) के बारे में** • पर्यावरण मंजूरी (EC) प्रक्रिया में EACs की प्राथमिक भूमिका परियोजना के संभावित प्रभावों पर विचार करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को सिफारिशें देना है। • इन सिफारिशों के आधार पर, MoEFCC या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है या शर्तों के साथ मंजूरी देता है जो प्रभावों को कम करेगा या इसकी क्षतिपूर्ति करेगा।
वसूली को बनाए रखने के लिए राज्यों को मौद्रिक संवितरण	**संदर्भ :** केंद्र राज्यों को अगले सप्ताह 95,082 करोड़ रुपये रुपये भेजेगा, जो कि करों के साझा पूल से उन्हें देय राशि का दोगुना है, ताकि वे पूंजीगत व्यय पर अधिक धन का उपयोग कर सकें। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • दूसरी COVID-19 लहर के बाद आर्थिक सुधार को बनाए रखने के तरीकों का पता लगाने और राज्यों की चिंताओं और योजनाओं को समझने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच एक बैठक हुई। • **बैठक का संदर्भ:** दूसरी लहर के बाद, भारत एक मजबूत विकास देख रहा है। हालाँकि, यह एक ऐसा समय भी है जहाँ यह विकास को बनाए रखने की योजना बना रहा है, इसे दो अंकों की वृद्धि के जितना संभव हो सके ले जाएँ, जिसके लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। **वृद्धि हासिल करने के लिए सुझाए गए तरीके** • राज्यों से आग्रह किया गया कि वे आने वाले वर्षों में भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने में मदद करना। • सुझाए गए तरीके ○ निवेश आकर्षण को सुगम बनाना ○ व्यवसाय करने में आसानी के उपायों में तेजी लाना ○ विद्युत क्षेत्र में सुधार करना। ○ भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाना ○ निवेशकों के लिए भूमि बैंक बनाना ○ सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण
USOF योजना	**सुर्ख़ियों में:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी ज़िलों से अछूते गांवों में 4 जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि/यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) योजना को मंज़ूरी दी है। • इस योजना में पांच राज्यों के 44 आकांक्षी ज़िलों के 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। • इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। • चिन्हित अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के प्रावधान से संबंधित कार्य को मौजूदा USOF प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। **मुख्य लाभ:** • आत्मनिर्भरता के लिए उपयोगी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, • सीखने की सुविधा, • सूचना और ज्ञान का प्रसार, • कौशल उन्नयन और विकास, • आपदा प्रबंधन,

	• ई-गवर्नेंस पहल, • उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं की स्थापना, • ज्ञान साझा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को पर्याप्त सहायता का प्रावधान • नौकरी के अवसर की उपलब्धता • घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करना • आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करना • नौकरी के अवसर की उपलब्धता • घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करना • आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करना
घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण	**संदर्भ:** घरेलू कामगारों पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण हाल ही में शुरू किया गया था। • **मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय • भारत में अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • यह सर्वेक्षण एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। • **द्वारा किया गया:** श्रम ब्यूरो • **लक्ष्य:** ○ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या का अनुमान लगाना। ○ अनौपचारिक रोजगार में लगना। ○ प्रवासी और गैर-प्रवासी श्रमिक। ○ अपने नियोक्ता के घरों में रहने वाले घरेलू कामगार और जो नहीं करते हैं; उनकी मजदूरी। • **कवर किए जाने वाले व्यापक मानदंड:** ○ घरेलू विशेषताएं जैसे HH आकार, धर्म, सामाजिक समूह। ○ जनसांख्यिकीय विशेषताएं जैसे नाम, आयु। ○ प्रवेश की आयु, सामाजिक समूह, प्रवासी स्थिति, व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा। ○ नियोक्ता परिवारों के बारे में जानकारी

जलवायु इक्विटी मॉनिटर (Climate Equity Monitor)	**संदर्भ:** भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का समर्थन किया है। • यह वेबसाइट विकसित देशों के ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सूचीबद्ध करती है। • इस वेबसाइट की संकल्पना और विकास चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में क्लाइमेट चेंज ग्रुप और बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में नेचुरल साइंसेस ऐंड इंजीनियरिंग विभाग को तथा अन्य स्वतंत्र अनुसंधानकर्तओं ने किया। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • इसका उद्देश्य जलवायु सम्मेलन के "आधारभूत सिद्धांतों" के आधार पर UNFCCC (विकसित देशों) के तहत अनुबंध-I दलों के प्रदर्शन की निगरानी (monitoring) करना है। • इसका उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के उत्सर्जन के बीच असमानता को उजागर करना है। • संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तथा पश्चिमी यूरोप के देशों को शुद्ध कार्बन ऋण (net carbon debt) के रूप में दिखाया गया है जबकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के पास शुद्ध ऋण है। • यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए अधिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। **आशय:** • डेटा और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण से इक्विटी और जलवायु कार्रवाई पर इसका ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोरदार चर्चा को प्रोत्साहित करेगा और सभी देशों के विशेषज्ञों को शामिल करेगा। • यह वेबसाइट कई विकसित देशों और वैश्विक गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई कहानी को खारिज कर देगी जो लगातार विकासशील देशों को क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लगातार उनसे अधिक प्रतिबद्धता और कार्रवाई की मांग करते हैं। **कार्बन उत्सर्जक के रूप में भारत की स्थिति** • भारत सालाना कार्बन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है लेकिन जब ऐतिहासिक उत्सर्जन पर विचार किया जाता है तो छठा सबसे बड़ा देश है। • जब इसकी जनसंख्या के आकार का हिसाब लगाया जाए तो यह सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जकों में से एक है। यह COP26 पर बातचीत के केंद्र में जलवायु न्याय के लिए भारत की मांगों और एक निश्चित समय सीमा के लिए सहमत होने की अनिच्छा को रेखांकित करता है।
सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना	**संदर्भ:** पंजाबसिंधु नदी डॉल्फ़िन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। सिंधु नदी की डॉल्फ़िन को वैज्ञानिक रूप से प्लैटानिस्टा गैंगेटिका माइनर (Platanista gangetica minor) कहा जाता है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है, जो ब्यास नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के तहत सर्दियों में जनगणना शुरू होगी। • पंजाब का वन्यजीव संरक्षण विंग एक कदम आगे बढ़ेगा और यह न केवल डॉल्फ़िन बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की भी रक्षा करेगा। • इस परियोजना को पांच साल में लागू किया जाएगा। • भारतीय जल में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिन में शामिल हैं: गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • **समुदाय को शामिल करना :** अनुसंधान के साथ-साथ, समुदाय के नेतृत्व वाली जैविक निगरानी को प्रोत्साहित करके रिपेरियन (नदियों और नालों से सटे आर्द्रभूमि से संबंधित) समुदायों को शामिल करने पर महत्व होगा। • **आदर्श गांव:** डॉल्फ़िन के हॉट स्पॉट स्थलों के आसपास के गांवों को समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। • **'ब्यास-डॉल्फ़िन मित्र':** पंजाब की पहल के तहत, ब्यास नदी के 'ब्यास-डॉल्फ़िन मित्र' नामक समर्पित व्यक्तियों के

	एक समूह द्वारा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। • **डॉल्फिन ईको टूरिज्म**: यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन इको टूरिज्म को भी शुरू करेगा। • **भागीदारी प्रक्रिया को अपनाना:** मीठे पानी के आवासों और प्रजातियों के संरक्षण सहित विभिन्न जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भागीदारी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। **सिंधु डॉल्फ़िन के बारे में** • यह मीठे पानी की डॉल्फिन है। • अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): लुप्तप्राय • कुछ समय पहले तक, डॉल्फ़िन को पाकिस्तान के लिए स्थानिक माना जाता था। • हालाँकि, सिंधु डॉल्फ़िन की एक शेष लेकिन व्यवहार्य आबादी पंजाब के हरिके वन्यजीव अभयारण्य (Harike Wildlife Sanctuary) के साथ-साथ निचली ब्यास नदी में 2007 में खोजी गई थी। • इसकी खोज के बाद से, पंजाब का वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग WWF-इंडिया के सहयोग से डॉल्फ़िन के आवास उपयोग, वर्तमान वितरण और जनसंख्या। अनुसंधान कर रहा है। • 2019 में, सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया था।
यूनेस्को विश्व धरोहर वन (UNESCO World Heritage Forests)	**संदर्भ:** यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जंगलों से उत्सर्जित और अवशोषित ग्रीनहाउस गैस की मात्रा के एक नए आकलन के अनुसार, भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उन पांच स्थलों में शामिल है, जिनके पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक ब्लू कार्बन स्टॉक है। **नए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष** • शोधकर्ताओं ने 2001 और 2020 के बीच 257 यूनेस्को विश्व धरोहर वनों द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित सकल और शुद्ध कार्बन का आकलन किया है। • मूल्यांकन में यूनेस्को, विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute-WRI) और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) के शोधकर्ता शामिल थे। • समग्र रूप से, 257 अलग-अलग स्थलों में यूनेस्को की विश्व धरोहर वन, प्रत्येक वर्ष वातावरण से लगभग 190 मिलियन टन CO2 के बराबर अवशोषित करते हैं। • शोधकर्ताओं ने पाया है कि विभिन्न मानवजनित गड़बड़ी और दबावों के कारण 2001 और 2020 के बीच 257 जंगलों में से 10 ने अधिक कार्बन उत्सर्जित किया। • वे पर्याप्त मात्रा में कार्बन का भंडारण भी करते हैं। • ब्लू कार्बन कार्बनिक कार्बन है – मुख्य रूप से सड़ने वाले पौधों की पत्तियों, लकड़ी, जड़ों और जानवरों से – जिसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कब्जा और संग्रहीत किया जाता है। • शोध के अनुसार, भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उन पांच स्थलों में शामिल है, जिनके पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक ब्लू कार्बन स्टॉक है। **इस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कारक** • जंगल की आग के बढ़ते पैमाने और गंभीरता, जो अक्सर सूखे की गंभीर अवधि से जुड़ी होती है, भी कई मामलों में एक प्रमुख कारक थी। • अन्य चरम मौसम की घटनाएं, जैसे तूफान ने कुछ स्थलों पर योगदान दिया। • विश्व धरोहर वन • आज की स्थिति में, 200 से अधिक विश्व धरोहर स्थल अद्वितीय वन पारिस्थितिकी तंत्र को आश्रय देते हैं। • विश्व धरोहर वन, जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 69 मिलियन हेक्टेयर है, जर्मनी के आकार से लगभग दोगुना है, जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिक तंत्र हैं।
जलवायु इक्विटी मॉनिटर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर' डैशबोर्ड की शुरुआत की है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभावों को स्वीकारने, उत्सर्जन में असमानता, ऊर्जा एवं संसाधनों की खपत और विभिन्न देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिये एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा।

	• इस पहल का उद्देश्य, विकसित देशों एवं वैश्विक गैर-सरकारी संगठनों के उन विमर्शों को खारिज करना है, जो लगातार विकासशील देशों से अधिक प्रतिबद्धता और कार्रवाई की मांग करते हैं। • यह आकलन आई.पी.सी.सी. के संचयी उत्सर्जन और कार्बन बजट की अवधारणा को भी बल देगा। • इस डेशबोर्ड का विकास 'एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन' (MSSRF), चेन्नई तथा 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़' (NIAS) बेंगलुरु ने अन्य स्वतंत्र शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किया है। • UNFCCC (विकसित देशों) के तहत अनुबंध-I पार्टियों के प्रदर्शन की निगरानी के उद्देश्य से जलवायु सम्मेलन के मूलभूत सिद्धांतों, अर्थात् समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत के आधार पर। तुलना के लिए गैर-अनुलग्नक-I दलों (विकासशील देशों) के प्रदर्शन और नीतियों को भी प्रदान किया जाएगा। • यह वेबसाइट नीति निर्माताओं, सार्वजनिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों और विकासशील देशों की आम जनता के लिए उनके परिप्रेक्ष्य में समानता और जलवायु न्याय के विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए एक मूल्यवान उपकरण होने की उम्मीद है।
भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा	**संदर्भ:** भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • 2030 तक, भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की गई। • भारत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा। • भारत सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को भी 45% से कम कम करेगा। • भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु न्याय की भावना से, समृद्ध विकसित देशों को विकासशील देशों और सबसे कमजोर लोगों की सहायता के लिए जलवायु वित्त में कम से कम $ 1 ट्रिलियन प्रदान करना चाहिए। • जलवायु अनुकूलन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। • **आलोचना:** कई विशेषज्ञों के अनुसार, शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है जिसमें भारी लागत आएगी। **COP26 क्या है?** • पार्टियों का सम्मेलन (COP) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। • 2021 पार्टियों का 26वां सम्मेलन है (इस प्रकार COP26 नाम) और यह ग्लासगो में स्कॉटिश इवेंट कैंपस में आयोजित किया जाएगा। • UNFCCC की स्थापना "वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने" की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। • इसने सदस्य राज्यों के लिए जिम्मेदारियों की एक सूची तैयार की जिसमें शामिल हैं: • जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय तैयार करना। • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए अनुकूलन की तैयारी में सहयोग करना। • जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। • भारत ने 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2002 तक नई दिल्ली में आठवें COP की मेजबानी की। • सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक, COP21 2015 में पेरिस, फ्रांस में हुआ। इसके सदस्य देश 'पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने' के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
CEEW द्वारा जारी किया गया जलवायु भेद्यता	**संदर्भ:** पर्यावरण थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने अपनी तरह का पहला जिला-स्तरीय जलवायु भेद्यता मूल्यांकन, या जलवायु भेद्यता सूचकांक (Climate Vulnerability Index-CVI) किया है। • इसके तहत, इसने भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया है ताकि चक्रवात, बाढ़, लू, सूखा आदि जैसी चरम मौसम

सूचकांक	की घटनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का आकलन किया जा सके। **जलवायु भेद्यता सूचकांक के निष्कर्ष** • अत्यधिक जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशील: असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार आदि जैसे राज्य बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम जलवायु घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। • भारत के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील जिले: असम में धेमाजी और नागांव, तेलंगाना में खम्मम, ओडिशा में गजपति, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, महाराष्ट्र में सांगली और तमिलनाडु में चेन्नई। • 80% से अधिक भारतीय जलवायु जोखिम की चपेट में आने वाले जिलों में रहते हैं • उत्तर-पूर्वी राज्य बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
प्रधानमंत्री का संबोधन: COP26 शिखर सम्मेलन में 'एक्शन एंड सॉलिडेरिटी-द क्रिटिकल डिकेड'	वैश्विक जलवायु बहस में अनुकूलन को उतना महत्व नहीं मिलता जितना कि शमन। यह विकासशील देशों के साथ अन्याय है, जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं। • भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में किसानों के लिए जलवायु एक बड़ी चुनौती है - o फसल पैटर्न बदल रहा है, o फसलें बेमौसम बारिश और बाढ़, या बार-बार आने वाली आंधी से नष्ट हो रही हैं • पेयजल स्रोतों से लेकर किफायती आवास तक, इन सभी को जलवायु परिवर्तन के प्रति फ्लेक्सिबल (लचीला) बनाने की आवश्यकता है। **अनुकूलन पर ध्यान देना:** हमें अनुकूलन को अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। 'नल से जल'- सभी के लिए नल का पानी, 'स्वच्छ भारत'- स्वच्छ भारत मिशन और 'उज्ज्वला'- भारत में सभी के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसी परियोजनाओं ने न केवल हमारे जरूरतमंद नागरिकों को अनुकूलन लाभ प्रदान किया है बल्कि उनकी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। • प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना: दूसरे, कई पारंपरिक समुदायों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का पर्याप्त ज्ञान है। • हमारी अनुकूलन नीतियों में इन पारंपरिक प्रथाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। • ज्ञान के इस प्रवाह को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। • स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जीवन शैली का संरक्षण भी अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। **अनुकूलन की विधि:** अनुकूलन के तरीके स्थानीय हो सकते हैं, लेकिन पिछड़े देशों को उनके लिए वैश्विक समर्थन मिलना चाहिए। स्थानीय अनुकूलन के लिए वैश्विक समर्थन के विचार के साथ, भारत ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) के लिए गठबंधन की पहल की थी।
COP26	**संदर्भ:** ग्लासगो में COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन में नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। • **जीवाश्म ईंधन:** वे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तेजी से कमी पर अधिक व्यापक रूप से सहमत होने में असमर्थ रहे हैं, जिससे गरीब, छोटे देशों को इसके सबसे बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। • **मीथेन उत्सर्जन:** लगभग 90 देश 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 30% कम करने के लिए यू.एस.-EU के नेतृत्व वाले प्रयास में शामिल हो गए हैं। • **वनों की कटाई और भूमि क्षरण:** 100 से अधिक राष्ट्रीय नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया, वनों की रक्षा और बहाली में निवेश करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी निधियों में $19 बिलियन का समर्थन किया। **जलवायु वित्त में वृद्धि** • समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) की मंत्रिस्तरीय बैठक में, भारत ने कहा कि जलवायु वित्त 2009 में तय किए गए स्तरों पर जारी नहीं रह सकता है। • इसने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे कम से कम $1 ट्रिलियन होना चाहिए।
ग्रीन ग्रिड	**संदर्भ :** हाल ही में 'केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' द्वारा अपने 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' (One Sun

इनिशिएटिव: वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड	One World One Grid- OSOWOG) कार्यक्रम के लिये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, कार्यान्वयन योजना, रोड मैप और संस्थागत ढाँचे के विकास हेतु इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव माँगे गए हैं। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** ● इस पहल का 80 से अधिक देशों ने समर्थन किया। ● इसरो ने एक ऐसा एप्लिकेशन विकसित किया है जो पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर संभावित सौर ऊर्जा की गणना कर सकता है और यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या यह सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त होगा। ● एक मंत्रिस्तरीय संचालन समूह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले महाद्वीपीय-पैमाने के ग्रिड द्वारा एक साथ जुड़े सर्वोत्तम स्थानों में बड़े सौर ऊर्जा स्टेशनों और पवन फार्मों के निर्माण में तेजी लाने की दिशा में काम करेगा। ● मंत्रिस्तरीय संचालन समूह में फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, और इसमें अफ्रीका, खाड़ी, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। **'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' के बारे में** ● भारत के प्रधानमंत्री की इस पहल के पीछे मूल विचार यह है कि 'सूरज कभी अस्त नहीं होता।' दुनिया के किसी न किसी कोने तक उसकी रोशनी पहुंचती ही रहती है। इसका इस्तेमाल विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी तैयार करने में हो सकता है। ● इस पहल को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गेमचेंजर कहा जा रहा है।
टी.एन. वन और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	**संदर्भ:** तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै और रामनाथपुरम में चार क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ तमिलनाडु वन और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (TNFWCB) की स्थापना के आदेश जारी किए हैं। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** ● **समिति का गठन (Committee formed) :** इसने आक्रामक पौधों की प्रजातियों से प्रभावित वन क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली पर एक मसौदा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। ● पैनल आक्रामक विदेशी प्रजातियों से प्रभावित क्षेत्र की पहचान, सीमांकन और आकलन भी करेगा और प्रभावित क्षेत्रों को हटाने, निपटान और पर्यावरण-बहाली के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। ● **राज्य-व्यापी डेटा:** TNFWCB वन और वन्यजीव अपराधों, वन अपराधियों और वन्यजीव तस्करी की घटनाओं पर राज्य-व्यापी डेटा विकसित और बनाए रखेगा। ● **आईटी प्रथा का उपयोग:** यह विभिन्न खुफिया एजेंसियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं और वन तथा वन्यजीव अपराध की जानकारी का उपयोग करेगा जो बदलते अपराध और आपराधिक प्रथाओं के बेहतर अनुकूलन में मदद करेगा। ● अच्छी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों का संवर्ग: ब्यूरो से अवैध व्यापार की प्रभावी निगरानी के लिए सरकारी विभागों में से अच्छी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक संवर्ग बनाने की उम्मीद है। **TNFWCB के उद्देश्य** ● अवैध वन्यजीव व्यापार के बेहतर नियंत्रण के लिए जांच गुणवत्ता में सुधार ● स्थानीय समुदायों के बीच मुखबिर नेटवर्क बनाना ● बेहतर कार्रवाई के लिए राज्य में अवैध शिकार और व्यापार स्थलों का मानचित्रण। **विदेशी वृक्ष प्रजातियों का परिचय** ● औद्योगिक/व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के वन क्षेत्रों में अधिकांश विदेशी वृक्ष प्रजातियों जैसे मवेशी, देवदार और नीलगिरी को पेश किया गया था। ● हालांकि, क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसे जल विज्ञान, वन/घास के मैदान समुदाय और वन्यजीव को संशोधित/प्रभावित करना। ● गैर-देशी प्रजातियों ने देशी खाद्य स्रोतों को प्रतिबंधित या प्रतिस्थापित करके एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य वेब को बाधित करके देशी प्रजातियों को दबा दिया। ● आक्रमण को जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरों में से एक माना जाता था।
लचीला द्वीप	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में 'लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे' पहल का शुभारंभ

राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा	किया **लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा:** मॉल द्वीप विकासशील राज्य-SIDS- तेजी से प्रौद्योगिकी, वित्त और आवश्यक जानकारी जुटाएगा। छोटे द्वीपीय राज्यों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से वहां के जीवन और आजीविका दोनों को लाभ होगा। **महत्व:** जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा खतरा 'लघु द्वीप विकासशील राज्यों-SIDS' को है। ऐसे देशों में जलवायु परिवर्तन न केवल उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे देश पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यटक भी वहां आने से डरते हैं। **पृष्ठभूमि:** छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे जलवायु परिवर्तन के खतरे को भांपते हुए भारत ने प्रशांत द्वीप समूह और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्था की। • सौर प्रौद्योगिकियों में अपने नागरिकों को प्रशिक्षित किया, और वहां के बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार योगदान दिया। • भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो SIDS के लिए एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इसके साथ ही SIDS को उपग्रह के माध्यम से चक्रवात, कोरल-रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट-लाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहेगी। • IRIS पहल आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का एक हिस्सा है जो विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में पायलट परियोजनाओं वाले क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। • संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड किंग्डम के ग्लासगो में आयोजित 26वें सम्मेलन के दौरान भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस ने संयुक्त रूप से एसआईडीएस को बुनियादी ढांचा प्रणालियों की आपदा लचीलापन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) की शुरुआत की गई। • आईआरआईएस भौगोलिक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 58 छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) को अपना सहयोग देगा। • नई पहल भारत, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का परिणाम है और इसमें छोटे द्वीप राष्ट्रों फिजी, जमैका और मॉरीशस के नेताओं की भागीदारी शामिल है।
दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board -CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार "गंभीर" श्रेणी में खिसक गई है, जब शहर में लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंध के बावजूद दीपावली की रात में पटाखे फोड़े। • राजधानी में दीपावली के बाद पांच वर्षों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इस सीजन में दिल्ली का AQI (air quality index) 533 है। 2016 में, यह उसी समय के आसपास 445 था। जबकि 2019 में यह 368 थी। • SAFAR के अनुसार, पटाखों के उत्सर्जन के बिना AQI के शनिवार की रात तक "बहुत खराब" श्रेणी में सुधार होने की संभावना है। **सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) क्या है?** • इसे स्वदेशी रूप से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा विकसित किया गया था। • यह भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) द्वारा चलाया जाता है। • इसका उद्देश्य 72 घंटे के अग्रिम मौसम पूर्वानुमान के साथ-साथ कलर कोडिंग के साथ 24×7 आधार पर रीयल-टाइम वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदान करना है। • दूसरा लक्ष्य नागरिकों को पहले से तैयार करने के लिए स्वास्थ्य परामर्श जारी करना है। **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है?** • आम आदमी के लिए अपने आसपास की हवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 'एक नंबर - एक रंग - एक विवरण' की रूपरेखा के साथ 2014 में शुरू किया गया। • वायु गुणवत्ता का माप आठ प्रदूषकों पर आधारित है: पार्टिकुलेट मैटर (PM10), PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O_3), अमोनिया (NH_3), और

	लीड (पंजाब)। • **AQI** में वायु गुणवत्ता की छह श्रेणियां हैं: अच्छी, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। • इसे CPCB द्वारा IIT-कानपुर और चिकित्सा तथा वायु-गुणवत्ता वाले पेशेवरों के एक विशेषज्ञ समूह के परामर्श से विकसित किया गया है। 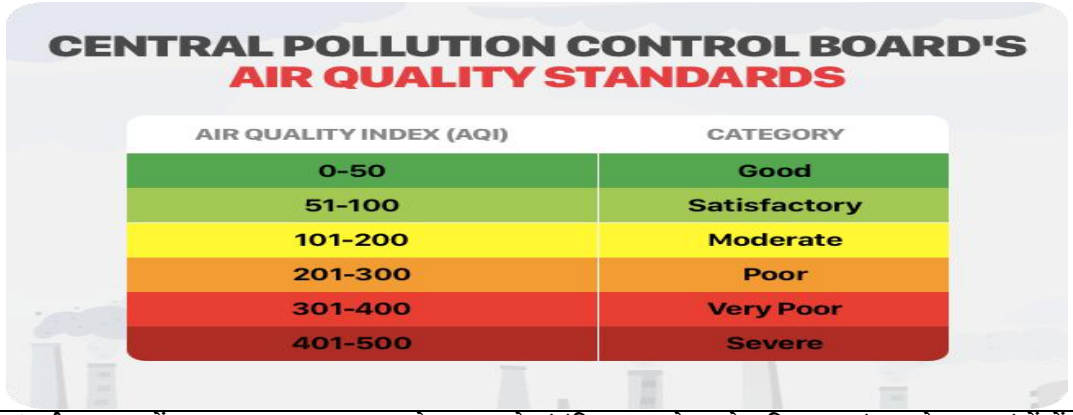
पराली जलाना	**संदर्भ :** भारत में स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित इस शोध को पटियाला, पंजाब के छह गांवों में दो चरणों में आयोजित किया गया था. • पहला चरणा अक्टूबर 2018 और मार्च-अप्रैल 2019 में किया गया था। • दूसरा चरण नवंबर 2018 के अंत में उन्हीं गांवों में किया गया था, दरअसल नवंबर के समय में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, इसके साथ ही मौसम में भी बदलाव आता है। • भारत में पराली जलाना एक गंभीर समस्या है. पराली जलाने के कारण प्रदूषण भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की वजह से फेफड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। • पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण ने फेफड़ों के कार्य को काफी कम कर दिया और ग्रामीण पंजाब में महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक था • दो चरणों के बीच पीएम2.5 की सांद्रता दोगुनी से अधिक बढ़ती हुई पाई गई, मुर्गी फसल जलने की चोटियों के बीच। PM2.5 बिना जले कार्बन कणों की श्रेणी है जिसे श्वसन स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। • अध्ययन के दौरान इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 10-15 गुना अधिक पाया गया, हालाँकि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनुमेय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से अधिक हैं। • फसल अवशेष जलाने की अवधि के दौरान, सभी आयु समूहों (10-60 वर्ष) में अधिकांश श्वसन लक्षणों में दो से तीन गुना वृद्धि देखी गई, जिसमें घरघराहट, परिश्रम पर सांस फूलना, खांसी, त्वचा पर चकत्ते, आंखों की खुजली शामिल है।) • विश्व स्वास्थ्य संगठन: PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये। **पराली जलाना क्या है?** • पराली जलाना, अगली फसल बोने के लिये फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की क्रिया है। • इसी क्रम में सर्दियों की फसल (रबी की फसल) की बोआई हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर की जाती है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बोआई में देरी होती है तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसलिये पराली को जलाना पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र तरीका है। • पराली जलाने की यह प्रक्रिया अक्तूबर के आसपास शुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी है। • 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
उत्तर भारत में	**संदर्भ :** हाल ही में, दुनिया भर में जानवरों की आबादी के अस्तित्व के लिए 'सड़कों' से उत्पन्न होने वाले खतरे को निर्धारित

तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा	करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन किया गया है। **भारत से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष** ● सड़कों से होने वाली मौतों के कारण, उत्तर भारत में तेंदुए के विलुप्त होने का खतरा 83 प्रतिशत बढ़ गया है। ● सर्वाधिक संकटमय प्रजातियों में तेंदुए के बाद ब्राजील में पाए जाने वाली 'मॉनेड वुल्फ' (Maned Wolf) और छोटी चित्तीदार बिल्ली (little spotted cat) और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला भूरे लकड़बग्घा (Brown Hyena) का स्थान है। ● यदि सड़कों से होने वाली मौतों का यही स्तर बना रहता है, तो अगले 50 वर्षों में विलुप्त होने वाली सबसे संवेदनशील के रूप में चिह्नित किए गई चार पशु-प्रजातियों की आबादी में, उत्तर भारत के तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक संकट में है। ● अध्ययन के अनुमानुसार – 83% की जोखिम-दर पर, उत्तर भारतीय तेंदुए की आबादी 33 वर्षों में विलुप्त हो जाएगी। **'तेंदुए' (Leopard) के बारे में:** ● वैज्ञानिक नाम- पेंथेरा पर्दुस (Panthera pardus) ● भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I में सूचीबद्ध ● CITES के परिशिष्ट- I में शामिल ● IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध ● तेंदुए की नौ उप-प्रजातियों को पहचान की जा चुकी है, और ये प्रजातियाँ पूरे अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं।
नई जलवायु प्रतिज्ञाएं वैश्विक तापन को मुश्किल से प्रभावित करती हैं: UN	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में वार्ताकार एक ऐसे मसौदा फैसले पर विचार कर रहे हैं जो पहले से ही धरती पर महसूस किए जा रहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी व चिंता उजागर करते हैं। ● ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (पार्टियों का 26वां सम्मेलन- कॉप-26) में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से 2030 तक ग्रीनहाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** ● राष्ट्रों ने हाल के सप्ताहों में नई और बढ़ी हुई प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ने तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अपनी जगहें निर्धारित की हैं। भारत ने भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल रहने का संकल्प लिया है। ● भयावह जलवायु परिवर्तन से बचने के लिये, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की आवश्यकता है, लेकिन अगले पांच वर्षों में दुनिया का तापमान बढ़ने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। ● वहीं अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अध्ययन से पता चला कि यदि हानिकारक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संकल्पों को मज़बूती नहीं दी गई, तो इस सदी में दुनिया 2.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की राह पर होगी। ● संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की कई अन्य रिपोर्टों के मुताबिक़, ग्रीनहाउस गैस सघनता रिकॉर्ड स्तर पर है और पृथ्वी ख़तरनाक स्तर पर गर्म होने की ओर अग्रसर है, जिसके वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के लिये चिन्ताजनक परिणाम हो सकते हैं। ● UNFCCC ने कहा कि देशों के नवीनीकृत NDCs में 2030 तक उत्सर्जन में 13.7% की वृद्धि होगी और उसके बाद तेजी से गिरावट आएगी। ● 1.5C के अनुरूप रहने के लिए, तब तक उत्सर्जन में 45% की कमी आनी चाहिए।
पोर्टेबल ऑक्सीजन केन	**संदर्भ :** ऑक्सीजन सिलेंडरों के बाद, यह रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले पोर्टेबल ऑक्सीजन के डिब्बे हैं, जिनकी अब देश भर में तेज बिक्री हो रही है, वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि , यात्रा और बाहरी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। इसका उपयोग COVID-19 से ठीक होने वालों द्वारा भी किया जा रहा है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** ● दिवाली के बाद इन पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन की बिक्री दोगुनी हो गई है, और आने वाले हफ्तों में इसके तीन गुना होने

	की उम्मीद है। • अकेले दिल्ली-एनसीआर में बिक्री का 65% लाने का दावा है, जबकि मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में भी इस उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। • यह तब होती है जब चिकित्सक उत्पाद के लिए पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यह कहते हुए कि यह वास्तव में चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी कर सकता है और भलाई की झूठी भावना पैदा कर सकता है। • डॉक्टरों के अनुसार, ये डिब्बे उपयोगी नहीं हैं और इनकी सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। • तकनीकी रूप से, ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले रोगी को कम से कम 1 लीटर प्रति मिनट की आवश्यकता होगी। जबकि इन पोर्टेबल ऑक्सीजन स्प्रे के डिब्बे में 12 लीटर तक ऑक्सीजन हो सकती है, वे लगभग 10 मिनट या उससे भी कम समय तक चलेंगे। उन्हें चिकित्सा हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। • ये ऑक्सीजन स्प्रे के डिब्बे तीव्र श्वसन विफलता के समय में शायद ही मदद करेंगे। एक उचित सेटिंग के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के निरंतर, उच्च प्रवाह की आवश्यकता होती है। • इन स्प्रे कैन का उपयोग केवल गंभीर वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में, कुछ खेल गतिविधियों, उच्च ऊंचाई पर चढ़ाई और अभियानों, पर्वतारोहण, आकाश अभियान आदि के लिए किया जा सकता है। • चूंकि ऑक्सीजन दहन का समर्थन करती है, इसलिए इन्हें घरों में जमा करना भी खतरनाक है।
जलवायु वित्तपोषण	**संदर्भ:** भारत ने अगले दशक में विकसित देशों से ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के अनुकूल और कम करने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की मांग की है। • भारत ने हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इसे एक शर्त के रूप में रखा है। **जलवायु वित्तपोषण क्या है?** • जलवायु वित्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण को संदर्भित करता है - जो वित्त पोषण के सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से लिया जाता है। • यह शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करेंगे। • जलवायु वित्त प्रदान करना विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद के सबसे कठिन बिंदुओं में से एक है क्योंकि विकसित देश, एक समूह के रूप में, 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने में विफल रहे हैं, जैसा कि एक दशक पहले वादा किया गया था। **भारत का लक्ष्य क्या है?** • भारत की पंचांग योजना (five-fold plan) का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करना और अंततः 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना है। **नेट जीरो का क्या मतलब है?** • नेट जीरो तब होता है जब किसी देश के कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से बराबर कार्बन निकालकर ऑफसेट (offset) किया जाता है, ताकि संतुलन में उत्सर्जन शून्य हो। • हालांकि, एक विशिष्ट तिथि तक नेट जीरो प्राप्त करने का अर्थ है एक वर्ष निर्दिष्ट करना, जिसे एक चरम वर्ष (peaking year) भी कहा जाता है, जिसके बाद उत्सर्जन में गिरावट शुरू हो जाएगी। • भारत के सशर्त Nationally Determined Contribution-NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) • भारत के NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) सशर्त हैं, अर्थात जलवायु वित्त में $1 ट्रिलियन राशि की उपलब्धता के अधीन है। • NDCs स्वैच्छिक लक्ष्य हैं जो देश स्वयं के लिए निर्धारित करते हैं, जो कि मात्रा और उत्सर्जन में कटौती का वर्णन करते हैं। • भारत का पिछला NDCs 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्रस्तुत किया गया था।
चीन, अमेरिका जलवायु सहयोग	**संदर्भ:** दुनिया के शीर्ष कार्बन प्रदूषक, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्लोबल वार्मिंग पर आपसी प्रयास का संकेत देते हुए, जलवायु-हानिकारक उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने और कार्रवाई में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।

बढ़ाएंगे	**कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कटौती में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। • चीन भी पहली बार मीथेन रिसाव पर नकेल कसने के लिए सहमत हुआ। • दोनों देश उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमत हुए हैं। • पेरिस समझौते के दौरान भी सरकारों ने संयुक्त रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक समय से "अच्छी तरह से नीचे" 2 डिग्री सेल्सियस रखा जा सके, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस को गर्म रखने की कोशिश करने के अधिक कड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई थी।
'केसर-ए-हिंद' को अरुणाचल की राजकीय तितली के रूप में मंज़ूरी दी गई	**संदर्भ:** मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Pema Khandu) की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर, 2021 को "केसर-ए-हिंद" को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी। • केसर-ए-हिंद' एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। • यह एक स्वालोटेल बटरफ्लाई है। • यह चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में स्वीकृत किया गया है। **पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा** • इस बैठक के दौरान, कैबिनेट ने उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास के उद्देश्य से 'जलवायु परिवर्तन-लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा' को भी अपनाया। **कैसर-ए-हिन्दू के बारे में** • कैसर-ए-हिंद विशाल और चमकीले रंग की तितली है। कैसर-ए-हिंद का वैज्ञानिक नाम 'तेइनोपालपस इम्पीरियलिस' (Teinopalpus imperialis) है तथा इसका शाब्दिक अर्थ है 'भारत का सम्राट'। • तितली का पंख 90-120 मिमी का होता है। • यह पूर्वी हिमालय के साथ छह राज्यों में जंगली इलाके में 6,000-10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। • यह भूटान, नेपाल, लाओस, म्यांमार, दक्षिणी चीन और वियतनाम में भी पाई जाती है। • केसर-ए-हिंद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित है। इसके बावजूद, तितली संग्राहकों को आपूर्ति के लिए उनका शिकार किया जाता है। • लेकिन तितली संग्राहकों को आपूर्ति के लिए इसका शिकार किया जाता है। • यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के बहुत कम इलाकों तक ही सीमित है और अगर संरक्षित नहीं किया गया तो विलुप्त हो सकती है • टैग का निहितार्थ: स्टेट बटरफ्लाई टैग अपने आवास संरक्षण में तब्दील हो सकता है **पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में**

	• इसे पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। • यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। • पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। • चार निवासी हॉर्नबिल प्रजातियों के अद्भुत दृश्य के लिए जाना जाता है। • इस टाइगर रिजर्व ने अपने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए 'संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 जीता है। • यह पश्चिम और उत्तर में भरेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। यह अधिकांश ओर से सन्निहित जंगलों से घिरा हुआ है।
मिशन 2030 तक 500 गीगावॉट	**सुर्ख़ियों में:** भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और उपभोक्ताओं को कम लागत पर बिजली प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके जरिए साल 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति का मिशन तय किया गया है। • इस संबंध में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है। दिशा-निर्देश में थर्मल उत्पादन कंपनियों को खुली बोलियों द्वारा डेवलपर्स के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और मौजूदा पीपीए के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने का प्रावधान रखा गया है। • चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा की लागत थर्मल ऊर्जा की लागत से कम है, इसलिए अक्षय ऊर्जा को थर्मल के साथ जोड़ने से होने वाले लाभ को जनरेटर और वितरण कंपनियों/अन्य खरीददारों के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा। • चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा के साथ संतुलित किया जाएगा, इसलिए डिस्कॉम को अब नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अलग से कोई क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन की क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। • इस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियां आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए गणना करने में सक्षम होगी और यह अतिरिक्त पीपीए के वित्तीय बोझ के बिना होगा। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से तेजी से ऊर्जा का अवस्थांतरण होगा और यह उत्पादक तथा वितरण कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)	**सुर्ख़ियों में:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अम्ब्रेला योजना "महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी ((Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology-O-SMART)" को जारी रखने की मंजूरी दी है। **द्वारा:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय **उद्देश्य:** इसमें सात उप-योजनाएँ शामिल हैं जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • उप-योजनाएँ इस प्रकार हैं: महासागरीय प्रौद्योगिकी, महासागरीय मॉडलिंग और परामर्श सेवाएँ (OSMAS), समुद्री अवलोकन नेटवर्क (OON), समुद्री निर्जीव (नॉन-लिविंग) संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन एवं इको-सिस्टम (MLRE), तटीय अनुसंधान एवं परिचालन, पोतों का अनुसंधान एवं रख-रखाव। **हासिल किए गए मील के पत्थर** • हिंद महासागर के आवंटित क्षेत्र में पॉली मेटालिक नोड्यूल्स (Poly Metallic Nodules-PMN) और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के गहरे समुद्र में खनन पर व्यापक शोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ अग्रणी निवेशक के रूप में भारत की मान्यता। • ऐसा बताया जाता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (PMN) हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं और इनका आकार कुछ मिमी. से कुछ सेमी. तक का हो सकता है. PMN से प्राप्त धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनलों में भी किया जाता है. • इसके अलावा, भारत की महासागर संबंधी गतिविधियां अब अंटार्कटिक क्षेत्र तक विस्तारित हो गई हैं, जिसमें बड़े महासागर क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी निगरानी इन-सीटू और उपग्रह-आधारित अवलोकन के माध्यम से की गई है।

	• भारत ने अंतरसरकारी में वैश्विक महासागर प्रेक्षण प्रणाली के हिंद महासागर घटक को लागू करने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। **महत्व** • वर्तमान दशक को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया गया है और इस योजना को जारी रखने से वैश्विक समुद्र विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में हमारा रुख मजबूत होगा। • यह व्यापक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों के साथ समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा। • यह सतत् तरीके से समुद्री संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग के लिये नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) पर एक राष्ट्रीय नीति की दिशा में भारत के योगदान को मज़बूत करने में सहायता करेगा। • यह महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-14 को प्राप्त करने में मदद करेगी। • राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है और समुद्री पर्यावरण में काम करने वाले समुदायों और कई क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली समुद्री सलाहकार सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जारी रखा जा रहा है, विशेष रूप से भारत के तटीय राज्यों में।
वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं (ACROSS)	**सुर्खियों में:** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं (ACROSS)" की समग्र योजना को 14वें वित्त आयोग से लेकर अगले वित्त आयोग के चक्र (2021-2026) तक जारी रखने की मंजूरी दी। • **द्वारा कार्यान्वित:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) • **उद्देश्य:** विश्वसनीय मौसम और जलवायु सेवा प्रदान करने के लिए वास्तविक समय में मौसम, जलवायु और अन्य खतरनाक घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास करना। • यह योजना बेहतर तरीके से मौसम, जलवायु एवं समुद्र के बारे में पूर्वानुमान एवं सेवाएं और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को सार्वजनिक मौसम सेवा, कृषि-मौसम विज्ञान सेवाओं, विमानन सेवाओं, पर्यावरण निगरानी सेवाओं, जल-मौसम विज्ञान सेवाओं, जलवायु सेवाओं, पर्यटन, तीर्थयात्रा, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, खेल और रोमांच आदि से संबंधित लाभ पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो। • यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
रिवर सिटीज एलायंस (RCA) का शुभारंभ	**क्या:** आज यहां शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए विचार करने, चर्चा करने और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत में नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच है। • विश्व में अपनी तरह का यह पहला गठबंधन दो मंत्रालयों यानी जल शक्ति मंत्रालय और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। • गठबंधन तीन व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता। **Launch of River Cities Alliance (RCA) का प्राथमिक उद्देश्य है** • सदस्य शहरों को उन पहलुओं पर चर्चा करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना जो शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कि उनके जल पदचिह्न को कम करना, नदी और जल निकायों पर प्रभाव को कम करना, प्राकृतिक, अमूर्त, स्थापत्य विरासत और संबंधित सेवाओं पर पूंजीकरण करना और पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग की रणनीति के माध्यम से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जल संसाधनों का विकास करना। • यह गठबंधन शहर प्रमुख नदी-संबंधित दिशाओं के साथ राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने और स्थानीय बनाने की दिशा में काम करेंगे, अपनी शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे और शहर-विशिष्ट क्षेत्रीय रणनीति विकसित करेंगे जो स्थायी शहरी नदी प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। • गठबंधन एनआईयूए और एनएमसीजी द्वाराशहर किनारे बसे शहरों के लिए शासन के पहलुओं को मजबूत करने और बाहरी आर्थिक निवेशों को आकर्षित करने के लिए उनकी जीवंतता में सुधार करने, अत्याधुनिक ज्ञान और ढांचे के

	साथ-साथ अद्वितीय प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए साइट के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है जिसे लागू किया जाएगा।
वाणिज्यिक उड़ानों में वाईफाई सेवा	**संदर्भ:** दूरसंचार विभाग द्वारा वाणिज्यिक उड़ानों पर वाईफाई सेवाओं की अनुमति देने के तीन साल बाद, घरेलू हवाई यात्रियों के लिए यह अभी तक एक वास्तविकता नहीं बन पाया है क्योंकि एयरलाइंस भारी स्थापना लागत और यात्री मांग पर COVID-19 के प्रभाव से जूझ रही है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • घरेलू वाहक सेवा की पेशकश में धीमे रहे हैं क्योंकि इसके लिए विमान पर आवश्यक एंटीना फिट करना काफी महंगा है जिसमें लगभग 12 घंटे लगते हैं। • इसके अलावा एयरलाइंस के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में सबसे सस्ते टिकट का खर्च यात्रियों पर डालना मुश्किल है। • हालांकि, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और अमीरात जैसी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने सेवा की पेशकश शुरू कर दी है। • एएक विमान के लिए वाई फाई उपकरण की लागत 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक है, जोकि इसकी शुरुआत में बाधक है क्योंकि यात्रियों से यह लागत वसूल करना मुश्किल है। • पूर्ण-सेवा वाहक विस्तारा सितंबर 2020 से इसे पेश करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइन है। • इन-फ्लाइट वाईफाई के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए, यहां क्लिक करें

यमुना प्रदूषण	**संदर्भ:** दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए छह सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है।
	• परियोजना के हर छोटे पहलू के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय पर पूरा हो, प्रत्येक 15 से 30 दिनों में उनकी समीक्षा की जाएगी।
	कार्य योजना
	• नए सीवेज उपचार संयंत्र (sewage treatment plants-STP): नए सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) का निर्माण, मौजूदा STP की क्षमता में वृद्धि, और प्रौद्योगिकी उन्नयन
	• प्रमुख नालों का स्वस्थानी उपचार।
	• औद्योगिक कचरे को डायवर्ट करना: सभी औद्योगिक कचरे को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में डायवर्ट किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांटों में कचरा नहीं भेजने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी।
	• **उचित सीवर नेटवर्क:** जेजे क्लस्टरों को बड़े सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि तूफानी जल नालियों को प्रदूषित होने से पूरी तरह से रोका जा सके। हर घर को सीवर नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है।
	• **गाद निकालना:** पूरे सीवर नेटवर्क की पूरी तरह से गाद निकालना।
	यमुना के बारे में
	• यमुना, गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है,
	• **उद्गम स्थल:** बंदर पंच चोटियों (Bandarpoonch peaks) के पास यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। यह प्रयागराज, यूपी में संगम पर गंगा से मिलती है
	• महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ: चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन।
	• यमुना में प्रदूषण के कारण
	  ○ औद्योगिक प्रदूषण
	  ○ नालियों का मिश्रण
	  ○ बढ़ती अमोनिया के प्रभाव

CEEW ऊर्जा वित्त के लिए CEEW केंद्र (CEEW-CEF)	**संदर्भ :** जलवायु और ऊर्जा अनुसंधान फर्म, CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (CEEW-CEF) के एक विश्लेषण के अनुसार, 2070 तक शुद्ध शून्य के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को करीब 10 ट्रिलियन डॉलर (700 लाख करोड़ रुपये) की आवश्यकता होगी। • CEEW ऊर्जा, पर्यावरण और जल अनुसंधान परिषद है, जो भारत में एक थिंक टैंक है। **फर्म द्वारा प्रमुख अनुमान** • अक्षय ऊर्जा से उत्पादन बढ़ाने और आवश्यक बुनियादी ढांचे को एक साथ लाने के लिए लगभग 8.4 ट्रिलियन

	डॉलर की आवश्यकता होगी। • हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में और 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। ○ ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा से बनता है और इसका उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है, हीटिंग से लेकर बैटरी को चलाने के साथ-साथ ईंधन भरने वाले वाहनों तक। • भारत को इस अंतर को पाटने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं से $1.4 ट्रिलियन के निवेश समर्थन की आवश्यकता होगी। **फर्म द्वारा अध्ययन** • CEEW ने पहले गणना की थी कि भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को 2070 तक 5,630 गीगावाट तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। • कोयले का उपयोग 2040 तक चरम पर होना चाहिए और 2040-2060 के बीच 99% कम होना चाहिए। • सभी क्षेत्रों में कच्चे तेल की खपत 2050 तक चरम पर पहुंचने और 2050 - 2070 के बीच 90% तक काफी हद तक गिर जाने की आवश्यकता होगी। • औद्योगिक क्षेत्र की कुल ऊर्जा जरूरतों में हरित हाइड्रोजन का योगदान 19 प्रतिशत हो सकता है।

उत्तर पूर्व मानसून	**संदर्भ:** चेन्नई में शनिवार की रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कम से कम 40 व्यस्त आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में बाढ़ आ गई। रात भर की बारिश, जो कथित तौर पर 2015 के बाद से सबसे भारी थी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव के समूह का हिस्सा थी। **उत्तर पूर्व मानसून के बारे में** • उत्तर-पूर्वी मानसून - भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु प्रणाली की एक स्थायी विशेषता - अक्टूबर से दिसंबर तक - तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। • शीतकालीन मानसून का मौसम भारत की वार्षिक वर्षा में केवल 11% का योगदान है। • जून-सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून का मौसम भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% होता है। • देश के कई अन्य हिस्सों, जैसे गंगा के मैदानी इलाकों और उत्तरी राज्यों में भी नवंबर और दिसंबर में कुछ बारिश होती है, लेकिन यह पूर्वोत्तर मानसून के कारण नहीं बल्कि यह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। • **पश्चिमी विक्षोभ:** यह पूर्व की ओर बढ़ने वाली वर्षा पवन प्रणाली है जो अफगानिस्तान और ईरान से आगे निकलकर भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर तक से नमी होती है।
खबरों में जगह: काहो गांव	**संदर्भ:** अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए अपने सबसे "देशभक्ति स्थलों" में से एक काहो (चीन सीमा पर अंजॉ जिले का एक गाँव) पर एक वृत्तचित्र बनाने की योजना बना रहा है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • लोहित नदी द्वारा विभाजित किबिथू ब्लॉक के सात गांवों में से एक, काहो ने 1962 में चीनी हमले का सामना किया था। इसके लोगों ने भारतीय सैनिकों की सहायता की थी। • गांव ईटानगर से 580 किमी पूर्व में है। • इसके लोग मेयर समुदाय के हैं। • अंजॉ अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। • राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वृत्तचित्र स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह "आजादी का अमृत महोत्सव" के उत्सव का एक हिस्सा है। • 2011 की जनगणना के अनुसार, कहो में केवल 65 निवासी हैं और साक्षरता दर 64.15% है।
हिमालय के ग्लेशियर ने बदला ट्रैक	**संदर्भ:** हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि लगभग 20,000 साल पहले, एक बड़ा हिमालय ग्लेशियर "अचानक" बदल गया और समय के साथ वर्तमान पिटौरागढ़, उत्तराखंड में एक निकटवर्ती ग्लेशियर में बदल गया। • यह खोज पहली बार हिमालय में दर्ज की गई है। • **परिवर्तन का कारण:** जलवायु और विवर्तनिक गति में परिवर्तन। • इसके संचित मलबे के कारण यह उत्तर-पूर्वी दिशा से दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर मुड़ गया। • **अध्ययन के लिए प्रयुक्त उपाय:** रिमोट सेंसिंग और एक पुराना सर्वेक्षण नक्शा। • ग्लेशियर, जिसका कोई नाम नहीं है और एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। **नया हिमालयी क्षेत्र** • हिमालयी क्षेत्र दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसके कारण सहायक अंतर्निहित टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर नहीं होती हैं और अक्सर भूकंप और भूस्खलन को ट्रिगर करती हैं।
ताइवान जलडमरूमध्य	**संदर्भ:** हाल ही में, यूएसए का अर्ले बर्क-क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिलियस ताइवान जलडमरूमध्य से गुजरा। **ताइवान जलडमरूमध्य के बारे में**

- जलडमरूमध्य समुद्र का एक संकरा टुकड़ा है जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है।
- यह मुख्य भूमि चीन को ताइवान द्वीप से अलग करता है।
- फॉर्मोसा जलडमरूमध्य या ताई-हाई के रूप में भी जाना जाता है।
- यह दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। इसका उत्तरी भाग पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है।

एटिकोप्पका खिलौने	**प्रसंग:** गैर-विषैले पेंट और प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से लकड़ी के खिलौने बनाने की यह पारम्परिक विधि, एक पहचान जिसने दक्षिण भारत में ऐतिकोप्पका गांव के शिल्प समुदाय को परिभाषित किया है, जो खत्म होती जा रही थी। • ऐतिकोप्पका खिलौने गोलाकार होते हैं और प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से बनाए गए हैं। • इससे ये बच्चों के लिए सुरक्षित बनते हैं।
गुरु पर्व को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव	**संदर्भ:** हाल ही में, पंजाब पुलिस ने प्रस्ताव दिया है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती (गुरुपुरब) को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' के रूप में घोषित किया जाए। **यह प्रस्तावित क्यों किया गया?** • गुरु नानक देव दुनिया के सबसे उल्लेखनीय और श्रद्धेय पैदल यात्री के रूप में थे। • 24 वर्षों (1500-1524) की अवधि में, गुरु नानक ने मानव जाति के लिए प्रेम, समानता, मानवता और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाने के लिए सभी दिशाओं में यात्रा की। • उनकी अधिकांश यात्राएं उनके साथी भाई मरदाना के साथ पैदल ही होती थीं। • बाद में उनकी यात्रा को 'जन्मसखियों' नामक ग्रंथों में प्रलेखित किया गया। • भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चीन (तिब्बत), बांग्लादेश, सऊदी अरब, श्रीलंका और अफगानिस्तान - वर्तमान भौगोलिक विभाजनों के अनुसार ये स्थल अब नौ देशों में फैले हुए हैं। **क्या आप जानते हैं?** • इन यात्राओं में, उन्होंने "सर्वोच्च, सर्व शक्तिशाली और सत्यवादी, निराकार (निरंकार), निडर (निर्भाऊ), बिना घृणा (निर्वैर), एकमात्र (इक), स्वयंभू (साईभंग) के रूप में ईश्वर की नई अवधारणा का प्रचार किया। सभी चीजों के अतुलनीय और चिरस्थायी निर्माता (कर्ता पुरख) तथा शाश्वत और पूर्ण सत्य (सतनाम)"। • उनके लेखन, 974 आध्यात्मिक भजनों के रूप में, पांचवें गुरु अर्जन देव जी द्वारा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था।
यूनेस्को द्वारा श्रीनगर को रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) ने शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में श्रीनगर को 49 शहरों में चुना है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • शामिल किए जाने से शहर के लिए यूनेस्को के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपने हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। • UCC नेटवर्क में लोक कला, मीडिया, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, पाक कला और मीडिया कला शामिल है। • 2015 में केवल जयपुर (शिल्प और लोक कला), 2015 और 2017 में क्रमशः वाराणसी और चेन्नई (संगीत का रचनात्मक शहर) को अब तक रचनात्मक शहरों के लिए UCCN के सदस्यों के रूप में मान्यता दी गई है। • यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network- UCCN) के बारे में • इसे वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य "उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। • इस सूची में 246 शहर पहले से हैं। इन 49 शहरों को इस सूची में यूनेस्को द्वारा ‘‘विकास के केंद्र में संस्कृति और रचनात्मकता को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता और ज्ञान एवं अच्छी प्रथाओं को साझा करने संबंधी’’ मान्यता देने के बाद शामिल किया गया। यूनेस्को की वेबसाइट पर जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक अब ऐसे शहरों की संख्या 295 है जो 90 देशों से हैं।
आदि शंकराचार्य	**संदर्भ:** केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फिट की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जहां माना जाता है कि आचार्य ने नौवीं शताब्दी में 32 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। **आदि शंकराचार्य के बारे में** • वे केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार के किनारे कलाड़ी गांव में जन्म लिया था।

	• वे विद्वान गोविंदाचार्य के शिष्य थे। • वे लगातार आगे बढ़ रहा था - अद्वैत वेदांत का झंडा लेकर, बौद्ध और जैन धर्म सहित प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को चुनौती दे रहा था। • माना जाता है कि उन्होंने बद्री और केदार धामों में अनुष्ठान प्रथाओं की स्थापना की थी। • आदि शंकराचार्य को आम तौर पर 116 कार्यों के लेखक के रूप में पहचाना जाता है - उनमें से 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर प्रसिद्ध भाष्य (भाष्य), और विवेकचुदामणि, मनीषा पंचकम, और सौंदर्यलाहिरी सहित काव्य रचनाएँ। • उन्होंने शंकरस्मृति जैसे ग्रंथों की भी रचना की, जो नम्बूथिरी ब्राह्मणों के सामाजिक वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। **अद्वैत वेदांत क्या है?** • अद्वैत वेदांत कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को व्यक्त करता है, एक संशोधनवादी विश्वदृष्टि जो इसे प्राचीन उपनिषदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। • अद्वैत वेदांतियों के अनुसार, उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को 'ब्राह्मण' कहते हैं, जो सभी चीजों की वास्तविकता है।
पद्म पुरस्कार	**संदर्भ:** भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 -2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। • वर्ष 2020 के लिए, सूची में सात पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। • पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। • **पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:** ○ पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)। ○ पद्म भूषण (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा) और ○ पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)। • इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। • जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। • यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं। • पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। • समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। • समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।
करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर	**संदर्भ :** करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर बुधवार को फिर से खोला जाएगा। • यह घोषणा 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती से पहले की गई है। **करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर** • इसका 2019 में उद्घाटन किया गया तथा यह पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है। • तीर्थयात्री बिना वीजा के तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। • गलियारा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बनाया गया था। • महामारी के कारण कॉरिडोर का परिचालन बंद कर दिया गया था। **गुरु नानक कौन हैं?** • गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक (1469-1539) के रूप में जाना जाता है।

	• उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की वकालत की। • उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान स्नान, मूर्ति पूजा, तपस्या और हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के शास्त्रों को खारिज कर दिया। • पांचवें गुरु, गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को संकलित किया। • करतारपुर गुरुद्वारा सीमा के उस पार लगभग 4 किमी का श्रद्धेय मंदिर है जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।
रानी लक्ष्मीबाई की जयंती	• उत्तर भारत में झांसी की रियासत की रानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत में झांसी जिले में मौजूद है। • 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। • बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु बुलाते थे। • लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत द्वारा अंग्रेज़ों ने राजाओं के दत्तक पुत्र लेने ले अधिकार को समाप्त कर दिया तथा वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेज़ी राज्यों में कर दिया गया। • जब 23 मार्च 1858 को सर ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया, तब उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी की रक्षा की। • रानी के बारे में कई देशभक्ति गीत लिखे गए हैं। रानी लक्ष्मी बाई के बारे में सबसे प्रसिद्ध रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित हिंदी कविता झाँसी की रानी है।
कश्मीर में नमदा शिल्प (Namda Craft)	**संदर्भ:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर के नमदा शिल्प (Namda Craft) को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। • यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लांच की गई थी। • PMKVY के घटक, पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) के तहत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों का कौशल विकास। **नमदा शिल्प के बारे में** • नमदा भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। यह शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करता है। इसका उपयोग गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। • कुशल जनशक्ति की कमी और कच्चे माल की कम उपलब्धता के कारण, 1998 और 2008 के बीच नमदा शिल्प का निर्यात 100% कम हो गया है। • इसलिए, PMKVY के तहत इस विशेष परियोजना के माध्यम से, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने इस लुप्तप्राय शिल्प को संरक्षित करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। • इन परियोजनाओं का उद्देश्य कश्मीर के पारंपरिक नमदा शिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना, स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को RPL मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है। • नमदा परियोजना से 30 नमदा समूहों के 2,250 लोगों को लाभ होगा और जम्मू-कश्मीर के 10,900 कारीगरों तथा बुनकरों को कौशल प्रदान करने के लिए RPL पहल का लक्ष्य है। • इससे कश्मीर में नमदा शिल्प समूह के मौजूदा कारीगरों की पहुंच में भी सुधार होगा और रोजगार की उनकी संभावनाओं में सुधार होगा।
सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन	**भाग :** प्रारंभिक परीक्षा **सुर्ख़ियों में:** सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन ने 14.53 लाख कलाकारों/कारीगरों के डेटा की मैपिंग की है। • संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक योजना। • एक मजबूत IT-सक्षम मंच पर संस्कृति मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और राज्यों में सांस्कृतिक संगठनों से एकत्रित कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटा बेस विकसित करने के उद्देश्य से संकल्पित।

सब्ज़ बुर्ज

संदर्भ : सब्ज़ बुर्ज, दिल्ली के सबसे पुराने मुगल-युग के स्मारकों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी के शिल्पकारों द्वारा पसंद की जाने वाली पारंपरिक सामग्रियों और भवन-शिल्प तकनीकों का उपयोग करके पिछले चार वर्षों में संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है।

सब्ज़ बुर्ज ("ग्रीन डोम") के बारे में

- सब्ज़ बुर्ज ("ग्रीन डोम") हुमायूँ के मकबरे, नई दिल्ली के पास, मथुरा रोड, निज़ामुद्दीन परिसर में स्थित एक अष्टकोणीय मकबरा है।
- कुछ मुगल इतिहासकारों का मानना है कि सब्ज़ बुर्ज मकबरा फहीम खान के लिए बनाया गया था, जिनकी मृत्यु 1626 ई. लेकिन अन्य लोगों का मत है कि इसे 1530-40 में बनाया गया था।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संरचना का नवीनीकरण किया है।
- संरचना को एक नीले गुंबद के साथ ताज पहनाया गया है और इसे लोकप्रिय रूप से नीली ("नीला") छतरी के रूप में जाना जाता है।
- शुद्ध सोने और लैपिस में चित्रित तथा संरक्षण के प्रयास शुरू होने के बाद प्रकट होने के कारण इसकी दोहरी गुंबद संरचना पर छत के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। इसे भारत में किसी भी स्मारक के लिए सबसे पुरानी जीवित चित्रित छत माना जाता है।

प्रोजेक्ट-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर	**संदर्भ:** हाल ही में मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) में बनाए जा रहे चार प्रोजेक्ट -15B अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, विशाखापत्तनम का पहला जहाज नौसेना को दिया गया। • चार जहाजों का नाम देश के चारों कोनों-विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के प्रमुख शहरों के नाम पर रखा गया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • यह 163 मीटर लंबे , चौड़ाई 17 मीटर और विस्थापन 7400 टन है। और 30 समुद्री मील पर दौड़ने में सक्षम जहाज हथियारों और सेंसर की एक सीरीज से युक्त है। • यह जहाज कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इसमें लगभग 75% की स्वदेशी सामग्री है। • ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (SAM) से लैस हैं। • यह भारत में अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। • जहाज के उच्च स्तर के स्वदेशीकरण को इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा रहा है। • इन जहाजों को संयुक्त गैस और गैस (COGAG) विन्यास में चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है। **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के बारे में** • **द्वारा किया गया:** ओडिशा के बालासोर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)। • ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम अनुभाग के साथ-साथ कई अन्य 'भारत में निर्मित' उप-प्रणालियां हैं। • ब्रह्मोस लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल मच 2.8 की शीर्ष गति से परिभ्रमण कर रही थी।
ऑटोसोमल डीएनए तकनीक	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रसिद्ध लकोटा नेता सिटिंग बुल के एक जीवित वंशज की पुष्टि ऐतिहासिक व्यक्ति के डीएनए के टुकड़ों के विश्लेषण के लिए एक उपन्यास तकनीक का उपयोग करके की गई है। • शोधकर्ताओं ने पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए सिटिंग बुल के बालों के नमूने से ऑटोसोमल डीएनए की तुलना लापोइंट और अन्य लकोटा सिओक्स के डीएनए नमूनों से की। **सिटिंग बुल** • सिटिंग बुल, जिसका जन्म 1831 में हुआ था, हंकपापा लकोटा सिओक्स, मूल अमेरिकी समूह के प्रमुख और चिकित्साकर्मी थे। • सिटिंग बुल एक हंकपापा लकोटा नेता थे जिन्होंने संयुक्त राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ वर्षों के प्रतिरोध के दौरान अपने लोगों का नेतृत्व किया। **ऑटोसोमल डीएनए क्या है?** • सभी 23 जोड़े गुणसूत्रों के साथ पैदा होते हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर) जो माता-पिता से उनके 46 गुणसूत्रों के संयोजन के माध्यम से पारित किए गए थे। • X और Y गुणसूत्र गुणसूत्रों के 23वें जोड़े का हिस्सा हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किस जैविक लिंग के साथ पैदा हुआ है। • शेष 22 जोड़े ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाते हैं। • इसलिए ऑटोसोमल डीएनए 22 जोड़े गुणसूत्रों में निहित है जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने में शामिल नहीं है। • ऑटोसोमल डीएनए प्रत्येक पीढ़ी में पुनर्संयोजन करता है, और नई संतानों को प्रत्येक माता-पिता से गुणसूत्रों का एक सेट प्राप्त होता है। • ये माता-पिता दोनों से बिल्कुल समान रूप से विरासत में मिले हैं। **इस तकनीक का प्रयोग**

	• ऑटोसोमल डीएनए परीक्षण हमें काफी उच्च स्तर की सटीकता के साथ हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। • इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब बहुत सीमित आनुवंशिक डेटा उपलब्ध हों। • इस तकनीक का इस्तेमाल फोरेंसिक जांच में भी किया जा सकता है।
अतिरिक्त सौर ग्रहों का वातावरण	**प्रसंग:** भारतीय खगोलविदों ने अतिरिक्त सौर ग्रहों के वातावरण को समझने के लिए एक नई विधि खोजी है। • उन्होंने दिखाया है कि सूर्य के अलावा अन्य सितारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का अध्ययन प्रकाश के ध्रुवीकरण को देखकर और ध्रुवीकरण के संकेतों का अध्ययन करके किया जा सकता है। • ये ध्रुवीकरण हस्ताक्षर या प्रकाश की प्रकीर्णन तीव्रता में बदलाव को मौजूदा उपकरणों के साथ देखा जा सकता है और मौजूदा उपकरणों का उपयोग करके सौर मंडल से परे ग्रहों के अध्ययन का विस्तार किया जा सकता है। • गर्म युवा ग्रहों के थर्मल विकिरण और अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के परावर्तित प्रकाश, जिन्हें अतिरिक्त-सौर ग्रह या एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, को भी ध्रुवीकृत किया जाएगा और ध्रुवीकरण के माप से एक्सोप्लैनेटरी वातावरण की रासायनिक संरचना और अन्य गुणों का खुलासा हो सकता है। • कई ब्राउन ड्वार्फ्स के ध्रुवीकरण का पता लगाने के बाद भविष्यवाणी की पुष्टि, एक प्रकार के असफल सितारे, जिनका वातावरण बृहस्पति के समान है, ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अत्यधिक संवेदनशील पोलीमीटर बनाने और एक्सोप्लैनेटरी पर्यावरण की जांच के लिए पोलारिमेट्रिक विधियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। • ट्रांजिट फोटोमेट्री और रेडियल वेलोसिटी विधियों जैसे पारंपरिक तथा लोकप्रिय तरीकों के विपरीत, जो केवल किनारे पर देखे जाने वाले ग्रहों का पता लगा सकते हैं, यह पोलारिमेट्रिक विधि कक्षीय झुकाव कोणों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट का पता लगा तथा जांच कर सकती है। • इस प्रकार, निकट भविष्य में पोलारिमेट्रिक तकनीक एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए एक नई खिड़की खोलेगी और हमें पारंपरिक तकनीकों की कई सीमाओं को दूर करने में सक्षम बनाएगी।
Covaxin को WHO की आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली	**संदर्भ:** भारत की पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन, भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) प्रदान की गई थी। **कोवैक्सिन क्या है?** • Covaxin SARS-CoV-2 के विरुद्ध एक संपूर्ण विषाणु-निष्क्रिय टीका है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। • इसे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए EUL दिया गया है, दो खुराक से अधिक चार सप्ताह के अंतराल पर। • इसे 2-8°C पर शिपिंग और लंबी अवधि के भंडारण को सक्षम करने के लिए तैयार किया गया है। • इसे एक बहु-खुराक शीशी नीति (a multi-dose vial policy) का पालन करने के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे खुली शीशी की बर्बादी कम हो जाती है, खरीद एजेंसियों और सरकारों को पैसे की बचत होती है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • ईयूएल टीके की आपूर्ति में COVAX पहल के लिए एक पूर्वापेक्षा है, और देशों को COVID-19 टीकों के आयात और प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियामक अनुमोदन में तेजी लाने की अनुमति देता है। • WHO से मान्यता के साथ, देश अब कोवैक्सिन के आयात और प्रशासन के लिए अपनी नियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं। • यूनिसेफ, पैन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (PAHO), GAVI COVAX सुविधा, दुनिया भर के देशों में वितरण के लिए Covaxin की खरीद करने में सक्षम होगी। • इस कदम से उन भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की उम्मीद है जिन्होंने वैक्सीन का विकल्प चुना है।
स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार	**प्रसंग:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय वायु सेना ने संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार के दो उड़ान परीक्षण किए हैं।

	• दोनों परीक्षणों में, लक्षित लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ मारा गया था। **DRDO का स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार क्या है?** • DRDO स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन (SAAW) एक लंबी दूरी की सटीक-निर्देशित एंटी-एयरफ़ील्ड हथियार है। • **द्वारा विकसित:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)। • इसे 100 किमी की सीमा तक उच्च सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • सितंबर 2020 में, SAAW को नौसेना और वायु सेना के लिए भारत सरकार द्वारा खरीद के लिए अनुमोदित किया गया था।
भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG)	**संदर्भ:** भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के अनुसार, COVID-19 के नए AY.4.2 संस्करण की आवृत्ति ब्याज के सभी वेरिएंट (VOI)/वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न (VOC) के 0.1% से कम है। • INSACOG ने नोट किया कि डेल्टा (B.1.617.2 और AY.x) भारत में मुख्य VOC बना हुआ है और भारत में कोई नया संस्करण VOI या VOC नोट नहीं किया गया है। • डेल्टा संस्करण, जो पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में पाया गया था, देश में कोरोनावायरस महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर का कारण बना। **AY4.2 क्या है?** • AY.4.2 COVID-19 के डेल्टा संस्करण का वंशज है। डेल्टा संस्करण, जिसे B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है, को पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में पहचाना गया था। • AY.4.2 उप-वंश में इसके स्पाइक प्रोटीन में 2 उत्परिवर्तन होते हैं - A222V और Y145H। • इसे "डेल्टा प्लस" करार दिया गया है और अब यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) द्वारा इसे वीयूआई-21OCT-01 नाम दिया गया है)। **भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) क्या है?** • **समन्वयक:** MoH&FW, ICMR, और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) • संघ देश में SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण की स्थिति का पता लगाएगा। • INSACOG में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी। • इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा। • **उद्देश्य:** बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करना। • यह महत्वपूर्ण अनुसंधान संघ भविष्य में संभावित टीके विकसित करने में भी सहायता करेगा। • संघ सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ जीनोमिक वेरिएंट का जल्द पता लगाने के लिए एक प्रहरी निगरानी भी स्थापित करेगा, और असामान्य घटनाओं / प्रवृत्तियों (सुपर-स्प्रेडर इवेंट्स, उच्च मृत्यु दर / रुग्णता प्रवृत्ति क्षेत्रों आदि) में जीनोमिक वेरिएंट का निर्धारण करेगा।
मेसियर 87	**संदर्भ:** आकाशगंगा मेसियर 87 (M87) (जो अब तक चित्रित किए गए एकमात्र ब्लैक होल को घेरता है) का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक M87 से निकलने वाली सामग्री के जेट के सैद्धांतिक मॉडल बनाया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित परिकलित चित्र देखे गए चित्रों से मिलते-जुलते हैं, और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि करने में मदद करते हैं। • मेसियर 87 (जिसे Virgo A या NGC 4486 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आम तौर पर एम87 में संक्षिप्त किया जाता है) एक विशाल अण्डाकार आकाशगंगा है जिसमें कन्या नक्षत्र में कई खरब तारे हैं। • स्थानीय ब्रह्मांड में सबसे विशाल आकाशगंगाओं जिसमें गोलाकार समूहों की एक बड़ी संख्या है - आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाले 150-200 की तुलना में लगभग 15,000-और ऊर्जावान प्लाज्मा का एक जेट जो कोर से उत्पन्न होता है और कम से कम 4,900 प्रकाश-वर्ष तक फैला होता है, जो सापेक्ष गति से यात्रा करता है।

	• यह आकाश में सबसे चमकीले रेडियो स्रोतों में से एक है और शौकिया और पेशेवर खगोलविदों दोनों के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य है।
जीका वायरस	**प्रसंग:** उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोगों को मामलों की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। • दिल्ली को भी अलर्ट पर रखा गया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित/रोकने की सलाह दी है। • पिछले प्रकोपों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अस्पताल में भर्ती होने वाली बीमारी के गंभीर रूप असामान्य और मृत्यु दुर्लभ हैं। • राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने पहले कहा था कि प्रभावित क्षेत्रों और देशों की गैर-जरूरी यात्रा स्थगित/रद्द की जानी चाहिए। • साथ ही, कॉमरेड स्थितियों वाले व्यक्तियों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारी, प्रतिरक्षा विकार आदि) को प्रभावित देश की यात्रा करने से पहले निकटतम स्वास्थ्य सुविधा से सलाह लेनी चाहिए। **जीका वायरस क्या है?** • जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेविवायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। • बाद में 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में इसकी पहचान की गई। • ZVD मुख्य रूप से एडीज मच्छर (AM), मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार फैलाता है। • **संचरण:** गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में, यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से। • **लक्षण:** बुखार, दाने, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिरदर्द। • WHO के अनुसार, जीका वायरस रोग से संक्रमित अधिकांश लोग या तो स्पर्शोन्मुख (80% तक) रहते हैं या हल्के लक्षण दिखाते हैं। • गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली (सिर के आकार से छोटा) और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिन्हें जन्मजात जीका सिंड्रोम कहा जाता है। • **उपचार:** जीका के लिए कोई टीका या दवा नहीं है। • फोकस लक्षणों से राहत पर है और इसमें बुखार तथा दर्द के लिए आराम, पुनर्जलीकरण और एसिटामिनोफेन शामिल हैं।
पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril)	**संदर्भ:** चीन ने हाल ही में बीजिंग से पाकिस्तान को सबसे उन्नत और सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक दिया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, शंघाई में एक कमीशन समारोह में फ्रिगेट को पाकिस्तानी नौसेना को दिया गया था। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • टाइप 054A फ्रिगेट की डिलीवरी तेजी से घनिष्ठ सैन्य सहयोग का नवीनतम उदाहरण है। • इसे पाकिस्तानी नौसेना द्वारा पीएनएस तुगरिल नाम दिया गया है, और यह "पाकिस्तानी नौसेना के लिए चार प्रकार के 054 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा पहला पतवार" है। • यह आधुनिक आत्मरक्षा क्षमताओं के साथ अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। • यह अत्यधिक तीव्र बहु-खतरे वाले वातावरण में एक साथ कई नौसैनिक युद्ध अभियानों को अंजाम दे सकता है।
S-400 सिस्टम	**संदर्भ:** हाल ही में, रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी शुरू कर दी है। • इस प्रणाली को 'ट्रायम्फ' इंटरसेप्टर आधारित मिसाइल प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। • यह प्रतिबंध अमेरिका के विरोधियों के माध्यम से प्रतिबंध अधिनियम (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act -CAATSA) के तहत यू.एस. से प्रतिबंधों की संभावना को जोखिम में डालता है, जो भारत-यू.एस. में चर्चा के लिए आएगा। 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता भी दिसंबर की शुरुआत में निर्धारित है।

	पृष्ठभूमि • अक्टूबर 2018 में, भारत और रूस ने पांच S-400 रेजिमेंट के लिए 5.43 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। • निर्धारित वितरण से पहले, दो भारतीय वायु सेना (Indian Air Force-IAF) टीमों को रूस में निर्माता अल्माज़ एंटे (Almaz Antey) द्वारा सिस्टम पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। **CAATSA क्या है?** • प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया का मुकाबला करना है। • इसे 2017 में अधिनियमित किया गया। • रूस के रक्षा और ख़ुफ़िया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन करने वाले देशों के विरुद्ध प्रतिबंध शामिल हैं। **S-400 Triumpf विमान भेदी मिसाइल प्रणाली क्या है?** • S-400 Triumpf रूस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है। • यह 400 किमी के दायरे में आने वाली कई वस्तुओं - सभी प्रकार के विमान, मिसाइल और यूएवी - को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उन्हें बेअसर करने के लिए उपयुक्त मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। • यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन रूप से तैनात आधुनिक लंबी दूरी की SAM (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (Terminal High Altitude Area Defense system -THAAD) से काफी आगे माना जाता है।
DART मिशन	**संदर्भ:** 325 मिलियन डॉलर का डार्ट मिशन 24 नवंबर, 2021 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • DART का मतलब डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (Double Asteroid Redirection Test) है। • DART एक खतरनाक क्षुद्रग्रह द्वारा पृथ्वी के प्रभाव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकियों का एक ग्रह रक्षा-संचालित परीक्षण है। • मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह-विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह में एक अंतरिक्ष जांच को दुर्घटनाग्रस्त करना है ताकि इसकी गति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। • अंतरिक्ष यान का लक्ष्य एक छोटा चांदनी है जिसे डिमोर्फोस कहा जाता है ("दो रूपों के लिए ग्रीक")। अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से 11 मिलियन किमी दूर होने पर टकराने की आशंका है। • डिमोर्फोस डिडिमोस नामक एक बड़े क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करता है (ग्रीक के लिए "जुड़वां")
नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप (Citizens' Tele-Law Mobile App)	**टेली-लॉ:** रीचिंग द अनरीच्ड ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म को 2017 में न्याय विभाग द्वारा देश में प्री-लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। • Citizens Tele Law Mobile App: आम लोगों को वकीलों के माध्यम से कानूनी परामर्श दिलाने, उनकी मदद करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। • यह 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों में चालू है, टेली-लॉ लाभार्थी को पैनल वकील से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी (अर्थात टेली-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं) का लाभ उठाता है ताकि उनकी शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त किया जा सके। • सिटिजंस टेली-लॉ ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकेगा। इसके जरिये आम लोगों को कानूनी मदद दी जाएगी। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले वकीलों के पैनल से जोड़ेगा। • आम लोगों को वकीलों के माध्यम से कानूनी परामर्श दिलाने, उनकी मदद करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है.

	• इस ऐप के जरिये कानूनी विशेषज्ञों तक गए बिना ही यानी घर बैठे ही उचित कानूनी सलाह मिल पाएगी। • अपनी तरह का पहला जिसमें कानून के समक्ष समान अवसर प्रदान करने के लिए हमारे संवैधानिक जनादेश के हिस्से के रूप में, प्रत्येक नागरिक अब एक उंगली के स्पर्श पर वकील तक पहुंचने का हकदार होगा।
170-पोत बल (ship force) के लिए नौसेना की योजना	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस-III - रक्षा और सुरक्षा **संदर्भ :** नौसेना की 170 पोत बल की योजना पर काम चल रहा है, और समयसीमा में कुछ बदलावों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • नौसेना अपनी समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (Maritime Capability Perspective Plan-MCPP) में एक दूसरा स्वदेशी विमानवाहक पोत शामिल करेगी। • नौसेना 21 नवंबर को पहला प्रोजेक्ट -15B क्लास स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम और 25 नवंबर को चौथी स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बी वेला को चालू करेगी। • वर्तमान में, नौसेना के पास जहाजों और पनडुब्बियों सहित 130 जहाजों का बेड़ा है। • पहले यह योजना 170 के लिए थी (जहाजों) 2027 तक, लेकिन इस अवधि के दौरान, निश्चित रूप से खरीद और अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी हुई है। • संशोधित समयरेखा: अब समयरेखा को संशोधित किया जा रहा है क्योंकि नौसेना अगले 15 वर्षों के लिए अपने MCPP को संशोधित कर रही है, जिसके 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है। • यह सैन्य मामलों के विभाग द्वारा सेवा एकीकरण लाने के लिए तैयार की जा रही 10 वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (Integrated Capability Development Plan-ICDP) के अनुरूप होगा। **नौसेना की समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (MCPP)** • नौसेना की समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (MCPP)' संख्या के बजाय क्षमता निर्माण पर जोर देती है। • MCPP 2005-22 से तीन योजना अवधियों में बल विकास और आधुनिकीकरण की योजनाएं निर्धारित करता है। • **उद्देश्य:** एक त्रि-आयामी बल का निर्माण करना जो भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।
दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने पर बीआरओ को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र	**सुर्ख़ियों में:** लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। • 52 किलोमीटर लंबी चिसुमले से डेमचोक टरमैक सड़क 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है और बोलीविया में एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है, जो ज्वालामुखी उटुरुंकु से 18,953 फीट पर जुड़ती है। • उमलिंगला दर्रा सड़क विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत की उपलब्धि में एक और मील का पत्थर है क्योंकि इसका निर्माण माउंट एवरेस्ट के उत्तर और दक्षिण बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया गया है जो क्रमशः 16,900 फीट और 17,598 फीट की ऊंचाई पर हैं। • बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के महत्वपूर्ण गांव डेमचोक को एक ब्लैक टॉप्ड सड़क प्रदान की जो क्षेत्र की स्थानीय आबादी के लिए एक वरदान होगी क्योंकि यह लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को तथा पर्यटन को बढ़ावा देगी। • रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह सड़क, जो लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार के फोकस को उजागर करती है।
भारतीय खगोलविदों द्वारा दुर्लभ रेडियो सितारों की खोज	**संदर्भ:** नवंबर, 2021 में भारत स्थित National Centre for Radio Astrophysics (NCRA) के खगोल-विदों ने 8 दुर्लभ रेडियो सितारों की खोज की है। • इन्हें Main-Sequence Radio Pulse emitters (MRPS) के नाम से भी जाना जाता है। • नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) पुणे, महाराष्ट्र स्थित खगोल भौतिकी के क्षेत्र में कार्यरत एक अनुसंधान संस्थान है। • NCRA टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का एक विभाग है। **आशय** • इस खोज से "विदेशी" रेडियो सितारों और तारकीय मैग्नेटोस्फीयर को समझने में मदद मिलेगी।

	• दुर्लभ वस्तुओं के रूप में MRPs की वर्तमान धारणा सही नहीं हो सकती है। बल्कि, वे शायद अधिक सामान्य हैं, लेकिन उनका पता लगाना मुश्किल है। • MRPs का मुश्किल पता लगाने का कारण यह था कि रेडियो पल्स केवल निश्चित समय पर ही दिखाई देते हैं और यह घटना ज्यादातर कम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर देखी जा सकती है। • ध्यातव्य है कि अब तक ज्ञान कुल 15 एमआरपी में से 11 की खोज अकेलों NCRA-TIFR की टीम द्वारा की गई है। • GMRT पुणे के खोदद (Khodad) जिले में स्थित एक रेडियो दूरबीन है। **MRPs क्या हैं?** MRPs असामान्य रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ सूर्य की तुलना में अधिक गर्म तारे होते हैं, और तारकीय हवाओं (एक तारे के ऊपरी वायुमंडल से गैस का निरंतर प्रवाह) की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं।
ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) योजनाएं	**सुर्ख़ियों में:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) के लिए GIS योजनाओं को पूरा करने के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। • महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत जीआईएस आधारित योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है जो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद करती है। कार्यान्वयन स्तर पर भागीदारी योजना सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। • जीआईएस-आधारित योजना का उपयोग करके महात्मा गांधी एनआरईजीएस के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। • क्रिस्प-एम टूल, जो स्थानीय समुदायों को बदलते जलवायु के प्रभाव को समझने और उन पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा • युक्तधारा भू-स्थानिक योजना पोर्टल अन्य मंत्रालयों को मानचित्र पर नियोजित संपत्तियों की भौगोलिक स्थिति देखने में मदद करता है, जो कार्यों के लिए योजना को एकीकृत करता है, अभिसरण योजनाओं को अनुकूलित करता है और प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करता है • महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की योजना अब उन्नत तकनीकों का उपयोग करके की जाती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग (RS)। इस उद्देश्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre-NRSC) से बहुप्रशंसित 'भुवन' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाया गया है। • **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):** जीआईएस भौगोलिक भूभाग के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है और क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है। • यह तकनीक सामान्य डेटाबेस संचालन जैसे क्वेरी और सांख्यिकीय विश्लेषण को नक्शों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनूठे चित्रण और भौगोलिक विश्लेषण लाभों के साथ एकीकृत करती है।
NBRC में दुनिया की सबसे परिष्कृत एमआरआई सुविधा का शुभारंभ	**संदर्भ :** हाल ही में, भारत के प्रमुख संस्थान तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित मानेसर हरियाणा के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (NBRC) में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपनी तरह की पहली, नवीनतम, दुनिया की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा का शुभारंभ किया। • NBRC भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। **नई MRI सुविधा के बारे में** • इस सुविधा के साथ, भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन के अद्वितीय और शक्तिशाली 3T MRI प्लेटफॉर्म के साथ मानव तंत्रिका विज्ञान के नए मोर्चे की शुरुआत करता है। • यह नई सुविधा गहन स्कैनिंग तौर-तरीकों को बहुत तेजी से चला सकती है, जिससे मरीजों के लिए स्कैनिंग समय पहले की पीढ़ी की मशीनों से लगभग एक चौथाई कम हो जाता है। • यह मस्तिष्क से अत्यधिक संवेदनशील रिसेप्टर्स और एंटीऑक्सिडेंट का पता लगा सकती है और मात्रा निर्धारित कर सकती है, जिसका सीधा संबंध अल्जाइमर, पार्किंसंस और मानसिक विकारों जैसे विभिन्न मस्तिष्क विकारों की

	शुरुआत से है। • इसका उपयोग पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग, चिंता, अवसाद, PTSD, द्विध्रुवी, चिंता, अवसाद आदि सहित सामान्य मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित रोगियों के लिए मानव समूह डेटा विकसित करने के लिए किया जा रहा है। • प्रदूषण या कई अन्य कारकों के कारण मस्तिष्क में भारी धातु के जमाव को विभिन्न मानसिक और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों के लिए आवश्यक मात्रा में निर्धारित किया जा सकता है। **चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (Magnetic Resonance Imaging-MRI) क्या है?** • MRI एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग शरीर रचना विज्ञान और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए रेडियोलॉजी में किया जाता है। • MRI स्कैनर शरीर में अंगों की छवियों को उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ढाल, और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। • MRI मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इमेजिंग परीक्षण है।
PM-WANI ढांचे का लाइट-टच विनियमन	**सुर्खियों में:** PM-WANI ढांचे का लाइट-टच विनियमन उद्यमियों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। • **द्वारा शुरू किया गया:** दूरसंचार विभाग • ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए देश भर में फैले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (Public Data Office Aggregators-PDOAs) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (PDOs) द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य है। • राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2022 तक 10 मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और PM-WANI योजना इसे सुगम बनाएगी। • PM-WANI के माध्यम से देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार से वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी आएगी और यह स्थानीय उद्यमियों जैसे चायवालों, किराना स्टोर और भोजनालयों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाएगा।
स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी INS Vela	**संदर्भ :** भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी वेला (Vela) को शामिल किया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • इसके साथ, नौसेना के पास वर्तमान में 16 पारंपरिक और एक परमाणु पनडुब्बी सेवा में है। • INS वेला का नाम स्टिंगरे परिवार से संबंधित एक प्रकार की भारतीय मछली के नाम पर रखा गया है। • इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप (M/s Naval Group of France) के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) द्वारा बनाया गया था। **नौसेना का प्रोजेक्ट-75** • 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत द्वारा प्रोजेक्ट -75 के तहत छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। • पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया था। • सितंबर 2019 में दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी। • तीसरा एक आईएनएस करंज मार्च 2021 में। • पांचवीं पनडुब्बी वागीर को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। • छठा वागशीर पोशाक के उन्नत चरण में है। **भारत की आगे की योजना** • भारत 2023 से सभी स्कॉर्पीन पनडुब्बियों पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (Air Independent Propulsion-AIP) मॉड्यूल स्थापित करने की योजना बना रहा है ताकि उनकी सहनशक्ति को बढ़ाया जा सके। • परियोजना P-75I के बाद, नौसेना का इरादा पारंपरिक पनडुब्बियों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने का

	है।
रूस का वर्गीकृत सैन्य उपग्रह	**प्रसंग:** हाल ही में रूस ने सफलतापूर्वक एक सैन्य उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, जिसे क्रेमलिन की प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल-विरोधी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। ● प्रक्षेपण टुंड्रा उपग्रह प्रदान कर सकता है। ● रूस इससे पहले 2015, 2017 और 2019 में टुंड्रा उपग्रह लॉन्च कर चुका है। ● लॉन्च का ग्राउंड ट्रैक "पिछले मिशनों से मेल खाता है" कुपोल या गुंबद नामक रूस की मिसाइल चेतावनी प्रणाली के लिए उपग्रह वितरित करता है। ○ 2019 में अनावरण किया गया, कुपोल को बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगाने और उन्हें उनके लैंडिंग साइट पर ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हालांकि इसका सटीक विन्यास अज्ञात है।
5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर नए स्टेट ऑफ़ मॉन्स्टर ब्लैक होल का पता चला	**सुर्खियों में:** भारतीय खगोलविदों ने सामान्य से 10 गुना अधिक एक्स-रे उत्सर्जन के साथ एक बहुत ही उज्ज्वल अवस्था में एक सक्रिय आकाशगंगा पाया है, जो 10 ट्रिलियन से अधिक सूर्य के बराबर है, और 5 बिलियन प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है जो यह जांचने में मदद कर सकता है कि कण किस तरह से व्यवहार करते हैं तीव्र गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति का त्वरण। ● यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के निर्माण, परस्पर क्रिया और विकास में मजबूत गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के त्वरण की भूमिका का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। ● ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक आकाशगंगा अपने केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल (SMBH) की मेजबानी करती है। कुछ आकाशगंगाओं में, ब्लैक होल सक्रिय रूप से बड़ी मात्रा में सामग्री को खा रहा है और लगभग हमारी ओर प्रकाश की गति से प्लाज्मा के एक जेट की शूटिंग कर रहा है। इन्हें ब्लेज़र कहा जाता है। ● OJ 287 ब्लेज़र्स के एक वर्ग से संबंधित है जिसे BL लैकरेट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, जो बहुत तेज़ और बड़े आयाम वाले फ्लक्स विविधताएं दिखाते हैं लेकिन बमुश्किल ध्यान देने योग्य उत्सर्जन लाइन विशेषताएं हैं। स्रोतों का यह वर्ग पूरे विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उत्सर्जित होता है, बल्कि एक असामान्य घटना है जिसके लिए अत्यधिक भौतिक स्थितियों की आवश्यकता होती है। ● इसलिए ऐसे स्रोतों का अध्ययन हमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के बारे में बताता है जहां ब्लैक होल के आसपास से प्रकाश का भी बचना मुश्किल है। ● ब्लेज़र की वर्णक्रमीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन बहुत दुर्लभ हैं, और इसी तरह ब्रह्मांड में बाइनरी SMBH सिस्टम भी हैं। ऐसे स्रोतों के बहु-तरंगदैर्ध्य अध्ययन ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान जेट के निर्माण में, और प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के गठन, बातचीत और विकास में प्रकाश की गति के लिए मजबूत गुरुत्वाकर्षण और कणों के त्वरण की भूमिका स्थापित कर सकते हैं।
ओमाइक्रोन (Omicron) चिंता का नया रूप	**संदर्भ:** WHO ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले B.1.1.1.529 प्रकार को SARS-CoV-2 "चिंता का प्रकार" के रूप में वर्गीकृत किया है, यह कहते हुए कि यह अन्य रूपों की तुलना में अधिक तेज़ी से फैल सकता है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:** ● प्रारंभिक साक्ष्य ने सुझाव दिया कि पुन: संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और COVID-19 महामारी विज्ञान में एक हानिकारक परिवर्तन हुआ है। ● इस प्रकार का संक्रमण में पिछले उछाल की तुलना में तेज दरों पर पता चला है, यह सुझाव देता है कि इस प्रकार का विकास लाभ हो सकता है। ● WHO ने यह भी नोट किया कि वर्तमान PCR परीक्षण सफलतापूर्वक वैरिएंट का पता लगाने के लिए जारी हैं। ● हालांकि वैरिएंट को बेहतर ढंग से समझने से पहले चिकित्सा विशेषज्ञों ने किसी भी तरह की अतिरेक प्रतिक्रिया के खिलाफ चेतावनी दी थी, देशों ने हवाई यात्रा को रोकने के लिए दौड़ लगाई, बाजारों में तेजी से गिरावट आई और वैज्ञानिकों ने सटीक जोखिमों का आकलन करने के लिए आपातकालीन बैठकें कीं। **SARS-CoV-2 प्रकार के वर्ग**

	रुचि के प्रकार (Variant of Interest) • विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों वाला एक प्रकार जो रिसेप्टर बाइंडिंग में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है जो इसके निदान को प्रभावित करता है और अद्वितीय प्रकोप समूहों का कारण बनने की उम्मीद है। • यह संप्रेषणीयता में वृद्धि की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। • इसे आनुवंशिक परिवर्तन जैसे कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए अनुमानित या ज्ञात हैं जैसे कि संक्रमण, रोग की गंभीरता, प्रतिरक्षा से बचना आदि। • यह चिंता के एक प्रकार (variant of concern-VOC) की तुलना में निम्न स्तर की चिंता का प्रतिनिधित्व करता है। **चिंता का प्रकार** • एक प्रकार जिसके लिए संचरण क्षमता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे, अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु में वृद्धि) का प्रमाण है। • यह पिछले संक्रमण या टीकाकरण, उपचार या टीकों की कम प्रभावशीलता, या क्लीनिक पहचान विफलताओं के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा बेअसर करने में महत्वपूर्ण कमी के लिए जाना जाता है। • उदाहरण - SARS-CoV-2 के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी (WISER) कार्यक्रम	**सुर्खियों में:** पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम कल शुरू किया गया है - भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी (WISER) कार्यक्रम (WISER) IGSTC) संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। • अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों/उद्योग में नियमित/दीर्घकालिक शोध पदों पर आसीन महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करना। • कार्यक्रम में भागीदारी पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से संभव होना। • न तो ब्रेक-इन-कैरियर की आवश्यकता है और न ही कोई आयु सीमा, और यह आसान भागीदारी को सक्षम करेगा। • IGSTC पुरस्कार विजेताओं को अधिकतम भारतीय पक्ष से रु. 39 L और जर्मन पक्ष से € 48000। WISER कार्यक्रम प्रति वर्ष 20 पुरस्कार प्रदान करता है।
स्वदेश का विकास	**भाग:** प्रारंभिक परीक्षा **सुर्खियों में:** हाल ही में DBT-नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (DBT-NBRC) ने प्रोजेक्ट स्वदेश-वर्ल्ड का पहला मल्टीमॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स विकसित किया है। • मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए शोधकर्ताओं के लिए प्रमाणित न्यूरोइमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा और एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक अनूठी मस्तिष्क पहल है। • स्वदेश पहला बड़े पैमाने का मल्टीमॉडल न्यूरोइमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों के लिए बिग-डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया है। • अल्जाइमर रोग (AD) अनुसंधान को मजबूत करने और वैज्ञानिक समुदाय को आशाजनक उपचारों के साथ आने में मदद करने के लिए। स्वदेश एक बड़े डेटा आर्किटेक्चर का प्रस्ताव करता है जो छह मॉड्यूल का प्रबंधन और विश्लेषण करता है, अर्थात् न्यूरोडीजेनेरेटिव [AD, हल्के संज्ञानात्मक हानि (mild cognitive impairment-MCI), और पार्किंसंस रोग (PD)], न्यूरोसाइकिएट्रिक (सिज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार), न्यूरोडेवलपमेंटल (ऑटिज़्म और मिर्गी), COVID -19-संबंधित विकार, अन्य विकार, और स्वस्थ विषय।
भारतीय जैव जेट ईंधन प्रौद्योगिकी	**संदर्भ:** जैव जेट ईंधन के उत्पादन के लिए सीएसआईआर- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (CSIR-IIP) की घरेलू तकनीक को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। • इसे 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्' - भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रमाणन 'सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:** • बायोजेट ईंधन "अखाद्य वृक्ष जनित तेल (non-edible tree borne oil)" से तैयार किया जाता है और भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है।

	• यह ईंधन छत्तीसगढ़ बायोडीजल विकास प्राधिकरण (Chattisgarh Biodiesel Development Authority-CBDA) से प्राप्त जटरोफा तेल से बनाया जाता है और CSIR-IIP, देहरादून में संसाधित किया जाता है। • भारतीय जैव-जेट ईंधन का उत्पादन इस्तेमाल किये गये खाना पकाने के तेल, पेड़ से उत्पन्न तेल, किसानों द्वारा गैर मौसमी और कम समय में तैयार होने वाली तिलहन फसलों और खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाइयों से निकले अपशिष्ट से किया जा सकता है। • यह पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में अपने बेहद निम्न स्तर के सल्फर तत्व के कारण वायु प्रदूषण को कम करेगा। • जेट्रोफा तेल जेट ईंधन में परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। इस बायोजेट ईंधन को एयरलाइन उद्योग से व्यापक स्वीकृति मिली है। • वर्तमान में, विमानन क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2% का योगदान देता है। वाणिज्यिक जैव ईंधन उड़ानें इंडियन एयरलाइंस को ईंधन दक्षता और कार्बन उत्सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी। • CSIR-IIP द्वारा इस विकसित प्रौद्योगिकी का पिछले तीन वर्षों में मूल्यांकन, जांच और परीक्षण किया गया है। • इससे पहले 26 जनवरी, 2019 को, मिश्रित जैव-जेट ईंधन के साथ एक 'एएन-32 विमान' गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में राज पथ के ऊपर से उड़ा था। **जैव ईंधन क्या हैं?** • जैव ईंधन बायोमास से निर्मित ईंधन हैं। • बायोमास संसाधन कृषि, वानिकी और संबंधित उद्योगों के उत्पादों, अपशिष्टों और अवशेषों के साथ-साथ औद्योगिक और नगरपालिका कचरे के बायोडिग्रेडेबल अंश के बायोडिग्रेडेबल भाग हैं। **जैव ईंधन का वर्गीकरण** ○ **पहली पीढ़ी:** मक्का, गन्ना, रेपसीड, ताड़ और सोयाबीन जैसी खाद्य फसलों से इथेनॉल और बायोडीजल में उत्पादित, बीयर और वाइन बनाने में उपयोग की जाने वाली समान प्रक्रिया का उपयोग करके। ○ **दूसरी पीढ़ी:** गैर-खाद्य फसलों और जैविक कृषि अपशिष्ट से उत्पादित, जिसमें सेल्यूलोज होता है। ○ **तीसरी पीढ़ी:** शैवाल से व्युत्पन्न। ग्रीन हाइड्रोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है। ○ **चौथी पीढ़ी:** बायोमास सामग्री को परिवर्तित करके टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन करने के साथ-साथ CO2 को कैप्चर और स्टोर करना, जो बढ़ते समय CO2 को ईंधन में अवशोषित कर लेते हैं।
रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)	**संदर्भ:** रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के तहत रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत और अमेरिका "विस्तृत योजना का अनुसरण करके" संवाद को मजबूत करने के लिए एक संशोधित आशय के वक्तव्य (SOI) पर सहमत हुए। और कई विशिष्ट परियोजनाओं पर मापने योग्य प्रगति कर रहा है। **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) क्या है?** • ओबामा प्रशासन के तहत 2012 में बनाया गया। • **उद्देश्य:** "अद्वितीय राष्ट्रीय नौकरशाही संरचनाओं, अधिग्रहण मॉडल और बजट प्रक्रियाओं के कारण बाधाओं पर काबू पाने के द्वारा रक्षा उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए। • इसमें भारत और अमेरिका के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय संवाद और सहभागिता शामिल है। **चार संयुक्त कार्य समूह** • परस्पर सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए DTTI के तहत भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई थी। • हाल ही में दोनों पक्षों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स के तहत एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए पहली परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। **रक्षा उद्योग सहयोग मंच** • रक्षा उद्योग सहयोग मंच का वर्चुअल एक्सपो भी आयोजित किया गया। • यह मंच भारतीय और अमेरिकी उद्योगों को सीधे DTTI में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है और औद्योगिक

	सहयोग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार और उद्योग के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करता है।
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC) 2021: समापन टिप्पणी	**संदर्भ :** भारतीय नौसेना द्वारा 07 से 09 नवंबर 2021 तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (जीएमसी) - 2021 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में की जा रही है। **GMC में समापन टिप्पणी** • नौसेनाध्यक्ष एडमिरल ने "भविष्य के संस्करणों के लिए चार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए: o पुनरावृत्त और वृद्धिशील लाभ, o पूरकताओं का दोहन, o तुल्यकालन और केंद्रित संचालन, o मौजूदा क्षमताओं को उन्नत और उन्नत करना। **सामान्य समुद्री प्राथमिकताएं** • GMC जीएमसी 2021 में, भारतीय नौसेना बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुखों/ समुद्री बलों के प्रमुखों की मेजबानी कर रही है। **भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन** • भारत और सिंगापुर ने पनडुब्बी बचाव पर प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं और इस तंत्र का उपयोग करने के लिए अधिक देशों के साथ चर्चा चल रही है। **गहरे जलमग्न बचाव वाहन** • नौसेना ने यूके से दो DSRVs खरीदे हैं, जिनमें से पहला 2018 के अंत में मुंबई में और दूसरा 2019 की शुरुआत में विशाखापत्तनम में चालू किया गया था। • यह सिस्टम 650 मीटर की अधिकतम गहराई तक जा सकता है और एक बार में 14 लोगों को बचा सकता है। • DSRVs को चुस्त और दूर-दराज के स्थानों तक आसानी से ले जाने योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है • INS साबरमती के मूल जहाज से जुड़े DSRVs को IL-76 और C-17 जैसे भारी परिवहन विमानों द्वारा ले जाया जा सकता है।
Tech NEEV/नीव@75	**प्रसंग :** केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 नवंबर, 2021 को 'टेक एनईईवी/नींव @75' (Tech NEEV/ नीव @75) का उद्घाटन किया। **महत्वपूर्ण तथ्य** • सरकार ने आदिवासी समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 2022 के अंत तक अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 30 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। o अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित 75 STI केंद्र में से 20 पहले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। • 'टेक एनईईवी/नींव @75' एक साल तक चलने वाला उत्सव है, जो समान समावेशी आर्थिक विकास के लिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार (एसटीआई) के प्रभाव को दर्शाता है। • टेक एनईईवी एक साल तक चलने वाला उत्सव है जो समान समावेशी आर्थिक विकास के लिए समुदायों को सशक्त बनाने में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार (STI) के प्रभाव को उजागर करता है। • 75 घंटे के इस कार्यक्रम में आत्म-निर्भर भारत की दिशा में 75 प्रभावशाली कहानियों के संकलन के अलावा लाभार्थियों, सामुदायिक परिवर्तन लाने वाले लीडर्स के अनुभव साझा करना और विभिन्न लाभार्थियों की गोलमेज चर्चाएं शामिल हैं।
नाविक (NaVIC)	भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन (NAVIC) भारत की स्वदेशी वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। • NAVIC में तीन भूस्थिर, चार भू-समकालिक और दो ऑन-स्टैंडबाय उपग्रहों का एक समूह होता है। • नाविक भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में 1,500 किमी तक सटीक रीयल-टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। **NAVIC के अनुप्रयोग**

	• स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन • आपदा प्रबंधन • वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन • मोबाइल फोन के साथ एकीकरण • सटीक समय, मानचित्रण और जियोडेटिक डेटा कैप्चर • हाइकर्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता • ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन
आयोग की रिपोर्ट धूम्रपान के विरुद्ध फिर से लड़ाई शुरू	**संदर्भ :** हाल ही में धूम्रपान पर एक रिपोर्ट "धूम्रपान के खिलाफ लड़ाई पर राज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग" द्वारा जारी की गई थी, जो दुनिया भर में धूम्रपान को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करती है। **आयोग के बारे में** • आयोग में यू.एस., यू.के., दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और भारत के सदस्य हैं। • यह कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करता है, जिसमें तंबाकू के उपयोग में रुझान, समाप्ति के प्रयासों की चुनौतियां, तकनीकी नवाचारों का उदय, COVID-19 महामारी से सबक आदि शामिल हैं। **मुख्य निष्कर्ष** • सभी देश बच्चों को तंबाकू उत्पादों के विपणन और प्रत्यक्ष बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन निम्न-से-मध्यम आय वाले देशों में इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। • विक्रेताओं ने स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन किया और सिगरेट और बीड़ी को पैकेट से निकालकर खुला बेचा, जिससे ये उत्पाद बच्चों और युवाओं के लिए सस्ते और सुलभ हो गए। ○ 54 प्रतिशत प्वाइंट्स पर तम्बाकू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के बारे में अनिवार्य सूचना ऐसे दी गई है, जो देखे ही नहीं जा सकते थे। • भारत उन देशों में शामिल है जहां धूम्रपान छोड़ने की दर सबसे कम है। पुरुषों के लिए छोड़ने की दर 20% से कम है। • चीन और भारत में 16 से 64 वर्ष की आयु के बीच 500 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ता हैं। • भारत में तंबाकू का प्रसार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में तीन गुना अधिक है। भारत भी दुनिया में धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग और मुंह के कैंसर की उच्चतम दरों में से कुछ के लिए जिम्मेदार है। **सिफारिश** • गलत सूचना से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। • तंबाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक स्वस्थ सूचना वातावरण का निर्माण करना। • बहुराष्ट्रीय, बहु-विषयक और सहभागी दूरदर्शिता अध्ययनों का लाभ उठाना। • धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान छोड़ना, आसान बनाने के साधन के रूप में जोखिम-आनुपातिक नियमों की वकालत करना।
भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल सांइस लैब का शुभारंभ	**सुर्ख़ियों में:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) जिज्ञासा कार्यक्रम (Jigyasa programme) के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब (Virtual Science Lab) लॉन्च की है। • एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम पर आधारित स्कूली छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवीन शिक्षाशास्त्र प्रदान करना। • ये विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और आईटी विषयों पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे और अनुभवी शोधकर्ताओं तथा संकायों से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध होगी, लेकिन बाद में इसे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। • आभासी प्रयोगशाला CSIR प्रयोगशालाओं का एक आभासी दौरा प्रदान करेगी और छात्रों को अनुसंधान बुनियादी ढांचे के बारे में बताएगी। जिज्ञासा (Jigyasa) कार्यक्रम के तहत वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए सीएसआईआर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के साथ भी भागीदारी की है।

	• वर्चुअल लैब का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवाचार शिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। • जिज्ञासा से प्रेरित अनुसंधान आधारित अवधारणाओं को सक्षम करेगा, उच्च क्रम सोच कौशल को प्रोत्साहित करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा और विज्ञान के बारे में जुनून विकसित करेगा।
नया क्रिप्टो बिल (New Crypto Bill)	**संदर्भ:** आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। **प्रमुख प्रावधान** • क्रिप्टोक्यूरेंसी को विनियमित और सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करना। • RBI द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना । • अब तक, कोई सार्वजनिक परामर्श आयोजित नहीं किया गया है। **वर्तमान स्थिति क्या है?** • क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने सिफारिश की कि भारत में राज्य द्वारा जारी किसी भी आभासी मुद्रा को छोड़कर, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा। • आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चिंता जताई है। **क्रिप्टोकरेंसी क्या हैं?** • डिजिटल मुद्राएं जिसमें मुद्रा की इकाइयों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। • **उदाहरण:** बिटकॉइन, एथेरियम आदि।

IAS BABA

INTEGRATED LEARNING PROGRAM (S-ILP) – 2022

Road to Mussoorie...

- Detailed Study Plan With Daily Targets
- Essay Guidance
- 63 Prelims & 66 Mains Tests
- CSAT Tests
- Value Add Notes- For Prelims & Mains
- Strategy Classes
- Babapedia - One Stop Destination for Current Affairs - Prelims + Mains
- Mind Maps For GS Mains

ADD-ONS Mentorship, Mains Evaluation, Current Affairs Classes

ENROLL NOW

Scan here to know more

बेसिक ग्रुप आफ कंट्रीज	**संदर्भ:** भारतीय पर्यावरण मंत्री जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बेसिक ग्रुप आफ कंट्रीज- ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका व चीन की ओर से कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज (COP 26) के आरंभिक उद्घाटन सत्र में यह बयान दिया। • ये प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम जिम्मेदारी वहन करते हैं। • उनकी महत्वपूर्ण आबादी के कारण उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी कम है। **बेसिक देशों की मांग** • COP26 पर पेरिस समझौता नियम पुस्तिका समाप्त करना। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे निष्पक्ष रूप से और ठीक से लागू किया गया है, नियम पुस्तिका उपकरण और प्रक्रियाओं को निर्धारित करके पेरिस समझौते को गति प्रदान करेगी। • **CBDR-RC:** इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों के कार्यान्वयन पर पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। • समझौता समय और नीति स्थान: विकासशील देशों को कम उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर संक्रमण के लिए समय, नीति स्थान और समर्थन दिया जाना चाहिए। **इस बेसिक के बारे में** • चार देशों द्वारा 28 नवंबर, 2009 को हस्ताक्षरित एक समझौते के परिणामस्वरूप बेसिक समूह का गठन किया गया था। • देश - ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। **समूहीकरण का महत्व:** • इन राष्ट्रों का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर धन जुटाने पर समान स्थिति है। • यह समूह महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के पास दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई और दुनिया की लगभग 40% आबादी है, और जब वे एकजुट होकर एक स्वर में बोलते हैं तो यह उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
भारत और विश्व बैंक	**सुर्ख़ियों में:** भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और COVID-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करेगी। • राज्य और उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रबंधन और शासन क्षमताओं को बढ़ाना। • राज्य के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के डिजाइन और कवरेज का विस्तार करना। • प्रमाणन और बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। • दवाओं और निदान के लिए कुशल पहुंच सक्षम करना। परियोजना से राज्य के सभी 11 जिलों को लाभ होगा • प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी योजना और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करके और उनके नैदानिक कौशल का निर्माण करके लाभान्वित करना । • सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाना।
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (Goa Maritime Conclave)	**भाग:** प्रारंभिक और जीएस II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा **प्रसंग :** गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (Goa Maritime Conclave - GMC) 2021 का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 07 से 09 नवंबर, 2021 तक नेवल वॉर कॉलेज (Naval War College), गोवा में आयोजित किया गया है। • **थीम:** "समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर-पारंपरिक • **खतरे:** IOR नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला"।

	• यह तीसरा संस्करण होगा। • GMC भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है जो समुद्री सुरक्षा पर सामूहिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • 12 हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region - IOR) देशों के नौसेना प्रमुख / समुद्री बलों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, • जिसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र में गैर-पारंपरिक खतरों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। • हाइड्रोग्राफी और समुद्री सूचना साझा करने के क्षेत्र में भी चर्चा होगी। • कॉन्क्लेव के हिस्से के रूप में, आगंतुकों को 'मेक इन इंडिया प्रदर्शनी' में भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को देखने का अवसर मिलेगा।
यूएई और बहरीन ने इस्राइल के साथ किया नौसैनिक अभ्यास	**संदर्भ :** संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजरायल के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। • लाल सागर में पांच दिवसीय युद्धाभ्यास, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, का उद्देश्य "भाग लेने वाले बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। • इस अभ्यास का उद्देश्य नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापार के मुक्त प्रवाह की रक्षा करना है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। **लाल सागर के बारे में** • लाल सागर एक अर्ध-संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है, जो पश्चिम में उत्तरपूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। • बेसिन भूमध्य सागर, उत्तर-पश्चिम और हिंद महासागर के बीच दक्षिण-पूर्व तक फैला हुआ है। • उत्तरी छोर पर, यह अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में अलग हो जाती है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। • दक्षिणी छोर पर, यह बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा

	हुआ है। • यह पृथ्वी पर सबसे युवा महासागरीय क्षेत्रों में से एक है। • लाल समुद्र के अद्वितीय आवास समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं, जिसमें समुद्री कछुए, डगोंग, डॉल्फ़िन और कई स्थानिक मछली प्रजातियां शामिल हैं। • प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य तटों तक फैली हुई हैं।
APEC शिखर सम्मेलन, 2021	**संदर्भ:** हाल ही में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation) की मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा की गई थी। **इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं** • नेताओं ने 'जुड़ें, काम करें, आगे बढ़ें, एक साथ (Join, Work, Grow, Together)' की थीम के तहत एक घोषणा को अपनाते हुए 2021 APEC आर्थिक नेताओं की बैठक का समापन किया। • **प्रतिबद्धताएं:** ○ आर्थिक सुधार में तेजी लाना और सतत और समावेशी विकास हासिल करना। ○ जलवायु परिवर्तन से निपटना। ○ अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता वाले समूहों को सशक्त बनाना। ○ डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना। • नेताओं ने आओटेरोआ कार्य योजना (Aotearoa Plan) का भी समर्थन किया। यह APEC पुत्रजय विजन 2040 (Putrajaya Vision 2040) को लागू करने का खाका है, जिसे 2020 APEC आर्थिक नेताओं की बैठक में अपनाया गया था। ○ Aotearoa कार्य योजना का लक्ष्य 2040 तक "खुले, गतिशील, फ्लेक्सिबल और शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत समुदाय" है। • APEC शिखर सम्मेलन-2022 थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। **APEC के बारे में** • APEC एक ऐसा मंच है जिसमें 21 एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। • APEC की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। यह समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। • इसका उद्देश्य यूरोप से परे कृषि उत्पादों और कच्चे माल के लिए नए बाजार स्थापित करना था। • **मुख्यालय:** सिंगापुर। • समूह 2018 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% और विश्व व्यापार का 48% प्रतिनिधित्व करता है। • **आधिकारिक पर्यवेक्षक:** एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस सेक्रेटेरिएट (ASEAN), द पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल (PECC) और पैसिफिक आइलैंड्स फोरम सेक्रेटेरिएट (PIF)। • भारत APEC का सदस्य नहीं है। इसके सदस्य देशों में शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, चीन, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, रूस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम औरअमेरिका। ○ भारत ने APEC में सदस्यता के लिए अनुरोध किया था जिसे ऑस्ट्रेलिया,अमेरिका, जापान और पापुआ न्यू गिनी से प्रारंभिक समर्थन प्राप्त हुआ था। ○ लेकिन अधिकारियों ने भारत को अनुमति नहीं देने का फैसला किया क्योंकि इसकी प्रशांत महासागर के साथ सीमा नहीं है। नवंबर 2011 में, भारत को पहली बार पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतंत्र शिखर सम्मेलन	**संदर्भ :** इंडिया 9 और 10 दिसंबर को होने वाले यू.एस.ए. के "समिट फॉर डेमोक्रेसी" में भाग लेगा। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 100 से अधिक लोकतांत्रिक देशों को आमंत्रित किया गया है।

	• शिखर सम्मेलन में "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं" को शामिल करने की उम्मीद है। • प्रमुख विषय: "अधिनायकवाद के खिलाफ बचाव", "भ्रष्टाचार को संबोधित करना और लड़ना", और "मानव अधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाना"। • पहले अमेरिका और यूके द्वारा जी-7 बैठक को "डी-10" या 10 लोकतंत्रों के समूह में विस्तारित करने का प्रयास किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया सहित G-7 समूह के साथ वैश्विक आबादी के 60% का प्रतिनिधित्व करेगा। ○ सात का समूह (G7) कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है।

लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जेंडर इक्वलिटीको खतरा: यूनेस्को का अध्ययन	**संदर्भ :** यूनेस्को के एक नएअध्ययन, जिसका शीर्षक है "जब स्कूल बंद होते हैं: कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने का लैंगिक प्रभाव' हाल ही में जारी किया गया था।
	रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
	• **लैंगिक समानता के लिए खतरा:** दुनिया भर में स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण शैक्षिक व्यवधान से सीखने की हानि पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा और यह लैंगिक समानता के लिए भी खतरा पैदा करेगा।
	• **अलग-अलग प्रभाव:** वैश्विक अध्ययन इस बात को सामने लाता है कि लड़कियां और लड़के, युवा महिलाएं और पुरुष शैक्षणिक संस्थान बंद होने से अलग-अलग तरीके से प्रभावित हुए।
	• कोविड-19 महामारी के चरम दिनों में 190 देशों में 1.6 अरब छात्र स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए।
	• उन्होंने न केवल शिक्षा तक पहुंच खो दी, बल्कि वे स्कूल जाने के कई लाभों से भी वंचित हो गए।
	• लैंगिक मानदंड और अपेक्षाएं दूरस्थ शिक्षा में भाग लेने और उससे लाभ उठाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
	  ○ गरीब संदर्भों में, लड़कियों के सीखने का समय घरेलू कामों में वृद्धि के कारण बाधित होता था।
	  ○ सीखने में लड़कों की भागीदारी आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों द्वारा सीमित थी।
	  ○ इंटरनेट-सक्षम उपकरणों तक सीमित पहुंच, डिजिटल कौशल की कमी और तकनीकी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले सांस्कृतिक मानदंडों के कारण लड़कियों को डिजिटल रिमोट लर्निंग तौर-तरीकों में संलग्न होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

लिथियम जमा (Lithium deposits)	**संदर्भ:** कई चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान में लिथियम जमा को टैप करने के लिए संभावित परियोजनाओं का "ऑन-साइट निरीक्षण" शुरू कर दिया है।
	• अफगानिस्तान में तांबा, सोना, रत्न, बेरिलियम, लौह अयस्क, संगमरमर, तेल और गैस, तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
	• हाल के अनुमानों से पता चलता है कि अप्रयुक्त खनिजों का मूल्य $3 ट्रिलियन तक हो सकता है।
	लिथियम के बारे में
	• 2010 के एक अमेरिकी अध्ययन से पता चला है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक हो सकता है।
	• लिथियम को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के वैश्विक एजेंडे की कुंजी माना जाता है।
	• **उपयोग:** रिचार्जेबल बैटरी
	  ○ चीनी मिट्टी की चीज़ें और कांच
	  ○ लुब्रिकेटिंग (Lubricating greases)
	  ○ पॉलिमर उत्पादन
	• हाल के वर्षों में बैटरियों के लिए लिथियम की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
	• विश्व के पास 80 मिलियन टन लिथियम के निर्धारित भंडार हैं।
	• **उच्चतम जमा राशि वाले देश:** बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और यूएसए।

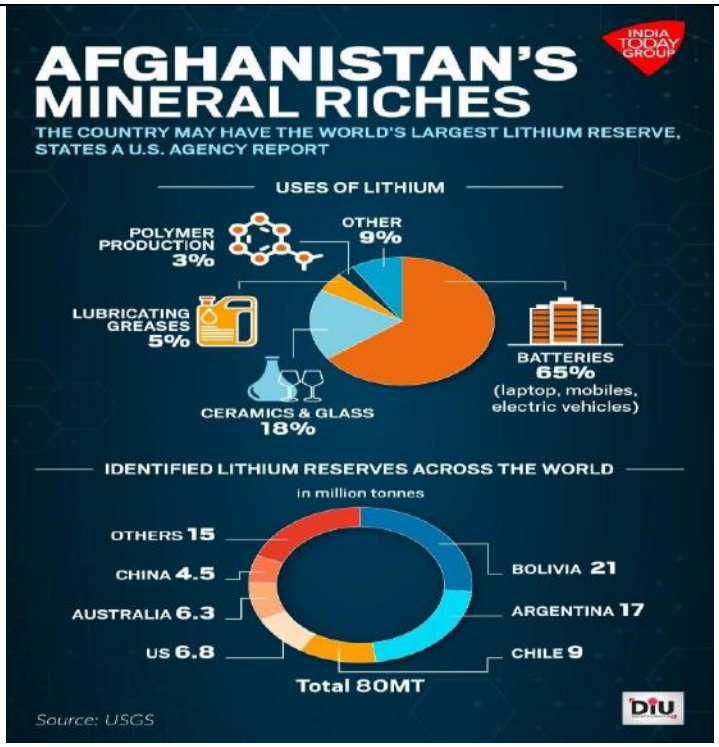

मोरक्को-इजरायल समझौता	**प्रसंग :** इज़राइल और मोरक्को ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और भविष्य में हथियारों की बिक्री की नींव रखता है। • मोरक्को ने 2020 में यू.एस.-ब्रोकरेड अब्राहम समझौते के हिस्से के रूप में इज़राइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए। • मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान ने अब्राहम समझौते के हिस्से के रूप में 2020 में इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो ट्रम्प प्रशासन द्वारा दलाली (brokered) किए गए थे। **मोरक्को के बारे में** • उत्तरी अफ्रीका के माघरेब क्षेत्र में सबसे उत्तर पश्चिमी देश। • इसके उत्तर में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है **अब्राहम समझौते के बारे में** • इज़राइल, यूएई और यूएसए के बीच एक संयुक्त बयान 13 अगस्त, 2020 को आया। • इस शब्द का प्रयोग सामूहिक रूप से इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच समझौतों के लिए भी किया गया था।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)	**संदर्भ:** हाल ही में सरकार के प्रमुखों की SCO (Shanghai Cooperation Organisation) परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी। **शंघाई सहयोग संगठन के बारे में** • शंघाई सहयोग संगठन भारत और उसके पड़ोस सहित कई महत्वपूर्ण देशों का एक राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा है। • भारत SCO का पूर्ण सदस्य है। • **SCO का सचिवालय:** बीजिंग • **8 सदस्य देश :** रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। • फोरम की आंतरिक नीति शंघाई स्पिरिट से प्रेरित है: आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, आपसी परामर्श और सामान्य विकास की इच्छा के सिद्धांतों पर आधारित है। • SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure-RATS): SCO का स्थायी अंग जो आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य

	करता है। ○ इसका मुख्यालय ताशकंद में है।
भारत और अमेरिका इक्व लाइसेंशन लेवी 2020 को लेकर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत	**सुर्ख़ियों में:** भारत और अमेरिका ओईसीडी या जी20 समावेशी ढांचे के 134 अन्य सदस्यों में शामिल हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक दो-स्तंभ समाधान पर वक्तव्य पर समझौता हुआ। • समझौता संयुक्त बयान में परिलक्षित होता है जो उस तारीख (21 अक्टूबर संयुक्त वक्तव्य) पर उन छह देशों द्वारा जारी किया गया था। • भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि 21 अक्टूबर के संयुक्त वक्तव्य के तहत लागू होने वाली समान शर्तें सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर भारत के 2 प्रतिशत बराबरी के शुल्क के संबंध में अमेरिका और भारत के बीच लागू होंगी और यू.एस. उक्त समानीकरण लेवी के संबंध में व्यापार कार्रवाई करेगा।
बांग्लादेश: विकासशील राष्ट्र का दर्जा	**संदर्भ:** भारत ने बांग्लादेश को एक न्यूनतम विकसित देश से विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने पर बधाई दी। • नों देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को चिह्नित करने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे, जो अपनी स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश था। **मुख्य विचार** • भारत-बांग्लादेश CEO Forum पहली बार जल्द ही मिलेंगे, भले ही दोनों देश प्रतिस्पर्धियों के बजाय भागीदारों के रूप में व्यापार और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हों। • भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें साकार करने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना "अनिवार्य" है। • बंगलादेश दक्षिण एशिया में 10 अरब डॉलर से अधिक की मात्रा के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। • भारत ने देश को एक करोड़ से अधिक COVID-19 वैक्सीन खुराक भेजी थी और लगभग 8 बिलियन डॉलर की रियायती क्रेडिट लाइन दी है, जो किसी एक देश के लिए सबसे अधिक है। • कपड़ा क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक द्विपक्षीय कपड़ा उद्योग मंच का भी गठन किया गया है। • भारत मिरसराय और मोंगला में दो भारतीय आर्थिक क्षेत्र भी विकसित कर रहा है। • भारत ने पांच फोकस क्षेत्रों की पहचान की है जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं: o प्रौद्योगिकी o कनेक्टिविटी

	o उद्यमिता o स्वास्थ्य o पर्यटन।
अभ्यास 'SIMBEX	**संदर्भ :** SITMEX-21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर 21 तक आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाएं भाग लेंगी। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • भारतीय नौसेना (आईएन), आरएसएन और आरटीएन के बीच आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के उद्देश्य से 2019 से हर साल SITMEX का आयोजन किया जा रहा है। • भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) करमुक (Karmuk) भारत से तीसरे संस्करण में भाग ले रहा है। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट (Missile Corvette) है। • SITMEX के पहले संस्करण की मेजबानी IN ने सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर के बाहर की थी। RSN ने नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी अंडमान सागर में आरटीएन द्वारा की जा रही है।
विश्व बैंक की स्टार्स परियोजना (World Bank's STARS project)	**संदर्भ :** विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना स्टार्स के प्रदर्शन की हाल ही में समीक्षा की गई थी **स्टार्स क्या है?** • STARS का मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिज़ल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम (STARS) है। • यह एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। • **मंत्रालय:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। • **उद्देश्य:** छह भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना। • **छह राज्य हैं-** हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। • **लाभार्थी:** 1.5 मिलियन स्कूलों में लगभग 250 मिलियन छात्र (6 से 17 वर्ष की आयु के बीच), और 10 मिलियन से अधिक शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। • इस परियोजना के तहत सुधार पहल में शामिल हैं। • अनुकूलित स्थानीय स्तर के समाधान प्रदान करके शिक्षा सेवाओं के वितरण पर अधिक सीधे ध्यान केंद्रित करना। • अधिक जवाबदेही के लिए हितधारकों, विशेष रूप से माता-पिता की मांगों को संबोधित करना; कमजोर वर्ग के छात्रों पर विशेष ध्यान देना। • इस परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए शिक्षकों को तैनात करना। • यह स्वीकार करना कि शिक्षक बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्रीय हैं। • बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत करके भारत की मानव पूंजी की जरूरतों को विकसित करने में अधिक निवेश करना।
यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF)	**संदर्भ:** हाल ही में यू.एस. व्यापार प्रतिनिधि चार साल के ब्रेक के बाद यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF) को पुनर्जीवित करने के लिए भारत आए थे। **द्विपक्षीय व्यापार में प्रमुख बाधाओं के रूप में भारत के नियामक मानदंड** • बाजार पहुंच प्रतिबंध • उच्च शुल्क • अप्रत्याशित नियामक आवश्यकताएं • प्रतिबंधात्मक व्यापार उपाय **विकास की ज्यादा संभावना वाले क्षेत्र** • डिजिटल अर्थव्यवस्था • सेवाएं • स्वास्थ्य संबंधी व्यापार • कृषि **आम चुनौतियां**

	• जलवायु परिवर्तन और स्थिरता • कमजोर आपूर्ति श्रृंखला • बाजारोन्मुख सिद्धांतों और संरचनाओं को बढ़ावा देना
रक्षा गठबंधन, AUKUS	**संदर्भ :** ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके ने हाल ही में AUKUS गठबंधन के तहत अपने देशों के बीच संवेदनशील "नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना" के आदान-प्रदान की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • गठबंधन के गठन के बाद से प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर किए जाने वाला यह पहला समझौता है। ○ AUKUS का गठन विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में सामरिक तनाव का सामना करने के लिए किया गया था जहां चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है। • इस सौदे से ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी खरीद में 18 महीने का अध्ययन पूरा करने में मदद मिलेगी। **AUKUS सौदे के बारे में** • AUKUS सौदे के तहत, ऑस्ट्रेलिया आठ अत्याधुनिक, परमाणु-संचालित लेकिन पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों को प्राप्त करेगा जो गुप्त, लंबी दूरी के मिशनों में सक्षम हैं।
AK-203 सौदे को मंजूरी	**संदर्भ:** रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) ने भारत में 6.71 लाख AK-203 रूसी असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए लंबे समय से लंबित सौदे को मंजूरी दे दी है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • दोनों देशों ने 2019 में एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किए थे। • बाद में उत्तर प्रदेश के कोरवा में राइफलों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया। • इग्ला-एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) सिस्टम को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। • भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए GSAT-7C संचार उपग्रह की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ○ लाभ: सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (SDRs) के लिए GSAT-7C उपग्रह और ग्राउंड हब को शामिल करने से सशस्त्र बलों की दृष्टि की रेखा (LoS) से परे संचार करने की क्षमता में वृद्धि होगी। **रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है?** • यह रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। • यह तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियां और पूंजी अधिग्रहण तय करता है। • **अध्यक्ष:** रक्षा मंत्री • कारगिल युद्ध (1999) के बाद 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।

विविध

डेयरी सहकार योजना	• हाल ही में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में "डेयरी सहकार" योजना आरंभ की। • अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमूल द्वारा आयोजित समारोह के दौरान डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया। • इस योजना के तहत, NCDC गोजातीय विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन और दूध और दूध उत्पादों के भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। • यह योजना देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, किसान की आय को दोगुना करने के साथ-साथ 'सहयोग से समृद्धि की ओर' के दृष्टिकोण को साकार करने के मौजूदा प्रयासों का पूरक होगा। • भारत सरकार एवं / या राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / विकास एजेंसियों / द्विपक्षीय / बहुपक्षीय सहायता / सीएसआर तंत्र की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है।
इंडोलॉजी या भारतीय अध्ययन	• इंडोलॉजी या भारतीय अध्ययन भारत के इतिहास और संस्कृतियों, भाषाओं और साहित्य का अकादमिक अध्ययन है और जैसे एशियाई अध्ययनों का एक सबसेट है। • Indology (जर्मन में) Indologie शब्द अक्सर जर्मन छात्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, • नीदरलैंड में इंडोलॉगी शब्द का उपयोग डच ईस्ट इंडीज में औपनिवेशिक सेवा की तैयारी में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को नामित करने के लिए किया गया था। • विशेष रूप से, इंडोलॉजी में संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म के साथ-साथ अन्य भारतीय धर्मों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और पल्ली साहित्य का अध्ययन शामिल है।
राष्ट्रीय एकता दिवस- नेशनल यूनिटी डे	• भारत में, राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। • वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री थे। • उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • भारत को एकीकृत (एक भारत) और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके विशाल योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। • उन्होंने श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) (सबसे महत्वपूर्ण भारत) बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। • उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी।
कोवोवैक्स (Covovax)	• जैव प्रौद्योगिकी फर्म नोवावैक्स इंक (Novavax Inc) और उसके सहयोगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India-SII) को इंडोनेशिया में नोवावैक्स के कोविड-19 टीके के लिए पहला आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) प्राप्त हुआ है। • SII भारत में वैक्सीन का निर्माण करेगा और कोवोवैक्स ब्रांड नाम के तहत इंडोनेशिया में इसका विपणन करेगा।

योद्धा महिला ओनाके ओबाव्वा (Warrior woman Onake Obavva)	• इस साल से कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में 'ओनाके ओबव्वा जयंती' मनाने का फैसला किया है। • ओनाके ओबाव्वा एक महिला योद्धा हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में हैदर अली की सेना से अकेले ही मूसल (कन्नड़ में 'ओनाके') से लड़ाई लड़ी थी। • वह चित्रदुर्ग किले की रक्षा करते हुए मर गईं, जिस पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक का शासन था।
लैंडरेस (Landraces)	• इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं में महाराष्ट्र के अहमदनगर के अकोले तालुका की रहिबाई पोपरे हैं, जिन्हें सीडमादर के नाम से जाना जाता है। • उनका पद्मश्री उनके काम की पहचान है जिसने ग्रामीण स्तर पर सैकड़ों भूमि (आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों) को बचाने में मदद की है। • भू-प्रजातियां आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रकारों को संदर्भित करती हैं। ये व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के विरोध में हैं, जिन्हें चयनात्मक प्रजनन (संकर) या आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरों पर एक निश्चित विशेषता व्यक्त करने के लिए विकसित किया जाता है। • जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने एक चुनौती ऐसी किस्मों को विकसित करना है जो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के तनावों का सामना कर सकें। • प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भू-प्रजातियों में अभी भी अप्रयुक्त आनुवंशिक सामग्री का एक बड़ा पूल है, जो समाधान प्रदान कर सकता है।
इंदिरा गांधी - जयंती	• एक भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय हस्ती थी। • वह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधान मंत्री थीं। • इंदिरा गांधी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। • उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया (हत्यारों ने उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम के एक्शन कोड के लिए दोषी ठहराया), जिससे वह अपने पिता के बाद दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधान मंत्री बनीं। • वह पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के युद्ध के समर्थन में पाकिस्तान के साथ युद्ध में गई, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जीत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, साथ ही साथ भारत के प्रभाव को उस बिंदु तक बढ़ा दिया जहां यह दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय आधिपत्य बन गया। • विखंडनीय प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए और क्रांति के आह्वान के जवाब में, गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति स्थापित की, जहां बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया और प्रेस को सेंसर कर दिया गया। • आपातकाल के दौरान व्यापक अत्याचार किए गए। 1980 में, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बाद सत्ता में लौटीं।
भारत के सबसे स्वच्छ शहर	• स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत इंदौर ने लगातार पांचवीं बार 'सबसे स्वच्छ शहर' का खिताब जीता। • Nine 5-Star Cities, 143 Cities 3-Star Garbage Free Cities • इंदौर, नवी मुंबई और नेल्लोर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे है। • वाराणसी 'सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन' के रूप में उभरा है। • महाराष्ट्र ने सफलतापूर्वक कुल 92 पुरस्कार जीते हैं, जो इस वर्ष के सर्वेक्षण में किसी भी राज्य द्वारा सबसे अधिक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को 67 पुरस्कार मिले हैं। • साथ ही, एक फ्यूचरिस्टिक (futuristic)और अत्याधुनिक स्थानिक GIS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो मिशन को स्मार्ट, डेटा संचालित निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। **पुरस्कार:** स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की विभिन्न पहलों के तहत कस्बों / शहरों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा

	स्वच्छता के लिए किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती, और शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के लिए प्रमाण है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश:	संयुक्त राज्य अमरीका
जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती	• बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुःख दूर करने के लिये भेजा है, इसलिये वे स्वयं को भगवान मानते थे। • वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे 'मुंडा उलगुलान' (विद्रोह) भी कहा जाता है। ○ इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। ○ इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। • घोषणापत्र आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करता है। • यह दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा।

राज्यव्यवस्था और शासन

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

प्रसंग: हाल ही में, केंद्र सरकार केंद्रीय सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना को नए सिरे से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।

प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) क्या है?

- AIJS सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधार कदम है।
- जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को संवर्गों को सौंपता है, उसी तरह निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केंद्रीय रूप से भर्ती करने और राज्यों को सौंपने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जाती है?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं और इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं।
- चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं।
- निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। PCS(J) को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है।

AIJS को प्रस्तावित क्यों किया गया है?

- केंद्रीकृत न्यायिक सेवा का विचार सबसे पहले विधि आयोग की 1958 की 'रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन' में रखा गया था।
- विचार एक कुशल अधीनस्थ न्यायपालिका को सुनिश्चित करने, राज्यों में अलग-अलग वेतन और पारिश्रमिक जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने, रिक्तियों को तेजी से भरने तथा राज्यों में मानक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए था।
- न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए एक मानक, केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए यूपीएससी जैसे वैधानिक या संवैधानिक निकाय पर चर्चा की गई।
- विधि आयोग की 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से प्रस्तावित किया गया था, जिसमें निचली अदालतों में मामलों की देरी और बकाया पर चर्चा की गई थी।
- 2006 में, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया।

AIJS पर न्यायपालिका का विचार क्या है?

- 1992 में, अखिल भारतीय न्यायाधीशों में सर्वोच्च न्यायालय। (1) v. भारत संघ ने केंद्र को एआईजेएस स्थापित करने का निर्देश दिया। फैसले की 1993 की समीक्षा में, अदालत ने इस मुद्दे पर पहल करने के लिए केंद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया।
- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया, और "केंद्रीय चयन तंत्र" की स्थापना की।
- वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जिन्हें अदालत ने न्याय मित्र नियुक्त किया था, ने अलग राज्य परीक्षा के बजाय एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। योग्यता सूची के आधार पर, उच्च न्यायालय तब साक्षात्कार आयोजित करेंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।

AIJS का विरोध क्या है?

- केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया को संघवाद के अपमान और संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यों की शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। यह कई राज्यों का मुख्य तर्क है, जिन्होंने यह भी तर्क दिया है कि केंद्रीय भर्ती उन विशिष्ट चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं होगी जो अलग-अलग राज्यों में हो सकती हैं।
- उदाहरण के लिए, भाषा और प्रतिनिधित्व, राज्यों द्वारा उजागर की जाने वाली प्रमुख चिंताएं हैं। न्यायिक व्यवसाय क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होता है, जो केंद्रीय भर्ती से प्रभावित हो सकता है।
- इसके अलावा, जाति के आधार पर और यहां तक कि राज्य में ग्रामीण उम्मीदवारों या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को केंद्रीय परीक्षण में कम किया जा सकता है, यह तर्क दिया गया है।
- विपक्ष भी शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक अवधारणा पर आधारित है। एक केंद्रीय परीक्षण जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका को दरवाजे पर खड़ा कर सकता

है, और इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालयों के कहने को कमजोर कर सकता है।

- इसके अतिरिक्त, कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि AIJS के गठन से निचली न्यायपालिका को परेशान करने वाले संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं होगा।
- 1993 के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में राज्यों में एकरूपता लाकर विभिन्न वेतनमानों और पारिश्रमिक के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि बोर्ड भर में वेतन बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अंश निचली न्यायपालिका से चुना जाता है, गुणवत्ता प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय परीक्षा से बेहतर मदद कर सकता है।

सरकार AIJS के विचार को पुनर्जीवित करने की कोशिश क्यों कर रही है?

- सरकार ने भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग में सुधार करने के अपने प्रयास में निचली न्यायपालिका में सुधार का लक्ष्य रखा है, क्योंकि कुशल विवाद समाधान रैंक का निर्धारण करने वाले प्रमुख सूचकांकों में से एक है।
- AIJS को सरकार एक कुशल निचली न्यायपालिका सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में मानती है।
- सरकार ने राज्यों के विरोध का जवाब देते हुए कहा है कि अगर एक केंद्रीय तंत्र प्रशासनिक सेवाओं के लिए काम कर सकता है - आईएएस अधिकारी अपने कैडर के लिए आवश्यक भाषा सीखते हैं - यह न्यायिक सेवाओं के लिए भी काम कर सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- न्यायपालिका का भारतीयकरण
- न्यायपालिका और एआई
- महिला और न्यायपालिका
- न्यायपालिका में भाषा
- न्यायिक प्रशासन सुधार

न्यायिक स्थानान्तरण

संदर्भ: मद्रास उच्च न्यायालय से मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी के स्थानांतरण ने इस सवाल पर विवाद को जन्म दिया है कि क्या न्यायिक स्थानान्तरण केवल प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं या उनके पीछे 'दंड' का कोई तत्व है।

- 2019 में, न्यायमूर्ति विजया के. ताहिलरमानी, मद्रास उच्च न्यायालय के एक अन्य मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें मेघालय स्थानांतरित किया गया था, ने इस्तीफा देने का विकल्प चुना।

जजों के तबादले पर संविधान क्या कहता है?

- संविधान के अनुच्छेद 222 में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
- यह स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिपूरक भत्ते का भी प्रावधान करता है।
- इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही।
- समय-समय पर यह प्रस्ताव आते रहे हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की संरचना के एक तिहाई हिस्से में दूसरे राज्यों के न्यायाधीश होने चाहिए।

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है?

- भारत संघ बनाम संकल्पचंद हिम्मतलाल शेठ (1977) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विचार को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी सहमति से ही स्थानांतरित किया जा सकता है।
- यह तर्क दिया गया कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रयोग केवल जनहित में किया जा सकता है;
- दूसरा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य है, जिसका अर्थ है कि सभी प्रासंगिक तथ्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए;
- तीसरा, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीश या अन्य से तथ्यों को जानने का अधिकार था।
- एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति (1981) में, जिसे 'जजों के स्थानांतरण मामले' के रूप में भी जाना जाता है और बाद में, पहले न्यायाधीशों के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को एक बार फिर इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला।
- अन्य मुद्दों के अलावा, इसे दो मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की वैधता के साथ-साथ कानून मंत्री के एक परिपत्र पर विचार करना था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि सभी उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों को किसी अन्य में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हेतु उच्च न्यायालय, और तीन वरीयताएँ नाम देने के लिए उनकी सहमति मांगी जा सकती है।।
- मंत्री का तर्क यह था कि इस तरह के तबादलों से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और जाति, रिश्तेदारी तथा अन्य

स्थानीय संबंधों और संबद्धता से पैदा होने वाली संकीर्ण प्रवृत्तियों से बचने में मदद मिलेगी।

- बहुमत ने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का मतलब नियुक्तियों के संबंध में 'सहमति' नहीं है।
- वास्तव में, इसने नियुक्तियों और तबादलों के मामले में कार्यपालिका की प्रधानता पर बल दिया।
- हालांकि, 'सेकेंड जजेज केस' (1993) में इस स्थिति को खारिज कर दिया गया था। वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखकर गठित भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रधानता दी जानी थी। तभी से कॉलेजियम की ओर से नियुक्तियां की जा रही हैं।

स्थानांतरण के लिए वर्तमान प्रक्रिया क्या है?

- जैसा कि 'सेकेंड जजेज केस' द्वारा किया गया एक बिंदु यह था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का अर्थ न्यायाधीशों की बहुलता के विचारों से होना चाहिए, 'जजों के कॉलेजियम' की अवधारणा अस्तित्व में आई।
- कॉलेजियम युग में, एक मुख्य न्यायाधीश सहित एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, "जिसकी राय इस संबंध में निर्धारक है"।

न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

- सभी स्थानान्तरण जनहित में किए जाने हैं, अर्थात पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को लेना चाहिए जिसमें स्थानांतरण हो रहा है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक या एक से अधिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो यह तय करने की प्रक्रिया में अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं कि क्या प्रस्तावित स्थानांतरण होना चाहिए।
- मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में, केवल एक या एक से अधिक जानकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- विचार सभी लिखित रूप में व्यक्त किए जाने चाहिए, और उन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है, पांच का पूरा कॉलेजियम।
- सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाती है, जिन्हें संबंधित कागजात प्रधानमंत्री को सौंपने चाहिए। प्रधानमंत्री तब स्थानांतरण को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।

क्या स्थानान्तरण विवादास्पद बनाता है?

- तबादला आदेश विवादास्पद हो जाते हैं जब जनता के वर्गों को लगता है कि एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्णय के पीछे एक दंडात्मक तत्व है।
- प्रथा के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार स्थानांतरण के कारण का खुलासा नहीं करते हैं। क्योंकि, यदि किसी न्यायाधीश के कामकाज पर कुछ प्रतिकूल राय के कारण है, तो प्रकटीकरण न्यायाधीश के प्रदर्शन और उस अदालत में स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा जिसमें उसे स्थानांतरित किया गया है।
- दूसरी ओर, एक कारण की अनुपस्थिति कभी-कभी अटकलों को जन्म देती है कि क्या यह न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों के कारण किया गया था, या यदि यह कुछ निर्णयों के लिए एक प्रकार की सजा थी जिससे कार्यपालिका को असुविधा हुई।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- न्यायपालिका का भारतीयकरण
- न्यायपालिका और एआई
- महिला और न्यायपालिका
- न्यायपालिका में भाषा
- न्यायिक प्रशासन सुधार

पूर्व विधायी परामर्श नीति (PLCP)

संदर्भ: केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 29 विधेयकों (26 नए और तीन लंबित) को सूचीबद्ध किया है।

पूर्व विधायी परामर्श नीति (PLCP) के बारे में

- **उद्देश्य:** पी.एल.सी.पी. को संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय आयोग (2002) तथा सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (2013) की व्यापक सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य विधि निर्माण की प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी को संस्थागत बनाना है।
- **डोमेन में रखना अनिवार्य:** पूर्व-विधान परामर्श नीति (PLCP) 2014 के अनुसार, सरकार जब भी किसी कानून (विधेयक , नियम, विनियम इत्यादि) का निर्माण करेगी, तो

उसे उस विधेयक का मसौदा संस्करण न्यूनतम 30 दिनों तक सार्वजनिक डोमेन में रखना होगा। इस नीति का पालन करना अनिवार्य बनाया गया था।

- **व्यापक विवरण:** इसके अनुसार, इस मसौदे के साथ-साथ सरल भाषा में कानून की व्याख्या करने और प्रस्ताव को न्यायोचित ठहराने, इसके वित्तीय निहितार्थ, पर्यावरण एवं मौलिक अधिकारों पर प्रभाव तथा विधेयक की सामाजिक एवं वित्तीय लागतों पर अध्ययन वाला एक नोट भी अपलोड करना होगा। संबंधित विभागों को प्रक्रियाधीन मसौदे पर प्राप्त सभी फीडबैक का सारांश भी अपलोड करना होगा।
- सार्वजनिक फीडबैक पर पारदर्शिता: संबंधित विभागों को परिचालित मसौदे पर प्राप्त सभी फीडबैक का सारांश भी अपलोड करना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- **लोकतंत्र को मजबूत करना:** यह नीति, विधि निर्माण के प्रारंभिक चरणों के दौरान नागरिकों तथा संबंधित हितधारकों को कार्यपालिका में नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच प्रदान करती है।
- **असंतोष का प्रबंधन:** हाल के दिनों में कृषि कानून, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम आदि को लेकर विरोध प्रदर्शन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बड़े पैमाने पर जनता तथा संबंधित हितधारकों के मध्य असंतोष है, क्योंकि इन कानूनों को तैयार करते समय आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था।
- **परिवर्तित नागरिक-राज्य संबंध:** सार्वजनिक परामर्श से पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप एक सूचित सरकार का निर्माण हो सकता है जहां नागरिकों को भागीदार के रूप में माना जाता है न कि विषयों के रूप में।
- उदाहरण के लिए, नागरिक समाज के सदस्यों (#SaveTheInternet अभियान) द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यापक परामर्श और उनके द्वारा अपनाई गई विचार-विमर्श प्रक्रियाओं के बाद नेट तटस्थता नियमों के निर्माण में संबोधित किया गया था।

इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

- 16वीं लोकसभा (मई 2014 से मई 2019) के दौरान संसद में 186 में से 142 विधेयक बिना पूर्व परामर्श के प्रस्तुत किये गए। सुझाव के लिये सार्वजनिक डोमेन में रखे गए 44 विधेयकों में से 24 के मामले में न्यूनतम 30 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया गया।
- 17वीं लोकसभा (जून 2019 से वर्तमान) के दौरान, पेश किये गए 115 में से 85 विधेयकों पर कोई सुझाव आमंत्रित नहीं किये गए तथा 30 में से 16 के संदर्भ में न्यूनतम समय सीमा का पालन नहीं किया गया।
- शीतकालीन सत्र में कुल 29 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के लिये सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से 17 पर कोई पूर्व सुझाव आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सार्वजनिक डोमेन में रखे गए 12 में से केवल 6 विधेयकों ने 30 दिन की समय सीमा का पालन किया है।

कार्यान्वयन कठिन क्यों है?

- हालाँकि, यह आवश्यक है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा इस अनुमोदित नीति के आदेशों का पालन किया जाए, किंतु वैधानिक या संवैधानिक अधिकार की अनुपस्थिति ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है।
- नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये कार्यकारी प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों, जैसे- संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली तथा कैबिनेट की लिखित पुस्तिका में अनुवर्ती संशोधन की आवश्यकता है।
- हालाँकि, संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली में अनुवर्ती संशोधन के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय ने कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुरोध को अनदेखा कर दिया, जिसमें मंत्रालय ने नियमावली में पी.एल.सी.पी. प्रावधानों को शामिल करने की बात कही थी।

आगे की राह

- मंत्रिमंडल, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रक्रियाओं में पूर्व-विधायी परामर्श को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- इसी प्रकार, मंत्रियों द्वारा विधेयक को पेश करते समय पूर्व-विधान परामर्श के विवरण पर एक परिशिष्ट नोट प्रस्तुत करना आवश्यक बनाया जाना चाहिये।
- वैधानिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता के माध्यम से नागरिकों के पूर्व-विधायी परामर्श में भाग लेने के अधिकार को सशक्त बनाना एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हो सकता है।

अर्थव्यवस्था

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां और अवसर

प्रसंग: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एक वैश्विक और व्यापक घटना है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के अनुमानित 450 मिलियन (प्रति वर्ष 5-10 मिलियन की वृद्धि के साथ) अनौपचारिक श्रमिक इसके कुल कार्यबल के 90% का निर्माण करते हैं।
- इनमें से लगभग 40 प्रतिशत MSMEs में कार्यरत हैं।

आंतरिक श्रम संगठन के अनुसार -

- विश्व की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) से संबद्ध है।
- हालांकि यह ज्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित है, यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार विश्व की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) से संबद्ध है।
- यद्यपि यह मुख्य रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिक प्रचलित है, यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है।
- भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार -

- भारत में 90 प्रतिशत से अधिक वर्कर्स अनौपचारिक वर्कर्स हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।
- यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में अनौपचारिक वर्कर्स कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं।
- शहरी क्षेत्रों के लोग मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार, होटल और रेस्तरां में शामिल हैं।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में चुनौतियां

- विश्वभर में रोजगार अपने पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे बना हुआ है, जो नकारात्मक उत्पादन अंतराल के मिश्रण को दर्शाता है, संपर्क-गहन व्यवसायों में नौकरी के संक्रमण की आशंका, चाइल्डकैअर की कमी, कुछ क्षेत्रों में स्वचालन के रूप में श्रम की मांग में बदलाव, प्रतिस्थापन फ़र्लो योजनाओं (furlough schemes) या बेरोजगारी लाभों के माध्यम से आय, आय हानि को कम करने में मदद करती है।
- सरकार ने श्रम कानूनों को कमजोर किया; फिर उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की दुर्दशा को ध्यान में रखे बिना सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियमों का मसौदा तैयार किया।
- **बहिष्करण के मुद्दे (Issues of Exclusion) :** जबकि कागज पर, मसौदा नियमों में अनौपचारिक क्षेत्र और गिग श्रमिकों को शामिल करके व्यापक कवरेज की परिकल्पना की गई है, वर्तमान में मसौदा नियम 299 से अधिक श्रमिकों वाली निर्माण फर्मों पर लागू होते हैं। इससे 71 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसके दायरे से बाहर हो जाती हैं।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ:** मसौदा नियम श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रमिकों (आधार कार्ड के साथ) के पंजीकरण को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए अनिवार्य हैं। पंजीकरण में विफलता (आधार-चालित बहिष्करण या प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी) तब लाभ के लिए अपात्र हो जाएगी। साथ ही, प्रवासी कामगारों को नियमित अंतराल पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं को अनिवार्य रूप से अद्यतन करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- लाभों की प्रयोज्यता पर अस्पष्टता: यह स्पष्ट नहीं है कि एक प्रवासी श्रमिक जिसके पास उसके गृह राज्य बिहार में पंजीकृत आधार कार्ड है, वह गुजरात में सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र होगा, जहां वह वर्तमान में कार्यरत है।
- **नो-राइट बेस्ड फ्रेमवर्क (No-Right Based Framework) :** कोड सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में महत्व नहीं देता है, न ही यह संविधान द्वारा निर्धारित इसके प्रावधान का संदर्भ देता है। इसके अलावा, यह किसी भी उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र को निर्धारित नहीं करता है जो स्पष्ट सामाजिक सुरक्षा के बिना लाखों श्रमिकों को असुरक्षित बना देगा।

अवसर

- महामारी ने अभूतपूर्व चुनौतियों और भिन्नताओं को उजागर किया है, लेकिन विकास के आकर्षक अवसर भी दिए हैं।

देखें:

https://iasbaba.com/wp-content/uploads/2018/02/Gig-Economy-IASbaba.jpg

- विकास के इंजन के रूप में सेवा निर्यात: सेवा निर्यात विकास के एक महत्वपूर्ण निकट अवधि चालक होने की संभावना है। सेवाओं में भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो बढ़ते हुए तुलनात्मक लाभ का खुलासा करती है। सेवाओं के ऑफ-शोरिंग पर नए सिरे से जोर देने की संभावना के साथ, भारत को नियामक और आपूर्ति दोनों दृष्टिकोणों से अवसर को हथियाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

समय की मांग:

- ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों की उपलब्धता तक आसान पहुंच के माध्यम से उन लोगों के कौशल का उन्नयन जो पहले से ही सरकारी सहायता के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा संरचना।
- अनौपचारिक क्षेत्र को कर नेटवर्क में विनियमित करने और लाने का कोई भी प्रयास उत्पादकता में वृद्धि के बिना केवल लागत में वृद्धि करेगा।
- प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और निर्यात को अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना

अगले दशक में भारत की विकास संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।

- औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं और एक को दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयास दोनों को हानि पहुंचाएगा। यह उस अवसर का उपयोग करने का समय है जो अनौपचारिक क्षेत्र इसे मजबूत करने तथा समर्थन करने के लिए प्रदान करता है। यह न केवल आर्थिक विकास के लिए जरूरी है बल्कि नौकरियों के साथ विकास का एकमात्र तरीका है।

जरुर पढ़ा होगा:

- भारत के श्रम बाजार में अदृश्य महिलाएं
- गिग इकॉनमी एंड प्रपोजल-22

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. क्या अनौपचारिक क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए? पेशेवरऔर विपक्षों पर चर्चा कीजिए।

कराधान और संघवाद

संदर्भ: केंद्र सरकार ने दीपावली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया। जहां पेट्रोल की कटौती ₹5 थी, वहीं डीजल पर शुल्क ₹10 कम किया गया।

केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाने के मुद्दे

- केंद्र नवंबर की शुरुआत तक पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: ₹31 और ₹33 अतिरिक्त उपकर लगाया।
- संविधान असाधारण परिस्थितियों में केंद्र को मूल करों और शुल्कों से परे उपकर तथा अधिभार लगाने की अनुमति देता है। लेकिन इसे मूल करों से कई गुना अधिक बनाना संविधान के ऐसे प्रावधानों के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।
- ये अतिरिक्त कर विभाज्य पूल में नहीं जाते हैं और करों का इतना अधिक बोझ लोगों और राज्यों के संघीय अधिकारों पर आक्षेप है।

राजस्व डेटा

- मूल उत्पाद शुल्क ₹1.40 है और शेष कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उपकर से बना है जो विभाज्य पूल और राज्यों को नहीं जाएगा।
- पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व के रूप में लगभग ₹3.72 लाख करोड़ एकत्र किए।
- इसमें से केवल ₹18,000 करोड़ मूल उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है जो पेट्रोलियम उत्पादों से कुल राजस्व का लगभग 4.8% है। विभाज्य पूल इस ₹18,000 करोड़ का केवल 41% है।
- लगभग ₹2.3 लाख करोड़ उपकर के रूप में और शेष ₹1.2 लाख करोड़ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए जाते हैं।
- पेट्रोलियम से कुल राजस्व का 95%, जिसे राज्यों के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं किया जाना है। यह देश में प्रचलित संघवाद को कमजोर करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

संघवाद पर प्रभाव

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद, राज्यों को सिर्फ तीन वस्तुओं - पेट्रोल, डीजल और शराब पर कर तय करने का अधिकार है।
- पेट्रोल और डीजल पर कर राजस्व का बड़ा हिस्सा एकतरफा तरीके से हटाकर केंद्र ने राज्यों के साथ अन्याय किया है। यह राजकोषीय संघवाद का घिनौना काम है। सभी राज्यों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए।
- वादा था कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (revenue neutral rate-RNR) लागू किया जाएगा, जिसका मतलब है कि राज्यों को वैसा ही राजस्व मिलेगा जैसा GST लागू होने से पहले मिलता था।
- प्रारंभिक GST अवधि के दौरान सामान पर औसत कर 16% था। वर्तमान में वस्तुओं पर करों की औसत दर 11.3% है। हालांकि, उपभोक्ता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि महंगाई बढ़ी।
- औसतन, देश GST के रूप में प्रति माह ₹1 लाख करोड़ जमा करता है अर्थात ₹12-लाख करोड़ एक वर्ष में; राज्यों और केंद्र प्रत्येक के लिए ₹6-लाख करोड़। अगर RNR बनाए रखा जाता, तो कुल राशि 16% की दर से 18 लाख करोड़ रुपये होती। राज्यों को कम से कम ₹3 लाख करोड़ अतिरिक्त प्राप्त होते।
- राज्यों को राजस्व की हानि क्यों हो रही है, इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। RNR सुनिश्चित करने के लिए आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना GST को सुव्यवस्थित करना होगा।

निष्कर्ष

राजकोषीय संघवाद के अंदर उभरते मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए राज्यों और केंद्र द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना है।

बिंदुओं को जोड़ना

सेस पूल (Cess Pool): GST पर CAG की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने FCRA एक्ट पर फैसला सुरक्षित रखा

संदर्भ:सुप्रीम कोर्ट ने FCRA एक्ट (Foreign Contribution Regulation Act 2010) संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ये तय करना है कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (FCRA) में संसोधन कर बनाए गए नए विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम (2020) में हुए परिवर्तन संवैधानिक हैं या नहीं।

- जबकि गैर सरकारी संगठनों ने संशोधनों को कठोर और मनमाना करार दिया है, सरकार ने तर्क दिया है कि इसका उद्देश्य धन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाना है।

संशोधनों की पृष्ठभूमि क्या है?

- भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी दान को 1976 से कानून द्वारा विनियमित किया गया है।
- अधिनियम को तब से निरस्त कर दिया गया था और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के रूप में नए उपायों और प्रतिबंधों के साथ फिर से अधिनियमित किया गया था।
- कानून ने व्यक्तियों, संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को समेकित करने तथा राष्ट्रीय हित हेतु हानिकारक गतिविधियों के लिए ऐसे योगदान को प्रतिबंधित करने की मांग की।
- FCRA में कुछ नए प्रतिबंध लगाने के लिए सितंबर 2020 में संशोधन किया गया था।
- सरकार का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पाया कि कई प्राप्तकर्ता वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कमी कर रहे थे।
- कई लोगों ने प्राप्त धन का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया।
- इसने दावा किया कि 2010 और 2019 के बीच विदेशी योगदान के रूप में वार्षिक अंतर्वाह लगभग दोगुना हो गया।
- 19,000 संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द कर, कुछ मामलों में अभियोजन भी शुरू किया गया था।

कानून कैसे बदल गया है?

- कम से कम तीन बड़े बदलाव हैं जो गैर सरकारी संगठनों को बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक लगते हैं।
- अधिनियम की धारा-7 में संशोधन किसी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी धन को किसी अन्य व्यक्ति या संघ को हस्तांतरित करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है।
- एक अन्य संशोधन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति (या संघ) ने विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी है, उसे नई दिल्ली में SBI की निर्दिष्ट शाखा में एक FCRA बैंक खाता खोलना होगा। सभी विदेशी धन केवल इसी खाते में प्राप्त होना चाहिए और किसी में नहीं।
- हालांकि, प्राप्तकर्ताओं को किसी भी अनुसूचित बैंक में एक और FCRA बैंक खाता खोलने की अनुमति है, जिसमें वे उपयोग के लिए प्राप्त धन को स्थानांतरित कर सकते हैं।
- नामित बैंक किसी भी विदेशी प्रेषण के बारे में अधिकारियों को इसके स्रोत और इसे प्राप्त करने के तरीके के विवरण के साथ सूचित करेगा।
- इसके अलावा, सरकार FCRA पंजीकरण के लिए या विदेशी धन प्राप्त करने हेतु पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार नंबर लेने के लिए भी अधिकृत है।
- एक बदलाव यह है कि प्रशासनिक व्यय के रूप में स्वीकृत प्राप्तियों के हिस्से को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

इन परिवर्तनों की आलोचना क्या है?

- कानून पर सवाल उठाने वाले गैर सरकारी संगठन स्थानांतरण पर रोक को मनमाना और बहुत भारी प्रतिबंध मानते हैं। इसका एक परिणाम यह है कि प्राप्तकर्ता अन्य संगठनों को निधि नहीं दे सकते हैं।
- जब विदेशी सहायता सामग्री के रूप में प्राप्त होती है, तो इस सहायता को साझा करना असंभव हो जाता है यदि प्राप्तकर्ता NGO के पास स्वयं को वितरित करने का साधन नहीं है।
- यहां तक कि अदालत ने भी जानना चाहा कि क्या इसका मतलब यह है कि एक संगठन अन्य संगठनों को नामित गतिविधियों के लिए वित्त पोषण पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- वकीलों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय हित के संरक्षण के उद्देश्य से किसी बैंक की किसी विशेष शाखा को नामित करने के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। यह असुविधाजनक भी है क्योंकि NGOs कहीं और काम कर रहा हो सकता है।
- उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus spyware) के कथित उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पर्याप्त औचित्य के बिना 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को एक कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

सरकार क्या कहती है?

- सरकार ने तर्क दिया है कि विदेशी राज्य और गैर-राज्य एक्टर्स को देश की राजनीति और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए संशोधन आवश्यक थे।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कदाचार और विदेशी निधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी परिवर्तनों की आवश्यकता है।

निधियों के संभावित विपथन को रोकना भी प्रशासनिक व्यय घटक को कम करने का कारण है, क्योंकि कुछ संगठनों ने वास्तविक व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।

- विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक नामित बैंक रखने का उद्देश्य निधियों के प्रवाह की निगरानी करना आसान बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि खाता खोलने के लिए किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह दूर से किया जा सकता है।

बिंदुओं को जोड़ना

- लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों का महत्व।
- FDI नीति और आत्मानिर्भर भारत।

उर्वरक क्षेत्र में सुधार

संदर्भ: 1991 से, जब भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए, उर्वरक क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं

- बढ़ते उर्वरक सब्सिडी बिल पर नजर रखना
- उर्वरक के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना
- N, P और K (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) का संतुलित उपयोग प्राप्त करना,
- यूरिया जैसे उर्वरकों से होने वाले जल और वायु प्रदूषण को कम करना।

भारत में उर्वरक सब्सिडी के साथ क्या मुद्दे हैं?

1. उर्वरक के दाम बढ़ाने का असफल प्रयास

- 1991-92 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जुलाई 1981 से 1991 तक उर्वरक की कीमतें लगभग अपरिवर्तित रहीं।
- जुलाई 1991 के केंद्रीय बजट ने उर्वरकों के निर्गम मूल्यों में औसतन 40% की वृद्धि की। लेकिन उस वर्ष अगस्त से इसे घटाकर 30% कर दिया गया और छोटे तथा सीमांत किसानों को मूल्य वृद्धि से छूट दी गई।
- आर्थिक सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि इस 30% की वृद्धि के बावजूद, उर्वरक सब्सिडी पर्याप्त बनी हुई है, इसे और कम करने की आवश्यकता है।
- हाल ही में, उर्वरक सब्सिडी तीन साल की छोटी अवधि में दोगुनी हो गई है।
- 2021-22 के लिए, केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी का अनुमान ₹79,530 करोड़ (2017-18 में ₹66,468 करोड़ से) रखा गया है।

2. यूरिया का अनुपातहीन उपयोग

- उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के विरोध के कारण, 1992 में यूरिया की कीमत में वृद्धि को पूर्व-सुधार मूल्य पर वापस 17% कर दिया गया था।
- इस परिवर्तन ने विभिन्न उर्वरकों की सापेक्ष कीमतों को बिगाड़ दिया और परिणामस्वरूप देश में यूरिया के पक्ष में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों की संरचना में एक बड़ा बदलाव आया और इस प्रकार N
- N:P:K के उपयोग का अनुपात 1991-92 में 5.9:2.4:1 से बढ़कर 1993-94 में 9.7:2.9:1 हो गया।
- बल्कि, अलग-अलग समयावधियों में यूरिया की MRP लगभग जमने और कम लागत के कारण इसकी बढ़ती बिक्री के कारण यूरिया पर सब्सिडी में अनियंत्रित वृद्धि हुई है।

3. उर्वरक सब्सिडी में अंतर-राज्यीय असमानताएं

- 2019-20 में, उर्वरक उपयोग प्रति हेक्टेयर खेती वाले क्षेत्र में राजस्थान में 70 किलोग्राम NPK से लेकर तेलंगाना में 250 किलोग्राम तक था।
- पंजाब में N, P, K के अनुपात 33.7:8.0:1 और केरल में 1.3:0.7:1 था।
- सब्सिडी सामग्री में उच्च भिन्नता के कारण उर्वरक सब्सिडी में अंतर-राज्यीय असमानताओं के लिए इन सभी के निहितार्थ हैं, जो यूरिया तथा नाइट्रोजन के प्रति अत्यधिक पक्षपाती है।

4. आयात निर्भरता

- देश में यूरिया की कुल मांग लगभग 34-35 मिलियन टन (मिलियन टन) है जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 25 मिलियन टन है।
- डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) की आवश्यकता लगभग 12 मिलियन टन है और घरेलू उत्पादन सिर्फ 5 मिलियन टन है।
- इससे यूरिया के लिए लगभग 9-10 मिलियन टन और DAP के लिए 7 मिलियन टन का अंतर रह जाता है, जिसे आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- इसके अलावा, जटिल उर्वरकों (NPK) की खपत लगभग 12-13 मिलियन टन है, जो बड़े पैमाने पर देश के भीतर उत्पादित होती है तथा आयात की आवश्यकता केवल 1 मिलियन टन है।

5. अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कीमतें राजकोषीय चुनौतियां पैदा कर रही हैं

- हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है, यूरिया की कीमतें नवंबर 2021 में 900 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (mt) से अधिक के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं, जो सितंबर 2020 में लगभग 270 डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी।
- इसी तरह, DAP की अंतरराष्ट्रीय कीमतें सितंबर 2020 में लगभग 360 डॉलर प्रति मिलियन से बढ़कर नवंबर 2021 में लगभग 825 डॉलर प्रति मिलियन हो गई हैं।
- किसानों पर कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए, मूल्य वृद्धि का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा बढ़ी हुई उर्वरक

सब्सिडी के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। इससे गंभीर राजकोषीय चुनौतियां पैदा होने की संभावना है।

6. करदाताओं द्वारा वहन किया जाने वाला सब्सिडी का भार

- वर्तमान कीमतों पर, किसान यूरिया के प्रति बोरी लगभग ₹268 का भुगतान करते हैं और भारत सरकार प्रति बोरी लगभग ₹930 की औसत सब्सिडी का भुगतान करती है।
- इस प्रकार, करदाता यूरिया की लागत का 78% वहन करते हैं और किसान केवल 22% का भुगतान करते हैं। इसके बढ़ने की उम्मीद है और यह टिकाऊ नहीं है।

7. जैविक खाद के लिए सब्सिडी की मांग

- कुछ रासायनिक उर्वरकों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव से चिंतित, समाज के कुछ वर्ग इसके बजाय जैविक उर्वरकों के उपयोग का सुझाव देते हैं।
- रासायनिक उर्वरकों के लिए प्रदान किए गए जैविक उर्वरकों, इसके सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग बढ़ रही है।

आगे की राह

उर्वरक नीति के अनेक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें एक साथ चार प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है।

- एक, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है न कि उर्वरकों के आयात पर निर्भर रहने की। इस तरह, हम अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उच्च अस्थिरता की अनिश्चितता से बच सकते हैं।
    - इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र में गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तालचेर और रामागुंडम में पांच यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
- दूसरा, हमें यूरिया के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) मॉडल का विस्तार करने और गैर-नाइट्रोजन उर्वरकों तथा फसलों की कीमतों की तुलना में यूरिया के मूल्य को युक्तिसंगत बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता है।
- तीसरा, हमें जैविक और जैव उर्वरक जैसे पौधों के लिए पोषण के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की आवश्यकता है। यह फसल के एक बड़े बायोमास का उपयोग करने की गुंजाइश भी प्रदान करता है जो बेकार हो जाती है और पशुधन उपोत्पादों के मूल्य को बढ़ाती है।
- अंत में, भारत को उर्वरक को क्षेत्र में प्रसारित करने के बजाय आवश्यकता-आधारित उपयोग के माध्यम से उर्वरक दक्षता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण: IFFCO द्वारा नैनो यूरिया।

निष्कर्ष

- उपरोक्त परिवर्तन कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, रासायनिक उर्वरकों का विकल्प प्रदान करने और आने वाले वर्षों में केंद्रीय बजट पर उर्वरक सब्सिडी के वित्तीय प्रभाव को संतुलित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

क्या आप अभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

कृषि सब्सिडी के विकृत प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत में सब्सिडी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए

क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन

संदर्भ: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) के लिए सरकार के एजेंडे में भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को प्रतिबंधित करने और आरबीआई (RBI) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का विधेयक है।

- आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 की क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सरकार के एजेंडे में 26 नए बिलों में से एक है।
- बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, लेकिन ये कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
- स्थानीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकाउंक्शंस की कीमतें समाचार के टूटने के बाद रातोंरात दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, भले ही वे वैश्विक बाजारों में बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित रहे।
- उद्योग के सूत्रों ने कहा कि आसन्न प्रतिबंध या प्रतिबंध के डर से क्रिप्टो धारकों द्वारा घबराहट थी।
- भारत में वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी पर कोई विनियमन या प्रतिबंध नहीं है; हालाँकि, आभासी मुद्राओं को परिभाषित करने और विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ दुनिया भर के न्यायालयों में व्यापक रूप से भिन्न हैं।

दुनिया भर के देशों में क्रिप्टोकरेंसी को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

- देशों और नियामकों का रुख इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध से लेकर, उन्हें कुछ नियमों के साथ संचालित करने की अनुमति देने तक, किसी भी दिशा-निर्देश के अभाव में आभासी मुद्रा व्यापार की अनुमति देने के दूसरे चरम तक है।
- सरकारें और नियामक इस बात पर विभाजित हैं कि इसे मुद्रा या संपत्ति के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए – और इसे परिचालन के दृष्टिकोण से कैसे नियंत्रित किया जाए।
- जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियामक और नीतिगत प्रतिक्रिया अल सल्वाडोर जैसे देशों में देखे जाने वाले पूर्ण खुलेपन से भिन्न हो

सकती है, जिसने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मंजूरी दी है, चीन की तरह कुल क्लैंपडाउन के लिए, जिसने क्रिप्टोकुरेंसी और दोनों पर कड़े नियम लागू किए हैं।

- भारत जैसे देश कहीं बीच में हैं - अभी भी कुछ नीति और नियामक प्रयोग के बाद क्रिप्टो को विनियमित करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की प्रक्रिया में हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ नियामक जनादेश को कम करने की कोशिश में सक्रिय रहे हैं, जबकि चर्चा जारी है।
- जिन देशों ने विस्तृत नियम जारी नहीं किए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन मुद्राओं को पहचाना और परिभाषित किया है।

उदाहरण के लिए, कनाडा अपने अपराध की आय (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण विनियमों के माध्यम से आभासी मुद्रा को परिभाषित करता है:

- (a) मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व जिसका उपयोग भुगतान या निवेश के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो कि फिएट मुद्रा नहीं है और जिसे फंड के लिए या किसी अन्य आभासी मुद्रा के लिए आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है जिसे फंड के लिए आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है; या
- (b) क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की एक निजी कुंजी जो किसी व्यक्ति या इकाई को पैराग्राफ (a) में संदर्भित मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कनाडा क्रिप्टो के शुरुआती अपनाने वालों में से एक रहा है, और कनाडा राजस्व प्राधिकरण (CRA) आम तौर पर देश के आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रिप्टोकुरेंसी को एक वस्तु की तरह मानता है।

ISRAEL, वित्तीय सेवा कानून के अपने पर्यवेक्षण में, वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा में आभासी मुद्राएं शामिल करता है।

- इज़राइली प्रतिभूति नियामक ने फैसला सुनाया है कि क्रिप्टोकुरेंसी एक सुरक्षा विषय है, जबकि इज़राइल टैक्स अथॉरिटी क्रिप्टोकुरेंसी को एक संपत्ति के रूप में परिभाषित करती है और पूंजीगत लाभ पर 25% की मांग करती है।

जर्मनी में, वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण आभासी मुद्राओं को "खाते की इकाइयों" और इसलिए, "वित्तीय साधन" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

- बुंडेसबैंक बिटकॉइन को एक क्रिप्टो टोकन मानता है, क्योंकि यह किसी मुद्रा के विशिष्ट कार्यों को पूरा नहीं करता है।
- हालांकि, नागरिक और कानूनी संस्थाएं क्रिप्टोकरंसी को तब तक खरीद या व्यापार कर सकती हैं, जब तक वे इसे जर्मन फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों और कस्टोडियन के माध्यम से करते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में, महामहिम के राजस्व और सीमा शुल्क, क्रिप्टो परिसंपत्तियों को मुद्रा या धन नहीं मानते हुए, नोट करते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी की एक विशिष्ट पहचान होती है और इसलिए, सीधे किसी अन्य प्रकार की निवेश गतिविधि या भुगतान तंत्र से तुलना नहीं की जा सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, विभिन्न राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अलग-अलग परिभाषाएं और नियम हैं।

- जबकि संघीय सरकार क्रिप्टोकाउंक्शंस को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है, राज्यों द्वारा जारी परिभाषाएं आभासी मुद्राओं की विकेन्द्रीकृत प्रकृति को पहचानती हैं।

हालांकि इनमें से अधिकांश देश क्रिप्टोकाउंक्शंस को कानूनी निविदा के रूप में नहीं पहचानते हैं, वे इन डिजिटल इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य को पहचानते हैं – और उनके कार्यों को एक्सचेंज के माध्यम, खाते की इकाई या मूल्य के स्टोर के रूप में इंगित करते हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) कैसे काम करेगी?

- भारतीय रिजर्व बैंक अपने CBDC को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो कि फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जिसे ब्लॉकचैन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके लेन-देन किया जा सकता है, और जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- हालांकि CBDC की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं, और सरकार द्वारा घोषित 'कानूनी निविदा' स्थिति का अभाव है।
- CBDC उपयोगकर्ता को घरेलू और सीमा पार दोनों तरह के लेनदेन करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए किसी तीसरे पक्ष या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है।
- चूंकि कई देश इस क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना CBDC लॉन्च करे, जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में रुपये को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- जबकि CBDC भी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, यह निजी आभासी मुद्राओं से तुलनीय नहीं है जो पिछले एक दशक में बढ़ी हैं।
- निजी आभासी मुद्राएं पैसे की ऐतिहासिक अवधारणा के विपरीत हैं - और वे निश्चित रूप से मुद्रा नहीं हैं क्योंकि यह शब्द ऐतिहासिक रूप से समझा जाने लगा है।

बिंदुओं को जोड़ना

- चीन की डिजिटल मुद्रा।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी।

पर्यावरण

भारत का जल संकट

सुर्ख़ियों में: नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में जारी कम्पोज़िट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के लगभग 21 प्रमुख शहर (दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य) वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुँच जाएंगे एवं इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।

- नीति आयोग के अनुसार, भारत पहली बार जल संकट का सामना कर रहा है, यदि उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक देश में पीने योग्य जल की कमी हो सकती है।

पानी के स्रोतों को समझना

- ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का 80%-90% और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का 75% भूजल स्रोतों से लिया जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में, 50% -60% पानी की आपूर्ति भूजल स्रोतों से की जाती है, जबकि शेष सतही जल संसाधनों जैसे नदियों, झीलों, टैंकों और जलाशयों से प्राप्त होती है।
- 'शहरी' और 'ग्रामीण' स्रोतों के माध्यम से भारत के बढ़ते जल संकट को देखने से इसके कारणों को बेहतर ढंग से समझने तथा जल संकट को दूर करने के लिए बेहतर रणनीति विकसित करने की जरुरत है।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट: चेन्नई उदाहरण

- 2019 में चेन्नई में जल संकट सामने आया, जहां जनजीवन ठप हो गया।
- कई लोगों ने चेन्नई में पिछले साल हुई कम बारिश को जल संकट का एक मुख्य कारण बताया है। हालांकि यह सच है कि वर्षा सामान्य से 50% कम थी, लेकिन संकट के अन्य कारण भी थे।
- चेन्नई शहर का निर्माण बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण करके और झीलों तथा आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण करके किया गया है जो अन्यथा भूजल को रिचार्ज करने की प्रक्रिया में मदद करते।
- भूमिगत जल के रिसने के लिए जगह की कमी ने वर्षा जल को जलभृतों को रिचार्ज करने से रोक दिया।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए हरित आवरण (जो अन्यथा जल प्रतिधारण में मदद करता) के नुकसान से स्थिति और खराब हो गई थी।
- ऐसी स्थिति में एक ओर जहां सामान्य वर्षा के दौरान ठहराव के कारण बाढ़ आ जाती है, वहीं दूसरी ओर भूमिगत जल भंडारण की रोकथाम के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट : पंजाब का उदाहरण

- केंद्रीय भूजल बोर्ड की मसौदा रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अगर पंजाब के भूजल संसाधनों की निकासी इसी तरह होती रही तो पंजाब 25 वर्षों में एक रेगिस्तान की तरह हो जायेगा।
- पंजाब के 82 फीसदी भू-भाग के भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी गई है, जिसमें 138 प्रशासनिक ब्लॉकों में से 109 को 'अति शोषित' श्रेणी में रखा गया है।
- भूजल निष्कर्षण जो 1960-1970 के दशक में 35% था, हरित क्रांति के बाद बढ़कर 70% हो गया, जहां सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी दी जिससे ट्यूबवेल घंटों तक चलते रहे।
- इसके अलावा, धान जैसी जल गहन फसलों की खेती ने पानी की कमी को और बढ़ा दिया है, यहां तक कि पानी खारा हो गया है।

आगे की राह

- यदि सरकार शहरी क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए गंभीर है, तो जल संसाधन मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों और विभागों (शहरी विकास, स्थानीय स्वशासन और पर्यावरण) के साथ अपने संबंधों को फिर से कॉन्फ़िगर (reconfigure) करना चाहिए।
- यह शहरी जल निकायों, भूजल स्रोतों, आर्द्रभूमि और हरित आवरण की रक्षा करने वाले प्रभावी भूमि और जल क्षेत्र विनियमों के माध्यम से बेहतर एकीकरण तथा समन्वय के लिए होगा।
- अधिकारियों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से एक्वीफर्स (aquifers)और कुओं को लक्षित करने वाले अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण तथा जल पुनर्भरण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।
- पंजाब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, भूजल के प्रबंधन और फिर से भरने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सहभागी भूजल प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से जल बजट, एक्वीफर रिचार्जिंग (aquifer recharging) और सामुदायिक भागीदारी के संयोजन के साथ।
- जल संसाधनों के लगातार हो रहे क्षरण को देखते हुए सरकार को जल आपूर्ति (जल जीवन मिशन) के वादे पर नहीं चलना चाहिए। इसके बजाय उद्देश्य एक ओर जल संसाधनों की रक्षा और संरक्षण तथा दूसरी ओर पानी के उपयोग की दक्षता को कम करने और बढ़ाने की दिशा में होना चाहिए।

बिंदुओं को जोड़ना

- जल जीवन मिशन
- राष्ट्रीय जल नीति

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge)

संदर्भ: हाल ही में वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge) को ग्लासगो में चल रहे UN COP26 जलवायु सम्मेलन में लॉन्च किया गया। अब तक, 90 से अधिक देशों ने इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक प्रयास है।

मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीनहाउस गैस है, और इसके उत्सर्जन में कटौती से संबंधित प्रतिज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं।

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है?

- वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा की घोषणा पहली बार सितंबर 2021 में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी। यह वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता है। इस प्रतिज्ञा की घोषणा 2020 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से की गई थी।
- Intergovernmental Panel on Climate Change की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में मीथेन वैश्विक औसत तापमान में 1.0 डिग्री सेल्सियस की शुद्ध वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 25% वार्मिंग मीथेन के कारण होती है।
- मीथेन उत्सर्जन को तेजी से कम करना कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों पर कार्रवाई का पूरक है, और निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसे सबसे प्रभावी रणनीति के रूप में माना जाता है।

मीथेन का जलवायु प्रभाव क्या है?

- मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस और प्राकृतिक गैस का एक घटक है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। मीथेन मानव और प्राकृतिक स्रोतों से आता है।
- मीथेन के मानव स्रोतों में तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, लैंडफिल, कोयला खनन, कृषि गतिविधियां, अपशिष्ट जल उपचार और औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। मानव स्रोत वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 60% हिस्सा है, जिसमें तेल और गैस क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं।
- मीथेन के मानव स्रोतों में तेल और गैस क्षेत्र सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं।
- नासा ने नोट किया कि मीथेन के मानव स्रोत (जिसे मानवजनित स्रोत भी कहा जाता है) वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। ये उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, लैंडफिल में अपघटन और कृषि क्षेत्र से आते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2019 में, कोयला मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को अगले 2 से 3 साल तक में कोलबेड मीथेन (CBM) गैस के प्रति दिन 2 MMSCB (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) का उत्पादन करने के लिए कहा।
    - शेल गैस की तरह सीबीएम को अपरंपरागत गैस जलाशयों के रूप में जाना जाता है - जहां गैस को सीधे उस चट्टान से निकाला जाता है जो गैस का स्रोत है (शेल गैस के मामले में शेल और सीबीएम के मामले में कोयला)।
    - मीथेन को कोयले के भीतर भूमिगत रखा जाता है और कोयला सीम में ड्रिलिंग करके भूजल को हटाकर निकाला जाता है। इसके प्रेशर से परिणामी गिरावट के कारण कोयले से मीथेन निकलती है।

जलवायु परिवर्तन के लिए मीथेन से निपटना क्यों महत्वपूर्ण है?

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, मीथेन का वायुमंडलीय जीवनकाल (CO_2 के लिए सदियों की तुलना में 12 वर्ष) बहुत कम है, इसमें अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस क्षमता है क्योंकि यह वातावरण में रहने के दौरान अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है।
- मीथेन एक शक्तिशाली प्रदूषक है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक है।
- महत्वपूर्ण रूप से, 2.3 प्रतिशत की औसत मीथेन रिसाव दर "कोयले से अधिक जलवायु लाभ गैस को नष्ट कर देती है", संयुक्त राष्ट्र नोट करता है।
- IEA ने यह भी कहा है कि 75 प्रतिशत से अधिक मीथेन उत्सर्जन को आज मौजूद तकनीक से कम किया जा सकता है, और इसमें से 40 प्रतिशत तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जा सकता है।

बिंदुओं को जोड़ना

- पेरिस जलवायु समझौता
- चीन की जलवायु प्रतिबद्धताएं

भारत के लिए जलवायु कानून

संदर्भ: ग्लासगो में COP26 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2015 के पेरिस समझौते के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए, समझौते के नियमों को निर्धारित करने के लिए होगा।

साथ ही, भारत के लिए जलवायु न्याय, कार्बन स्पेस और पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्यों पर खरे रहते हुए एक जलवायु कानून स्थापित करने पर विचार करने का यह सही समय है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में आज विश्व की 17 प्रतिशत आबादी है, लेकिन उत्सर्जन में जिम्मेदारी केवल 5 प्रतिशत रही है।
- पिछले 7 वर्षों में भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। और अब यह ऊर्जा मिश्रण के 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

भारतीय प्रस्ताव

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को ग्लासगो में एक 'पंचामृत फॉर्मूला (Panchamrit solution)' की घोषणा की, जिसमें शामिल हैं:

- भारत, 2030 तक अपनी Non-Fossil Energy Capacity को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा।
- भारत, 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत energy requirements, renewable energy से पूरी करेगा।
- भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा।
- 2030 तक भारत, अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेन्सिटी को 45 प्रतिशत से भी कम करेगा।
- वर्ष 2070 तक भारत, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।

वर्तमान कानून और अंतराल

- हमारे पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कवर नहीं करते हैं या भविष्य के जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए काम करें।
- जलवायु संबंधी उल्लंघनों से निपटने के लिए EPA पूरी तरह से अपर्याप्त है। EPA के खंड 24 में कहा गया है कि यदि EPA या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो व्यक्ति को अन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा। यह EPA को प्रत्येक दूसरे कानून के अधीन बना देता है।
- हमारे पर्यावरण कानूनों में जलवायु अनुकूलन और शमन के एकीकरण का अभाव है।
- व्यापक जलवायु कार्रवाई केवल तकनीकी नहीं है (जैसे ऊर्जा स्रोतों या कार्बन तीव्रता को बदलना), बल्कि प्रकृति-आधारित होने की भी आवश्यकता है (जैसे पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर जोर देना, प्राकृतिक खतरे को कम करना और कार्बन सिंक बढ़ाना।)
- जलवायु कार्रवाई बढ़ती गरीबी की कीमत पर नहीं हो सकती।
- अक्षय, सौर या पवन ऊर्जा (गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता) के लिए 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घास के मैदान और रेगिस्तानी पक्षियों जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि वे रेत में तारों से टकराने पर मर जाते हैं।

जलवायु कानून के प्राथमिक घटक क्या होने चाहिए?

1. जलवायु कानून को ऐसी संस्था बनाने पर विचार करना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजनाओं की निगरानी करना ।

- एक 'जलवायु परिवर्तन पर आयोग' की स्थापना की जा सकती है, जिसमें निर्देश जारी करने और जलवायु पर योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति और अधिकार होगा।
- आयोग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ अर्ध-न्यायिक शक्तियां हो सकती हैं कि उसके निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए।
- इसे एक तकनीकी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह दे सकती है और साथ ही विभिन्न निजी और सार्वजनिक एजेंसियों को उनके जलवायु संबंधी दायित्वों को पूरा करने में मार्गदर्शन कर सकती है।
- आयोग को विभिन्न क्षेत्रों के कार्बन पदचिह्नों का पता लगाना चाहिए और नीतिगत मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से पदचिह्नों को कम करने के लिए व्यावहारिक सार्वजनिक हस्तक्षेप करना चाहिए।

2. जलवायु कानून को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए

- जैसे ही हम खतरों का सामना करते हैं, लघु, मध्यम और दीर्घकालिक स्तरों पर दायित्व तथा जवाबदेही की एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना है जो सिर्फ नीतिगत दिशानिर्देशों से परे है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके सबसे बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हमारे पास नैतिक अनिवार्यता है। लेकिन हमें न्यायोचित और प्रभावी कानून लाकर इस प्रक्रिया का भारतीयकरण करना चाहिए।

बिंदुओं को जोड़ना

- पेरिस जलवायु समझौता और भारत
- जलवायु परिवर्तन और भारत पर IPCC's की रिपोर्ट
- चीन की जलवायु प्रतिबद्धताएं

नेट जीरो की लॉन्ग रोड

संदर्भ:ग्लासगो में UNFCCC के 26वें सम्मेलन (COP26) में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 के लिए नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा के साथ, भारत देशों के एक हाई-प्रोफाइल समूह में शामिल हो गया है।

- नेट जीरो लक्ष्यों वाले अन्य में प्रमुख उत्सर्जक जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ 2050 और चीन 2060 के लक्ष्य के साथ शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ के अलावा एक दर्जन देशों में लक्ष्य के प्रति कानूनी अधिनियमन है।

नेट जीरो कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

- नेट जीरो, जिसका अर्थ है वातावरण से समान मात्रा को हटाकर मानव निर्मित राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को संतुलित करना, केवल एक संरचित कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो तीव्र उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए व्यापक समर्थन पर निर्भर करता है।

भारत और नेट जीरो

- जटिल उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करने के विरुद्ध भारत का तर्क यह है कि ऐतिहासिक रूप से GHG के सबसे कम उत्सर्जकों में से एक रहा है, और प्रोत्साहन विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आना है।
- देश आज के वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 7% का प्रतिनिधित्व करता है, और 49 साल दूर एक नेट जीरो समय सीमा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, 2018 में, भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.8 टन था, जो यू.एस. के लिए 15.2, यूके के लिए 5.4 और मध्यम आय वाले देशों के औसत 3.7 टन से काफी कम है।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के लिए 2030 में अनुमानित प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आंकड़ा 2.4 टन है।
- भारत का पूर्ण उत्सर्जन मात्रा चीन और यू.एस. के बाद तीसरे स्थान पर है।

भारत के उत्सर्जन के लिए दृष्टिकोण क्या है?

- भारत के विकास पथ का विश्लेषण मुख्य रूप से ऊर्जा से अल्पावधि में कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की ओर इशारा करता है।
- जनसंख्या और खपत में पूर्ण वृद्धि का दबाव है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है।
- सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के लिए एक बड़ा हिस्सा उत्सर्जन में कटौती के लिए सकारात्मक है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि भारत का उत्सर्जन, कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग से अत्यधिक प्रभावित होगा।
- क्षेत्रीय GHG उत्सर्जन के संदर्भ में, 2016 के आंकड़े बताते हैं कि
  - बिजली और ऊष्मा का सबसे अधिक हिस्सा (1.11 बिलियन टन) है, इसके बाद
  - कृषि (704.16 मिलियन टन),
  - मनुफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन (533.8 मिलियन टन),
  - परिवहन (265.3 मिलियन टन)
  - उद्योग (130.61 मिलियन टन)
  - भूमि उपयोग परिवर्तन और फॉरेस्ट्री (forestry) (126.43 मिलियन टन)
  - अन्य ईंधन उपयोग (119.04 मिलियन टन)
  - इमारतें (109.2 मिलियन टन)
  - अपशिष्ट (80.98 मिलियन टन),
  - फुगित्वे उत्सर्जन (Fugitive emissions) (54.95 मिलियन टन)
  - विमानन और नौवहन (Aviation and shipping) (20.4 मिलियन टन)।

इमीडियेट हस्तक्षेप क्या किया जा सकता है?

- भारत को सभी गतिविधियों के जलवायु प्रभाव आकलन के लिए एक कानूनी अधिदेश बनाने की जरूरत है। यह समर्पित ग्रीन फंड द्वारा निवेश की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को बड़े प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जैसे कि ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पोषण को विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा में शामिल करना।
  - रूफटॉप सोलर, जिसकी अनुमानित क्षमता जून 2021 तक 7,701 मेगावाट (मेगावाट) है, को अनाकर्षक राज्य-स्तरीय विनियमन का आधुनिकीकरण करके बढ़ाया जा सकता है।
  - रूफटॉप सोलर के विस्तार के साथ समस्या, जिसने 12 महीनों में 53% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, राज्य बिजली उपयोगिताओं से प्रतिरोध है, हालांकि लागत कम हो रही है।
- स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनी क्षमता के कारण एक और उभरता हुआ क्षेत्र हरित हाइड्रोजन उत्पादन है। भारत के पास अब एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है।
  - ईंधन बिजली और इस्पात उत्पादन (कोयले से स्थानांतरण) तथा मोटर वाहन (ईंधन सेल वाहन) जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर कर सकता है, जबकि ऊर्जा भंडारण, शिपिंग और हाइड्रोजन उत्पादन के आधार के रूप में संभावित उपयोग के साथ ग्रीन अमोनिया क्षेत्र हैं। यह उत्सर्जन के बड़े स्रोतों को लगातार डीकार्बोनाइज

कर सकता है जैसा कि उद्योग के नेताओं ने COP 26 में समझाया है।

- अंसइंटिफ़िक लैंडफिल्स (unscientific landfills) से मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत के शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता होगी।
- इन योजनाओं को राज्य सरकारों से राजनीतिक सहमति और समर्थन की आवश्यकता है।
- नेट जीरो में हरित नवप्रवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था समर्थन और नई नौकरियां पैदा करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग करते हुए औद्योगिक नवीनीकरण शामिल होगा।
- इसे कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देने वाले नए शहरों की भी आवश्यकता है।
- उद्योग को अत्यधिक ऊर्जा दक्ष सामान बनाने की आवश्यकता होगी जो लंबे समय तक चले, और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए सामान की मरम्मत का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए।
- पर्यावरण में संग्रहित कार्बन, जैसे कि पेड़ और मिट्टी को छोड़ने से रोकना, नेट जीरो की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बिंदुओं को जोड़ना:

- नेट जीरो का भारत का विरोध
- चीन की जलवायु प्रतिबद्धताएं

वन हानि (Forest Loss)

संदर्भ: वैश्विक वनों की कटाई पर कृषि विस्तार का प्रभाव लगभग 90%, Global Forest Resources Assessment-FRA रिमोट-सेंसिंग सर्वेक्षण कहता है।

- आधे से अधिक वैश्विक वन (52.3 प्रतिशत) को फसल भूमि में बदल दिया गया है।
- 2000-2018 के बीच पशुओं के चरने से 37.5 प्रतिशत और नष्ट हो गए।
- लगभग 5.6 प्रतिशत वन को शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवर्तित किया गया।
- 2000-2018 के दौरान अधिकांश वनों की कटाई उष्णकटिबंधीय बायोम में हुई थी।
- 1990 के बाद से कुल 420 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गया है।
- विश्वभर में लगभग 90 प्रतिशत वनों की कटाई कृषि विस्तार के कारण हुई।
- दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मंदी की सूचना मिली; इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों ने सभी बायोम की उच्चतम वनों की कटाई दर दर्ज की।

वनों की कटाई

- मानवीय गतिविधियों की सुविधा के लिए जंगलों (या अन्य भूमि) से बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाना।
- इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का नुकसान, प्राकृतिक आवासों को नुकसान, जल चक्र में गड़बड़ी और मिट्टी का कटाव होता है।
- यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदानकर्ता।

कारण:

- कृषि - छोटे और बड़े पैमाने पर खेती।
- लॉगिंग (Logging)- कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए पेड़ों की कटाई।
- खनन और शहरी विस्तार (Mining and urban expansion)- बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वन क्षेत्र की सफाई।
- मुख्य वनों की कटाई चालक (दुनिया के क्षेत्रों में भिन्न)
- यूरोप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि वनों की कटाई का मुख्य चालक है, जहां शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास का अधिक प्रभाव पड़ता है।
- फसल भूमि में परिवर्तन अफ्रीका और एशिया में वन हानि पर स्थिर है, 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र फसल भूमि में परिवर्तित हो गया है।
- दक्षिण अमेरिका में, लगभग तीन चौथाई वनों की कटाई पशुओं के चरने के कारण हुई थी।

क्या काम नहीं किया गया:

- बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि खाद्य उत्पादकता बढ़ाना और वनों की कटाई को रोकना परस्पर अनन्य उद्देश्य नहीं हैं।
- विश्व स्तर पर, वन, मैंग्रोव और पीटलैंड जैसे प्रकृति-आधारित समाधान जलवायु संकट के लिए लगभग एक तिहाई सबसे प्रभावी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं जिसकी हमें अभी आवश्यकता है - साथ ही समुदायों को उन परिवर्तनों के अनुकूल होने में मदद करना जो अब अपरिहार्य हैं , लेकिन वर्तमान में, वे कुल वैश्विक जलवायु वित्त का केवल 3% आकर्षित करते हैं। इसका बिलकुल कोई अर्थ नहीं है।
- अगर हम दुनिया के किसी भी बड़े जंगल को खो देते हैं, तो हमारे पास दुनिया की जलवायु को स्थिर करने, 1.5C के भीतर गर्म रहने, वन्यजीवों के विनाशकारी नुकसान को उलटने का जीरो मौका होगा।

बॉन चुनौती (The Bonn Challenge)

- बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक

और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाई जायेंगी।

- पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बोन चुनौती पर स्वीकृति दी थी।
- भारत ने 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियाँ उगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

आगे की राह

- यदि हम बड़े पैमाने पर प्रकृति की रक्षा करना और उसे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें उन स्वदेशी समुदायों का समर्थन करना होगा जिन्होंने पीढ़ियों से अपने वन घरों की रक्षा की है, बिना किसी सार्थक समर्थन या मान्यता के पुराने खतरे का सामना करना पड़ता है। स्वदेशी लोगों की भूमि दुनिया के एक तिहाई से अधिक पूर्ण वन परिदृश्य और दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में संग्रहीत लगभग एक चौथाई कार्बन का घर है।
- स्वदेशी लोगों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता, संरक्षित वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए और अभी भी पूर्ण जंगलों में सड़कों और उद्योग से बचा जाना चाहिए। ये कदम अधिक टिकाऊ वन अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंच तैयार कर सकते हैं।
- भारत पहले अपने वन क्षेत्र को बनाए रखने और फिर बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अच्छा करेगा। उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करने से 2050 तक वनों की प्रतिकृति के रूप में 7 से 10 गुना अधिक कार्बन सुरक्षित हो सकता है। पेड़ों को बचाने से प्रजातियों के विलुप्त होने के संकट को भी कम किया जा सकता है। और हजारों वन संस्कृतियों के घरों तथा जीवन के तरीकों को बनाए रखने के लिए इन वनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
- देश के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए वन नीति एक व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ पर्याप्त वित्त नियोजित हस्तक्षेपों की बहाली की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है। हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और एक समावेशी दृष्टिकोण तालिका को बदल सकता है।

नोट: FRA 2020 रिमोट सेंसिंग सर्वे

- 2018 में लॉन्च किया गया।
- वन मॉनटरिंग (forest monitoring) के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करना।
- वैश्विक, क्षेत्रीय और बायोम स्तरों पर समय के साथ वन क्षेत्र और इसके परिवर्तनों के स्वतंत्र, मजबूत और सुसंगत अनुमान उत्पन्न करना।

जरुर पड़ना :

- वन संरक्षण अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन।
- अमेज़न के जंगल अब कार्बन सिंक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया जंगल की आग।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. वनों की कटाई से निपटना जलवायु संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के केंद्र में होना चाहिए। चर्चा कीजिए।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वनों की कटाई के प्रभावों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

चेन्नई बाढ़- जलवायु संकट

प्रसंग: दक्षिण भारत का प्रमुख शहर चेन्नई बारिश के कारण पूरी तरह थम गया। तमिलनाडु के ऊपर उत्तर-पूर्वी मानसून पिछले पांच वर्षों में 24 घंटों के भीतर सबसे अधिक बारिश लेकर आया है।
यह 2015 की विनाशकारी चेन्नई बाढ़ की यादें ताजा कर दी।

मुद्दे

- मुंबई, चेन्नई, ढाका, कराची और काठमांडू जैसे प्रमुख शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति हुई, और यह उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाओं के साथ होती है।
- IPCC की छठी आकलन (AR6) रिपोर्ट ने 1950 के दशक से भारी वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को केंद्रित किया और अनुमान लगाया कि वे मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन द्वारा चलाया जा रहा था।

भूमि केंद्रवाद (Land Centrism)

- उपमहाद्वीप के सभी शहर जल-दृश्य हैं। वे नदियों के साथ पिरोए (threaded) गए हैं, आर्द्रभूमि और झरनों के साथ धब्बेदार हैं, और वे अदृश्य एक्वीफर्स (aquifers) पर टिके हुए हैं।
- फिर भी, जमीन की प्यास से प्रेरित, हमारे शहरों की योजना पानी को अपने अधीन करने की है, न कि उसके साथ रहने की। यह भूमि-केंद्रवाद है जो शहरी जल निकासी को कमजोर करता है।
- भूमि केंद्रित शहरी विकास का रास्ता बनाने के लिए शहरी जल निकासी की बलि दी गई है।
- लुप्त हो रहे शहरी जलमार्गों को बहाल करने के लिए उदासीनता, पुरानी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार के हाल के हौसले के बिल्कुल विपरीत है।

- शहरी बाढ़ भी निर्मित तूफानी जल नालियों के डिजाइन के कारण होती है। उनके आउटलेट का आकार वर्षा की तीव्रता (मिमी/प्रति घंटा) और नालियों के अंदर अधिकतम प्रवाह पर आधारित होना चाहिए।
- भारत में या तो डिजाइन दिशा-निर्देश गायब हैं, या पीक फ्लो को समायोजित करने के लिए आउटलेट बहुत छोटे हैं। परिणामस्वरूप, औसत से अधिक वर्षा वाले इलाकों में बाढ़ आ जाती है।
- इसी तरह, पर्यावरण कानूनों और नगरपालिका उप-नियमों का उल्लंघन करके, खुले स्थान, आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों को निर्दयतापूर्वक (mercilessly) बनाया गया है, जिससे शहर अभेद्य और वर्षा जल के लिए प्रतिकूल हो गए हैं।
- दुर्भाग्य से, अतिक्रमणों के लिए हमेशा शहरी गरीबों को दोषी ठहराया जाता है जो अपर्याप्त सामाजिक आवास के कारण निचले जल निकासी क्षेत्रों में अनिश्चित रूप से रहते हैं।
- 2015 की विनाशकारी चेन्नई बाढ़ के बाद, विशेषज्ञों ने बताया कि शहरी जलमार्गों और आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा अतिक्रमणकर्ता वास्तव में राज्य सरकार थी जिसने जल निकायों पर रनवे, बस टर्मिनल और IT पार्क बनाए थे।
- जब से कंक्रीटाइजेशन शहरीकरण के लिए धुरी बना है, वर्षा अब भूमिगत या सतही जल निकायों की ओर नहीं जाती है।

निष्कर्ष

- हमारे शहरी अनुभव को आकार देने वाले हाइड्रोफोबिया को ठीक करने के लिए, हमें भूमि-केंद्रित शहरीकरण से दूर जाने और शहरों को वाटरस्केप के रूप में जानने की आवश्यकता है।
- हमें शहरी नदियों को उनके बाढ़ के मैदानों में वापस लाकर सांस लेने देना चाहिए।
- पूरे शहरी वाटरशेड (watershed) को ठीक करने की जरूरत है, और ऐसा होने के लिए, हमें जमीनी स्तर पर कम ठोस और अधिक लोकतंत्र की आवश्यकता है।

बिंदुओं को जोड़ना

- हिमाचल प्रदेश जल संकट
- भारत का जल संकट
- शहरीकरण और जल संकट

ग्लासगो जलवायु समझौता: उपलब्धियां और निराशाएं

संदर्भ:ग्लासगो जलवायु समझौता 13 नवंबर 2021 को अपनाया गया था और जैसा कि अपेक्षित था, यह मामूली उपलब्धियों और निराश उम्मीदों का एक मिश्रित बैग (bag) है।

मामूली उपलब्धियां (Modest Achievements)

- **1.5° लक्ष्य पर मौन सहमति:** वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों (पेरिस समझौते) से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का काल्पनिक लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमर्श अब तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य में मजबूती से टिका हुआ है ताकि जलवायु आपातकाल के पैमाने से मेल खा सके।
- **कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान देना:** समझौता जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण की आवश्यकता की पहली स्पष्ट मान्यता है, हालांकि ध्यान कोयला आधारित बिजली को पूरी तरह से छोड़ने पर था। मुख्यतः मसौदे में कोयले को "फेज आउट" करने की प्रतिज्ञा थी। भारत ने इसे "फेज डाउन" से बदलने के लिए अंतिम समय में एक संशोधन पेश किया।
  - फेज आउट से "फेज डाउन" में संशोधन भारत, चीन, यूके और यूएस के बीच विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हुआ।
- **अनुकूलन के महत्व की मान्यता:** विश्व ने माना कि केवल शमन ही पर्याप्त नहीं है और अनुकूलन को विकासात्मक रणनीतियों में मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। अब विकासशील देशों को इसके लिए उपलब्ध मौजूदा वित्त को दोगुना करने की प्रतिबद्धता है।
- **जलवायु वित्त के लिए नई प्रतिबद्धता:** 2005-2020 के बीच पेरिस समझौते का 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य कभी भी आधे से अधिक की कमी के साथ पूरा नहीं किया गया था। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब एक नए सिरे से प्रतिबद्धता है और इसके बाद एक उन्नत प्रवाह का वादा किया गया है।
- **विकासशील देशों के लिए नुकसान और क्षति के लिए मुआवजा:** यह अब बहुपक्षीय चर्चा का हिस्सा है और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गया है कि कार्य समूहों में इसकी जांच की जानी चाहिए। यह एक कदम आगे है, लेकिन जल्द ही किसी भी समय धन के सार्थक प्रवाह में तब्दील होने की संभावना नहीं है।
- **मीथेन संकल्प:** 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कटौती करने के लिए 100 देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **रिवर्स वनों की कटाई (Reverse deforestation):** 100 देशों का एक और समूह 2030 तक वनों की कटाई को उलटना शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। चूंकि इस समूह

में ब्राजील और इंडोनेशिया शामिल हैं, जहां जंगल के बड़े क्षेत्र हैं जो कानूनी और अवैध कटाई से तबाह हो रहे हैं, उम्मीद है कि वहां ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक के विस्तार में प्रगति होगी।

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 पर स्पष्टता- द्विपक्षीय कार्बन व्यापार कैसे आगे बढ़ सकता है और क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र की जगह एक केंद्रीकृत हब के निर्माण पर अधिक स्पष्टता है।
  - 1 जनवरी, 2013 के बाद पंजीकृत परियोजनाओं से अपने पहले NDC या पहले समायोजित NDC को पूरा करने के लिए CERs का उपयोग करने हेतु देशों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
  - यह उभरते हुए केंद्र की निगरानी (Supervisory) और मान्यता प्राप्त क्रेडिट की आधार रेखा की समीक्षा करने के लिए एक 12-सदस्यीय पर्यवेक्षी निकाय को भी नामित करता है।
- **भारत द्वारा नई प्रतिबद्धताएं:** प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिसकी तुलना चीन के 2060 के लक्ष्य तिथि के अनुकूल की गई। अक्षय ऊर्जा के लिए बढ़े हुए लक्ष्यों की उनकी घोषणाओं का भी स्वागत किया गया।
- **युवाओं का दबाव (Pressure by Youth) :** दुनियाभर में युवाओं द्वारा तत्काल कार्रवाई की अविश्वसनीय और भावुक वकालत की गई। यह सरकारों और नेताओं पर भारी दबाव डाल रहा है यदि यह कायम रहा तो यह अप्रतिरोध्य हो सकता है

निराश होना

- **भारत द्वारा अयोग्य कूटनीति:** कोयले और कोयला आधारित ताप विद्युत के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में, चीन कुल उन्मूलन के बजाय क्रमिक कमी को प्राथमिकता देता है। 10 नवंबर को घोषित जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका-चीन संयुक्त घोषणा में "फेज डाउन" शब्द का भी उल्लेख है। भारत ने संशोधन को पेश करने से विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों के एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र के साथ नकारात्मक रूप से भूमिका निभाई। उसे ऐसा करने के लिए चीन को बनाना चाहिए।
- **अपर्याप्त अनुकूलन वित्त:** अनुकूलन के लिए जलवायु वित्त वर्तमान में केवल $15 बिलियन है, दोहरीकरण का अर्थ $30 बिलियन होगा। यह पूरी तरह से अपर्याप्त है। UNEP के अनुसार, विकासशील देशों के लिए अनुकूलन लागत वर्तमान में $ 70 बिलियन सालाना अनुमानित है और 2030 तक सालाना अनुमानित $ 130-300 बिलियन हो जाएगी।
- **भारत नई पहलों में शामिल होने से इनकार कर रहा है:** भारत मीथेन प्लेज समूह (methane pledge group) का हिस्सा नहीं है। वन उत्पादों से संबंधित संभावित व्यापार उपायों पर एक खंड पर चिंता के कारण भारत भी रिवर्स वनों की कटाई समूह में शामिल नहीं हुआ।
- **पर्माफ्रॉस्ट समस्या में बड़ा मीथेन आपातकाल (Bigger methane emergency in Permafrost Problem):** मीथेन उत्सर्जन में कटौती, जो मुख्य रूप से मवेशी (livestock) द्वारा उत्पन्न होती है, यह निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन एक बहुत बड़ी मीथेन आपात स्थिति है क्योंकि साइबेरिया, ग्रीनलैंड और आर्कटिक तट पर पृथ्वी के पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में पिघलना शुरू हो जाता है जो कार्बन और मीथेन की भारी मात्रा को छोड़ देगा।
- **यूएस-चीन घोषणा और भारत:** 10 नवंबर को अमेरिका और चीन के बीच जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त घोषणा का तात्पर्य चीन की कट्टर स्थिति में बदलाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देश समग्र रूप से कम टकराव वाले, अधिक सहकारी संबंधों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके भू-राजनीतिक निहितार्थ होंगे, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसके लिए चालाकी सिकुड़ने की गुंजाइश (manoeuvre shrinking) है।
- **ठोस कार्रवाइयों का अभाव (Lack of Concrete actions) :** जलवायु परिवर्तन से निपटने के इरादे में अधिक महत्वाकांक्षा है लेकिन ठोस कार्रवाइयों के संदर्भ में दिखाने के लिए बहुत कम है। इन्हें भविष्य के विचार-विमर्श के लिए टाल दिया गया है। अगले साल एक बैठक में संवर्धित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। कोई अनुपालन प्रक्रिया नहीं है, लक्ष्य पर वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए केवल "नाम और अपमान" है।

निष्कर्ष

- यूके प्रेसीडेंसी ने उल्लेख किया कि 2019 तक, दुनिया का केवल 30% नेट जीरो लक्ष्यों से आच्छादित था और यह अब 90% के नजदीक पहुंच गया।
- ग्लासगो समझौते का अध्याय इंगित करता है कि सभी देशों को 2025 से शुरू होने वाले 5 साल के चक्रों पर संयुक्त राष्ट्र को जलवायु योजनाएं देनी चाहिए (2025 में 2035 NDCs, 2030 में 2040 NDCs जमा करना) जो कि जलवायु कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सही कदम है।

बिंदुओं को जोड़ना

- पेरिस जलवायु समझौता
- जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट
- जलवायु संकट से निपटना

भारत के विद्युत क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

संदर्भ: भारतीय उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के संकल्प का स्वागत किया और इसे ''व्यावहारिक दीर्घकालिक लक्ष्य'' करार दिया है। उद्योग जगत ने कहा कि देश इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है।

2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है?

- 2070 तक, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण की स्थिति और अर्थव्यवस्था में कई बदलाव होंगे।
- लगभग 50 वर्षों के नियोजन क्षितिज को छोटी अवधियों में विभाजित करने की आवश्यकता होगी ताकि उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में नए ज्ञान को योजनाओं में शामिल किया जा सके।
- इसके अलावा, योजनाओं की निगरानी (monitored) करने की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी अप्रत्याशित समस्या का जवाब देने के लिए पाठ्यक्रम को सही किया जा सके। पांच साल, जैसा कि यूके ने इस्तेमाल किया है, एक उचित "गोल्डीलॉक्स आदर्श (Goldilocks ideal)" जैसा लगता है।
- अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति की निगरानी के लिए, यूके में जलवायु परिवर्तन समिति (Climate Change Committee-CCC) जैसी एक स्वायत्त और तकनीकी रूप से विश्वसनीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए।
- एजेंसी सरकार को दीर्घकालिक और अंतरिम (पांच वर्षीय) लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र सलाह प्रदान करेगी जो महत्वाकांक्षी हैं, यह प्रगति और वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी भी करेगा तथा मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों का सुझाव देगा।

विद्युत क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

- डीकार्बोनाइजेशन कार्बन की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), जो वातावरण में भेजी जाती है।
- 2030 तक प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए अल्पावधि के लक्ष्य ज्यादातर बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं। यह उचित है क्योंकि यह GHG उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है और डीकार्बोनाइज करने का सबसे आसान स्रोत भी है।
- बिजली क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए, एकल उत्सर्जन-संबंधित उद्देश्य होना सबसे अच्छा होगा ताकि न्यूनतम लागत पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक इष्टतम रणनीति विकसित की जा सके।
- उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना एक अच्छा व्यापक उद्देश्य है; RE या गैर-जीवाश्म-ईंधन उत्पादन का बढ़ा हुआ उपयोग उस अंत का एक साधन है।
- सभी लोड-सर्विंग संस्थाओं पर लागू, बेची गई बिजली के प्रति किलोवाट घंटे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम के संदर्भ में अनुमेय उत्सर्जन तीव्रता निर्धारित करना, बिजली क्षेत्र में लक्ष्यों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा।
- बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग हर संसाधन के लिए अलग-अलग लक्ष्य हैं। इस तरह का दृष्टिकोण वितरण कंपनियों के अपने भार को पूरा करने के लिए संसाधनों का चयन करने के लचीलेपन को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक गैर-इष्टतम संसाधन मिश्रण और बिजली की उच्च लागत होती है।

निष्कर्ष

- अनुमेय उत्सर्जन तीव्रता (permissible emission intensity) के लिए पांच साल के अंतरिम लक्ष्यों का उपयोग और लक्ष्यों तथा नीतियों पर सरकार को सलाह देने, प्रगति की निगरानी के लिए एक स्वायत्त और विश्वसनीय एजेंसी की स्थापना से पहले, और भारतीय अर्थव्यवस्था बाद में 2070 तक बिजली क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक प्रभावी, आर्थिक और सुचारू संक्रमण की सुविधा होगी।

बिंदुओं को जोड़ना :

- जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट
- पेरिस जलवायु समझौता

'ऑर्गेनिक' ग्रोथ

संदर्भ: जैविक खेती 2025 तक 75000 करोड़ रुपये का बाजार बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जैविक बाजार के 20% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक जैविक बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है।

- जैविक खाद्य उत्पादन में सिंथेटिक इनपुट (जैसे उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, फ़ीड एडिटिव्स आदि) से बचा जाता है और यह फसल रोटेशन, फसल अवशेष, पशु खाद, ऑफ-फार्म जैविक अपशिष्ट, खनिज ग्रेड रॉक एडिटिव्स और पोषक तत्वों की जैविक प्रणाली और पौधों की सुरक्षा पर निर्भर करता है।
- जैविक खाद्य क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य भूमि पर खेती करना और फसलों को इस तरह से उगाना है कि यह लाभकारी रोगाणुओं के साथ जैविक कचरे (फसल, पशु और कृषि अपशिष्ट, जलीय अपशिष्ट) तथा तथा अन्य जैविक सामग्री के उपयोग से मिट्टी को जीवित और स्वास्थ्य में रखता है। (जैव उर्वरक) पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त वातावरण में स्थायी उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को पोषक तत्व जारी करता है ।

जैविक खाद्य क्षेत्र की मजबूती और क्षमता:

- यह पारंपरिक तकनीकों जैसे फसल चक्रण, हरी खाद, खाद और जैविक पर निर्भर करता है। यह सभी सिंथेटिक ऑफ फार्म इनपुट को छोड़कर कृषि, जैविक और यांत्रिक विधियों का उपयोग करके पूरा किया जाता है।
- यह कार्बनिक पदार्थों के स्तर को बनाए रखने और मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करके मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता की रक्षा करता है। इसमें अक्सर वर्मीकल्चर और वर्मी कम्पोस्टिंग भी शामिल होता है।
- माइकोराइजा (mycorrhiza) द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाएं, बढ़ते मौसम के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के प्राकृतिक उत्पादन की अनुमति देती हैं।
- फसल चक्रण लाभकारी कीड़ों, मृदा सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, और प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है।
- यह मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करता है। इसके लिए जल संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता होती है इसलिए जल संरक्षण होता है।
- टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन पद्धति, जिससे छोटे पैमाने के किसानों को विशेष लाभ होता है।
- यह खेत और आसपास के क्षेत्र में जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है।
- भारत के सबसे गरीब क्षेत्र के किसान चावल की रिकॉर्ड पैदावार, जैविक केले की पैदावार आदि रिकॉर्ड कर रहे हैं।
- भारत के पास विश्व की 9वीं सबसे बड़ी जैविक कृषि भूमि है और सबसे अधिक उत्पादक सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को टिकाऊ खेती में परिवर्तित करके भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है।
- हालांकि, जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते खतरों ने ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित किया; बाढ़, सापेक्ष बाजार की मांग आदि जैविक खाद्य क्षेत्र के विकास लिए गंभीर चुनौती है।
- खेती की लागत बढ़ जाती है क्योंकि इसके सिंथेटिक इनपुट गहन समकक्ष की तुलना में उत्पादन में अधिक समय और ऊर्जा लगती है।
- विशिष्ट किसान प्रशिक्षण लागत, उच्च प्रसंस्करण और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत, बढ़ी हुई पैकेजिंग, लोजिस्टिक्स और वितरण लागत अंतिम उत्पादों की कीमत में बढ़ोत्तरी करती है।
- परंपरागत खेती और जैविक खेती के बीच अंतर के बारे में उत्पादक स्तर पर कम जागरूकता है।
- उपभोक्ता पक्ष में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के बीच भ्रम है और जैविक खाद्य उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों की सीमित समझ है।
- बढ़ती मांग और कम आपूर्ति ने जैविक खाद्य उत्पादों पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा दिया है; यह ग्राहक को गैर-जैविक सस्ते उत्पादों के लिए चुनने की ओर ले जाता है।
- इसलिए, किसानों को इनपुट खरीद, फसल के बाद के बुनियादी ढांचे के निर्माण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रचार, परिवहन, जैविक मेलों आदि सहित मूल्यवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य हो जाता है।
- कुछ सरकारी पहल और स्थानीय स्तर के नवाचार निम्नलिखित तरीकों से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं:
- जैविक खेती योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) जो "स्थान विशिष्ट" कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देती है, यह कृषि को टिकाऊ बनाने में मदद करती है।
- इसके अलावा, परम्परागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana-PKVY) जो क्लस्टर दृष्टिकोण और PGS प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गांव को अपनाने के माध्यम से विभिन्न जैविक खेती मॉडल को बढ़ावा देती है।
- गैर-मेट्रो शहरों में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद्य व्यवसाय में शामिल कंपनियों के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- समुदाय समर्थित कृषि फार्म बनाना या "अपना खुद का भोजन उगाना" कार्यक्रमों के साथ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA) के तहत एक उप-मिशन है, जिसका उद्देश्य उत्पादकों को जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है। उपभोक्ताओं के साथ यह संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से शुरू होने वाली संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करने के लिए है।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश में जैविक खाद्य उत्पादों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों के निर्माण में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना भी है।

निष्कर्ष:

जैविक खाद्य उत्पादन अपनी नवीन प्रकृति, पर्यावरण को कम नुकसान, और लागत प्रभावशीलता के कारण बढ़ती पर्यावरणीय तथा वैश्विक बाजार श्रृंखला चुनौतियों के समय में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, जैविक खाद्य क्षेत्र को "स्थानीय से वैश्विक" कार्यक्रम के लिए ब्रांड के

रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके अलावा यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगा।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं:

1. कोई भी कृषि प्रणाली अकेले ग्रह को सुरक्षित रूप से नहीं खिलाएगी। बल्कि, भविष्य के वैश्विक खाद्य और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए जैविक और अन्य नवीन कृषि प्रणालियों के मिश्रण की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिये।
2. सिक्किम भारत का पहला 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5G: रोडब्लॉक और आगे की राह

संदर्भ: वाणिज्यिक 5G नेटवर्क को 2020 में तैनात किया जाना शुरू हुआ और दुनिया के मोबाइल कनेक्शन (1.1 बिलियन) के 12% तक पहुंचने और ऑपरेटरों के लिए 2025 तक यूएस $ 1.3 ट्रिलियन तक राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है।

5G से लाभ:

- बेहतर डेटा स्थानांतरण गति
- विलंबता समय कम करना
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सक्षम करके चौथी औद्योगिक क्रांति को आकार देना
- अधिक डेटा-गहन, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना।

बाधाएं (Roadblocks)

- भारत का दूरसंचार क्षेत्र हाल के दिनों में जियो के आने से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव में है।
- इसके अलावा, ₹90,000 करोड़ से अधिक अनुमानित AGR बकाया पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय स्थिति को और खराब कर दिया है।
- कुछ साल पहले दूरसंचार ऑपरेटरों की संख्या लगभग 15 से घटकर मुट्ठी भर रह गई है।
- इस परिदृश्य में, 5G के लिए फाइबर केबलों की तैनाती में आवश्यक भारी निवेश दूरसंचार कंपनियों की चिंता को बढ़ा सकता है।

क्या किये जाने की आवश्कता है?

- **भारत के लिए तत्काल प्राथमिकता:** अंतिम उपयोगकर्ताओं और कवर की जाने वाली आबादी की पहचान करना, मौजूदा नेटवर्क और ऑपरेटरों का विश्लेषण, 5G रोल आउट के लिए शहरों की पहचान, एक निवेश मॉडल तैयार करना, और डिजिटल जोखिम और मूल्य निर्धारण को कम करना होगा। बाह्यताओं और विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग के आधार पर।
- **लागत-लाभ विश्लेषण:** स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण के बाद भारत में 5G की तैनाती की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है, जो बाजार तंत्र जैसे कि सुविधा, अनुकरण, नीलामी, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, कार्यशील बाजारों के माध्यम से एक समान अवसर तैयार करेगा। आदि।
- **स्पेक्ट्रम रोड मैप:** एक बार 5G के लिए मामला बनने के बाद, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) एक पूर्वानुमानित नवीनीकरण प्रक्रिया के साथ एक फुलप्रूफ स्पेक्ट्रम रोड मैप तैयार करने पर विचार कर सकता है जो तैनाती के लिए आवश्यक भारी निवेश की भरपाई करेगा और कवरेज सुनिश्चित करेगा।
- **उपलब्ध स्पेक्ट्रम को साझा करना:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कुशल उपयोग को अधिकतम करने के लिए, और निवेश के पक्ष में स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है।
- **सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए एक समान अवसर का निर्माण किया जाना चाहिए:** उन कंपनियों पर अधिक ध्यान देने के साथ जिनके पास दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क सुनिश्चित करने का अनुभव है और सस्ती कवरेज प्रदान करने की क्षमता है।
- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** इसके अलावा, इन नीतिगत सुधारों के साथ-साथ स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति इस क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए शुभ संकेत है।
- **राहत पैकेज:** 5जी को लागू करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है और राहत पैकेज स्वागत योग्य कदम है।
- **डिजिटल डिवाइड के प्रति जागरूक:** 5G का नकारात्मक प्रभाव 'डिजिटल डिवाइड' को और बढ़ा रहा है। इसलिए, सरकार की नीतियों को बैंडविड्थ के सिंक्रनाइज़ेशन के माध्यम से किफायती कवरेज पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष

चूंकि भारत ने लागत प्रभावी 4G प्रौद्योगिकी के कारण अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहले ही डिजिटल क्रांति देखी है, 5G का उपयोग इस क्षेत्र को बढ़ाने और विनिर्माण तथा नवाचार केंद्र के रूप में उभरने के भारत के लक्ष्य को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बिंदुओं को जोड़ना

संसदीय समिति और 5G

इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियाँ

संदर्भ: इलेक्ट्रिक वाहनों को एक गंभीर उत्सर्जन समस्या का प्रमुख समाधान माना जाता है, लेकिन इसमें चुनौतियों बहुत है।

- Electric Vehicles ऐसा वाहन है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर पर संचालित होता है, बजाय एक पारंपरिक इंजन के जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करता है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की कम चलने वाली लागत होती है और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि वे बहुत कम या बिना जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का उपयोग करते हैं।
- इसलिए, Electric Vehicles को वर्तमान पीढ़ी के ऑटोमोबाइल के लिए संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाता है, ताकि बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, आदि के मुद्दे को रोका जा सके।

परिवहन क्षेत्र और उत्सर्जन

- ईंधन जलाने से होने वाले प्रत्यक्ष कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग एक चौथाई के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है। इसमें पैसेंजर कारों की हिस्सेदारी 45 फीसदी है।
- उत्सर्जन टेलपाइप निकास से आगे जाता है (Emissions goes beyond tailpipe exhaust): वाहन के 20,000-30,000 भागों को बनाने का प्रत्येक चरण, जिसमें कुछ हज़ार टन एल्यूमीनियम, स्टील और अन्य सामग्री शामिल होती है, उत्सर्जन पैदा करता है।

ऊर्जा की खपत

- एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से लेकर भागों के पुनर्चक्रण(Parts Recycling) तक CO2 उत्सर्जन के लिए अपने जीवन भर जिम्मेदार होगी। बैटरियों के विनिर्माण के दौरान ऊर्जा का एक बड़ा सौदा शामिल है और अक्सर बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के मुद्दे

- इलेक्ट्रिक वाहन अंततः टेलपाइप-उत्सर्जन समस्या को हल कर सकते हैं, वे पर्यावरण को हुए सभी नुकसानों को संबोधित नहीं करते हैं।
- पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (internal combustion engine-ICE) वाहनों की तुलना में, EVs बनाते समय निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें जीवन-चक्र उत्सर्जन के एक उच्च हिस्से के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- जैसे-जैसे EVs गति पकड़ती है, बैटरी उत्पादन और अनुसंधान आगे बढ़ रहा है और बिक्री बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 2040 तक भौतिक उत्सर्जन आज के 18% से बढ़कर 60% से अधिक हो जाएगा।
- कार के उत्पादन चरण को डीकार्बोनाइज़ करना उपयोग चरण की तुलना में कठिन है।
- वर्तमान में EVs में बैटरी इकाइयां भारी हैं, जिससे कार का कुल वजन बढ़ जाता है, जिसके लिए ड्राइव करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- इससे निपटने के लिए, कार निर्माता हल्के वजन वाले बॉडी डिज़ाइन के लिए एल्युमीनियम की ओर रुख कर रहे हैं, जिसमें EV पारंपरिक वाहनों की तुलना में 45% अधिक एल्युमीनियम का उपयोग करते हैं। एल्युमीनियम से उत्सर्जन बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि यह खदान और उत्पादन के लिए ऊर्जा-गहन है।
- कंपनियां ऐसी बैटरी बनाने की कोशिश करती हैं जो कारों को और आगे ले जा सकें, वे निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज का उपयोग कर रही हैं, जो अधिक ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न करती हैं।
- कार निर्माण आपूर्ति श्रृंखला में उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन "अपने आपूर्तिकर्ताओं के उत्सर्जन डेटा के खराब प्रकटीकरण के कारण कार निर्माता द्वारा ठीक से निर्धारित नहीं किया गया है।
- **दुर्लभ धातुओं का उपयोग :** रीसाइक्लिंग की भारी समस्या का उल्लेख नहीं भी करते हुए .... इन कार बैटरी को बहुत विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो अक्सर दुर्लभ होती हैं। विशेष रूप से पर्यावरण और मानवीय संदर्भ में अक्सर लिथियम या कोबाल्ट भारी मात्रा में हानिकारक है।

आगे की राह

- EVs के जीवन-चक्र उत्सर्जन पर बेहतर प्रकटीकरण के साथ आगे का सबसे अच्छा रास्ता शुरू होता है।
- बेहतर EVs बैटरी बनाने की आवश्यकता है, ताकि छोटी, हल्की बैटरी में अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके।
- बैटरी पुनर्चक्रण, कम कार्बन-गहन सामग्री का उपयोग करने वाले प्रकारों को प्राथमिकता देना, या बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्रक्रिया पर उत्सर्जन कैप जैसे यथार्थवादी समाधानों की आवश्यकता है।

बिंदुओं को जोड़ना

- इलेक्ट्रिक वाहन: नॉर्वे का एक केस स्टडी

- प्रसिद्धि योजना
- ऑटो उद्योग पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव

समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

संदर्भ: 7000 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा के साथ, समुद्री सुरक्षा भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समुद्र जनित खतरों के विरुद्ध तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार तटीय सुरक्षा योजना को चरणों में लागू कर रही है।

समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता

- हिंद महासागर में फैली एक लंबी तटरेखा और बड़ी द्वीप श्रृंखलाओं के साथ, भारत में एक प्राकृतिक समुद्री अभिविन्यास है, जिसके आसपास के समुद्रों के माध्यम से संचार के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं।
- वैश्विक व्यापार का 90% उच्च समुद्रों पर किया जाता है, इसका कारण यह है कि यह परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है।
- संचार के समुद्री मार्गों में व्यवधान के राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिणाम हैं।
- नौवहन की स्वतंत्रता और अबाध वाणिज्य समृद्धि के प्रसार की कुंजी है।
- भारत के प्राकृतिक हित हिंद और प्रशांत महासागर दोनों में फैले हुए हैं, जैसा कि इसके समावेशी इंडो-पैसिफिक विजन में परिलक्षित होता है।
- तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल की क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि क्षेत्रीय जल में गश्त और निगरानी की जा सके, विशेष रूप से तट के करीब उथले पानी में।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के साथ-साथ समुद्री मार्गों की सुरक्षा के बारे में चिंता के कारण भारत की सामरिक रुचि बढ़ रही है।
- 2018 शांगरी-ला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की, जिसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया।
- बाद में 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में, प्रधानमंत्री ने 'इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव' का प्रस्ताव करके सहकारी और सलाहकार ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रस्तावित आई.पी.ओ.आई. के माध्यम से, भारत समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित, भयमुक्त तथा स्थिर बनाने के इच्छुक राष्ट्रों के बीच सहकारी व सहयोगी ढांचा बनाना चाहता है।
- इस साल अगस्त में भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस की मेजबानी की।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का 5 सूत्री एजेंडा

- हमें समुद्री व्यापार में बाधाओं को दूर करना चाहिए क्योंकि वे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां हैं।
- समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर ही सुलझाया जाना चाहिए।
- हमें प्राकृतिक आपदाओं और गैर-सरकारी तत्वों द्वारा एक साथ सृजित समुद्री खतरों का सामना करना चाहिए।
- हमें समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।
- हमें जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए।

प्रमुख उपाय -

- देश के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि करना चाहिए।
- तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी निगरानी।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना।
- समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों का बढ़ा हुआ विनियमन।
- मछली पकड़ने और तटीय समुदायों का एकीकरण।
- समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में 'मिशन आधारित तैनाती' पर भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों को नियमित रूप से तैनात किया जाता है।
- समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं को दूर करने के लिए निगरानी करना।
- ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (All in the Region-SAGAR) के भारत सरकार के दृष्टिकोण और हमारे विस्तारित समुद्री पड़ोस में 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार' के रूप में अपनी भूमिका बनाने के लिए समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region-IOR) में मैत्री/सहयोग बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। मित्र देशों के साथ परिचालनात्मक बातचीत में संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ)

निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line-IMBL), समुद्री अभ्यास आदि के साथ वार्षिक / द्वि-वार्षिक आधार पर समन्वित गश्त जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

- भारत IOR में समुद्री डोमेन जागरूकता पैदा करने के लिए मित्र देशों के साथ समुद्री सूचना का द्विपक्षीय रूप से आदान-प्रदान भी करता है। इसमें शत्रुतापूर्ण/प्रतिकूल देशों की सैन्य और नौसैनिक संपत्तियों की जानकारी शामिल है; पारस्परिक सरोकार की समुद्री गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री आधारित खतरों से संबंधित गतिविधियों का आकलन।
- भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के क्षेत्रीय फोरम (Asian Nations Regional Forum-ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit-EAS) और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM Plus) जैसे क्षेत्रीय ढांचे में भी भाग लेता है ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने सहयोग और आदान-प्रदान का विस्तार किया जा सके।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. समुद्री सुरक्षा के विभिन्न प्रमुख पहलू क्या हैं और इस क्षेत्र में सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या किया जा रहा है?
2. हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते भू-रणनीतिक और आर्थिक महत्व ने एक मजबूत तटीय सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को आवश्यक बना दिया है। क्या आप सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया की पुष्टि करें।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

चीन का नया सीमा कानून

प्रसंग: हाल ही में चीन ने अपने सीमा सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित एक नया कानून बनाया है।

इसी बीच यह

- हिमालय में भारत के साथ तनावपूर्ण गतिरोध, जिसने पिछले साल एक घातक (clash) संघर्ष को जन्म दिया;
- चीन की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर म्यांमार में जुंटा सैनिकों और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच छिटपुट सशस्त्र संघर्ष।
- अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के अधिग्रहण के बाद एक अराजक अफगानिस्तान से आतंक फैलने का जोखिम।
- जबकि अफगानिस्तान से आतंक फैलना या म्यांमार सीमा पर हिंसा चिंता का विषय है, कानून सही समय पर यह बताता है कि भारत पर लक्ष्य का दबाव है।

चीन की भूमि सीमा

- चीन, भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी 22,457 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है, जो मंगोलिया और रूस के सीमाओं के बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा है।
- हालांकि, भारतीय सीमा के विपरीत, इन दोनों देशों के साथ चीन की सीमाएं विवादित नहीं हैं।
- भूटान और चीन के बीच 477 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन और भूटान सीमा पर मुख्य रूप से दो इलाके ऐसे हैं, जिसपर विवाद ज्यादा है।

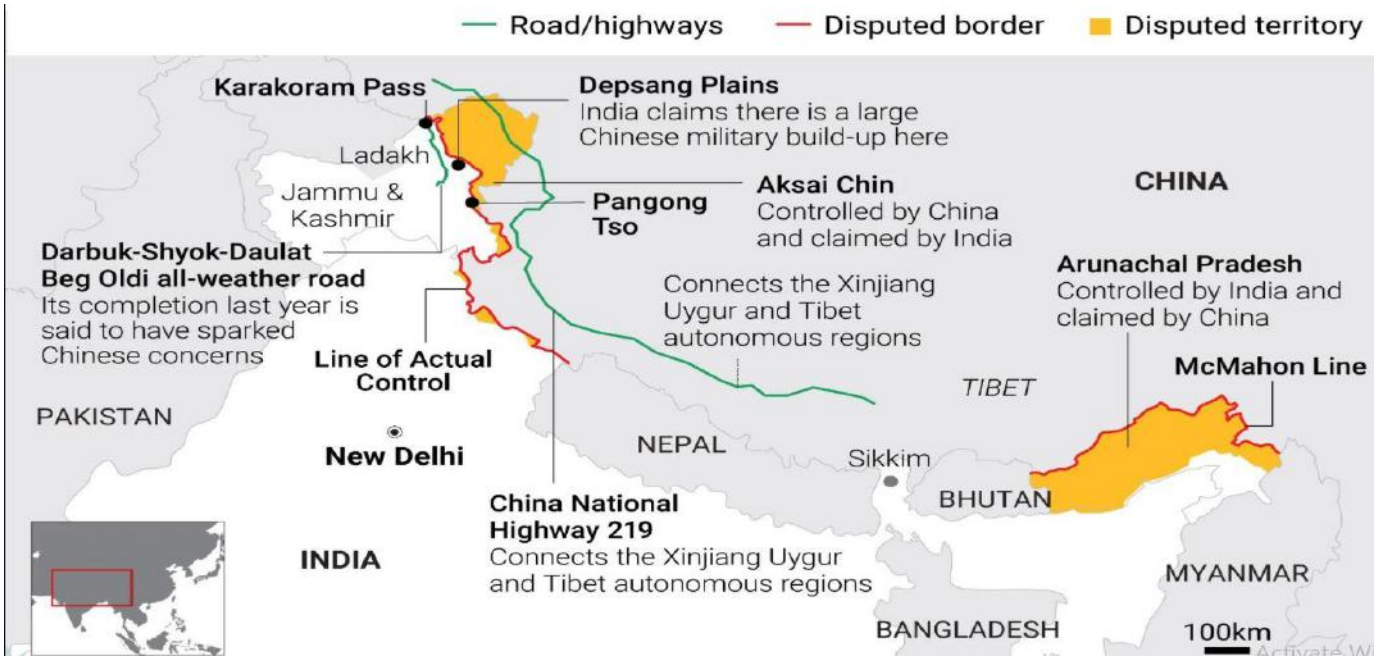

नई सीमा कानून

- भूमि सीमा कानून का उद्देश्य यह मानकीकृत करना है कि चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी 22,100 किलोमीटर की विशाल भूमि सीमाओं पर कैसे गश्त करता है।
- इस नए कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इस कानून को 'द लैंड बॉर्डर्स लॉ' कहा गया है
- यह बताता है कि चीन पड़ोसियों के साथ सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाएगा, ताकि विवादों और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को ठीक से सुलझाया जा सके।
- भूमि सीमा के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राज्य परिषद और केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- कानून की आवश्यकता थी क्योंकि चीन के सीमा नियंत्रण के समन्वय के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था।
- यह कानून पहले मार्च 2021 में प्रस्तावित किया गया था और अब यह 1 जनवरी, 2022 तक लागू होगा।

भारत ने इस मुद्दे पर जताई चिंता-

- कानून लाने के चीन के एकतरफा फैसले का सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा प्रश्न पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।
- इस तरह के एकतरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो दोनों पक्ष पहले ही पहुंच चुके हैं, चाहे वह सीमा प्रश्न पर हो या भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में LAC पर शांति बनाए रखने के लिए हो।
- भारत को उम्मीद है कि चीन इस कानून के बहाने कार्रवाई करने से बच जाएगा जो भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एकतरफा बदल सकता है।

भारत और यूरेशिया नीति (India & Eurasia Policy)

संदर्भ: हाल के वर्षों में नई दिल्ली की गहन कूटनीति के परिणामस्वरूप भारत की 'हिंद-प्रशांत रणनीति' को राजनीतिक और संस्थागत सफलता प्राप्त हुई है। हालाँकि, 'हिंद-प्रशांत' (Indo-Pacific) विशिष्ट रूप से समुद्री भू-राजनीति तक सीमित है, जबकि भारत को अपनी महाद्वीपीय रणनीति पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- भारत को अब 'हिंद-प्रशांत' की ही तरह 'यूरेशियाई' नीति के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये, क्योंकि यह हिंद-प्रशांत में भारत और यूरोप की नवीन संलग्नता को स्वाभाविक रूप से एक पूरकता प्रदान करेगा।

भारत की यूरेशियाई विदेश नीति का इतिहास

- यूरेशिया के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के संदर्भ प्राप्त होते हैं। बौद्ध युग में संघ और श्रेणी के बीच सहयोग ने दोनों भूभागों के बीच दीर्घकालिक अंतःक्रिया को जन्म दिया।
- बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत के अंतर्मुखी रुझान ने उपमहाद्वीप में मध्य एशियाई बलों के प्रवाह को नहीं रोका।
- औपनिवेशिक काल ने मध्य एशिया में भारत के प्रभाव का बाहरी प्रक्षेपण देखा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में 'ग्रेट गेम' के दौरान रूस के साथ ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता ने यूरेशियाई भू-राजनीति को अविभाजित भारत के सुरक्षा एजेंडे में सबसे ऊपर रख दिया था।
- **यूरोप को भारत के महाद्वीपीय समीकरण में वापस लाना:** स्वतंत्रता से पहले कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से देश की मुक्ति के लिये यूरोप का रुख किया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, मास्को के साथ गठबंधन के लिये नई दिल्ली के झुकाव के कारण यूरोप के रणनीतिक महत्त्व की उपेक्षा की गई है।
- **रोपीय संघ और नाटो के सदस्यों के साथ संलग्नता:** भारत की यूरेशियाई नीति में अनिवार्य रूप से यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के साथ अधिकाधिक संलग्नता शामिल होनी चाहिये।

यूरेशिया में चुनौतियां

1. पाकिस्तान के साथ लगातार समस्या

- हाल ही में आयोजित 'अफगानिस्तान पर दिल्ली की क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता' भारत द्वारा एक यूरेशियाई रणनीति विकसित करने का ही एक अंग है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने इस चर्चा में शामिल होने के लिये पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, रूस और चीन के अपने समकक्षों को आमंत्रित किया था।
- हालाँकि, पाकिस्तान और चीन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अफगानिस्तान के मामले में भारत के साथ संलग्न होने की पाकिस्तान की अनिच्छा से एक नई यूरेशियाई रणनीति को आकार देने में दिल्ली की इस्लामाबाद के साथ लगातार बनी रही समस्या रेखांकित होती है।

2. यूरेशिया का अर्थ

- यूरेशिया क्षेत्र के गठन के बारे में कोई साझा अंतरराष्ट्रीय समझ नहीं है।
- भौगोलिक दृष्टि से, यूरेशिया एक टेक्टोनिक प्लेट का नाम है जो कि यूरोप और एशिया के रूप में जैसा हम जानते हैं उसके नीचे स्थित है।

- रूस की परिभाषा में, यूरेशिया सोवियत संघ के पूर्व क्षेत्रों को शामिल करता है, जो 1991 में ढह गया। दूसरे शब्दों में, यह रूस के अपने "निकट विदेश" में प्रभाव क्षेत्र के राजनीतिक दावे के बारे में है।
- मुस्लिम मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच गहरे संबंध को देखते हुए, कुछ लोग इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों का वर्णन करने के लिए "ग्रेटर मिडिल ईस्ट" शब्द को पसंद करते हैं।
- भारत के लिए, इस क्षेत्र की पुनर्कल्पना में यूरेशिया की व्यापक संभव परिभाषा का उपयोग करना समझ में आता है।

3. चीन का उदय

- यूरेशिया में एक मुख्य पक्ष के रूप में चीन: यूरेशिया में हाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीन का नाटकीय उदय और उसकी बढ़ती रणनीतिक मुखरता, आर्थिक शक्ति का विस्तार एवं बढ़ता राजनीतिक प्रभुत्व है।
- भूटान और भारत के साथ लंबी एवं विवादित सीमा के प्रति बीजिंग का दृष्टिकोण, ताजिकिस्तान में सैन्य उपस्थिति का उसका प्रयास, अफगानिस्तान में एक बड़ी भूमिका निभाने की उसकी तीव्र इच्छा, और विस्तृत उप-हिमालयी क्षेत्र के मामलों में उसकी अधिकाधिक संलग्नता उसके बढ़ते प्रभाव की पुष्टि करती है।
- विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन के वाणिज्यिक प्रभाव को दुनिया भर में महसूस किया जाता है और भौतिक निकटता आंतरिक एशियाई क्षेत्रों पर चीन के आर्थिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है।
- मध्य एशिया, रूस और अटलांटिक क्षेत्र में चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल के विस्तार और चीन पर यूरोप की बढ़ती आर्थिक निर्भरता ने यूरेशिया क्षेत्र में बीजिंग के प्रभुत्वशाली लाभ की स्थिति को और सुदृढ़ किया है।
- चीन की इस लाभ की स्थिति को रूस के साथ उसके गहन गठबंधन से बल मिला है जो यूरेशियाई हृदयभूमि पर व्यापक विस्तार रखता है।

4. अमेरिका यूरेशिया के लिए अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार करता है।

- अफ़ग़ानिस्तान से अमरीका की वापसी अमरीका की वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकताओं की लंबे समय से लंबित पुनर्परिभाषा की शुरुआत भर है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ अब यूरोप की सामूहिक रक्षा के लिए ट्रांस-अटलांटिक जिम्मेदारियों को पुनर्संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- यूरेशिया क्षेत्र में अमेरिका द्वारा अपनी उपस्थिति का आकार बदलने के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय शक्तियां यूरेशिया को नया आकार देने जा रही हैं।

यूरेशियन नीति विकसित करने के लिए भारत के लिए आगे की राह

- भारत ने निश्चित रूप से दशकों से यूरेशिया के घटक क्षेत्रों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया है। दिल्ली को अब यूरेशिया के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- भौगोलिक सीमा पर काबू पाना - पाकिस्तान बाधा द्वारा प्रतिनिधित्व - यूरेशियाई भू-राजनीति में विस्तारित भारतीय भूमिका के लिए केंद्रीय होगा।
- चूँकि भारत अब यूरोप के साथ अपनी संलग्नता बढ़ा रहा है, यह उपयुक्त समय है कि वह यूरेशियाई सुरक्षा पर 'ब्रसेल्स' (जिसे प्रायः यूरोपीय संघ की राजधानी के रूप में देखा जाता है) के साथ रणनीतिक वार्ता शुरू करे।
- भारत को रूस के साथ यूरेशियाई सुरक्षा पर बातचीत तेज करने की जरूरत है। जबकि इंडो-पैसिफिक, क्वाड, चीन और तालिबान पर भारत-रूस के मतभेद वास्तविक हैं, दिल्ली और मॉस्को के पास यूरेशिया पर अपने मतभेदों को कम करने के अच्छे कारण हैं।
- भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखने वाले तुर्की-पाकिस्तान गठबंधन पर काबू पाने के लिये भी ईरान और अरब देशों के साथ भारत की साझेदारी महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने गुज़रते दशकों में यूरेशिया के संघटक क्षेत्रों के साथ अलग-अलग संलग्नता रखी है, लेकिन यूरेशिया में मजबूती से पैर जमाने के लिये नई दिल्ली को अब एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- भारत को निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, ईरान और अरब की खाड़ी के प्रसंग में अपने रास्ते में कई विरोधाभासों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन अंतर्विरोधों से उसके कदम रुकने नहीं चाहिये।

बिंदुओं को जोड़ना

- QUAD
- अन्य QUAD
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- AUKUS

Q.1 IUCN के अनुसार यदि निम्नलिखित एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है तो कौन सा है?

a) एक बाघ
b) सिंधु नदी डॉल्फिन
c) गंगा डॉल्फिन
d) चार-पैर वाला टेरापिन (Four-toed Terrapin)

Q.2 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनौपचारिक गतिविधि का उच्चतम हिस्सा कृषि में है।
2. हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि COVID-19 के कारण अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3 नीला कार्बन क्या है?

a) महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा कैप्चर्ड कार्बन
a) वन बायोमास और कृषि मिट्टी में अनुक्रमित कार्बन
b) ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन
c) वातावरण में मौजूद कार्बन

Q.4 गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन -सा गलत है?

a) यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है।
b) यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों में पाया जाता है।
c) यह स्वस्थ जलीय प्रणालियों का सूचक है।
d) यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) की अनुसूची III के तहत संरक्षित है।

Q.5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. X और Y गुणसूत्रों को ऑटोसोमल डीएनए के रूप में जाना जाता है।
2. हाल ही में, प्रसिद्ध लकोटा नेता सिटिंग बुल के एक जीवित वंशज की पहचान की गई है और एक ऑटोसोमल डीएनए तकनीक का उपयोग करके पुष्टि की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6 निम्नलिखित में से कौन सा देश BASIC देशों के समूह का हिस्सा नहीं है?

a) ब्राजील
b) दक्षिण अफ्रीका
c) ऑस्ट्रेलिया
d) भारत

Q.7 पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरणों का अवशोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है?

a) ओजोन
b) जल वाष्प
c) कार्बन डाई-ऑक्साइड
d) उपरोक्त सभी

Q.8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. NHRC के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9 खालसा के नाम से जानी जाने वाली सुव्यवस्थित सिख सेना में दीक्षा संस्कार की शुरुआत किसने की?

a) गुरु हर राय
b) गुरु हर गोबिंद
c) गुरु तेग बहादुर
d) गुरु गोबिंद सिंह

Q.10 COVAX पहल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?

a) गेविक (Gavi)
b) महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन (CEPI)
c) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
d) उपरोक्त सभी

Q.11 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित एसेट्स (NPAs) को खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें।
2. ARCs सेबी के तहत पंजीकृत हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) बैंकिंग प्रणाली
b) राष्ट्रीय शिक्षा नीति
c) जीएसटी
d) भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध

Q.13 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नेताओं ने 'जॉइन, वर्क, ग्रो, टुगेदर' की थीम के तहत एक घोषणा को अपनाकर 2021 APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का समापन किया।
2. भारत इसके संस्थापकों में से एक है।
3. इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.14 भू-प्रजातियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

a) भूस्खलन को रोकने के लिए बाड़ लगाना
b) स्वदेशी स्वास्थ्य प्रथाओं का अभ्यास करने वाला जनजातीय समूह
c) आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रकार
d) COVID महामारी के बाद अचल संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मांग

Q.15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) एक खतरनाक क्षुद्रग्रह द्वारा पृथ्वी के प्रभाव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकियों का एक रक्षा-संचालित परीक्षण है।
2. इसे इसरो द्वारा डिमोर्फोस नामक छोटे चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जाएगा।

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 टेक नीव (Tech NEEV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकार जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 2022 के अंत तक अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 30 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) हब स्थापित करेगी।
2. Tech NEEV एक साल तक चलने वाला उत्सव है जो समान समावेशी आर्थिक विकास के लिए समुदायों को सशक्त बनाने में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार (STI) के प्रभाव को उजागर करता है।
3. इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.17 निम्नलिखित में से कौन भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में मदद करेगा?

a) सुचारू और भूमि अधिग्रहण
b) निवेशकों के लिए भूमि बैंक बनाना
c) सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण
d) उपरोक्त सभी

Q.18 गोंड समुदाय भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक रूप से फैला हुआ है?

a) मध्य प्रदेश
b) छत्तीसगढ़
c) झारखंड
d) उपरोक्त सभी

Q.19 निम्नलिखित पर विचार करें:

1. आंध्र प्रदेश की अन्ना कैंटीन
2. झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री दल भाट
3. उड़ीसा का आहार केंद्र

ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हैं?

a) SCs और STs के लिए राशन की दुकानें
b) गरीब लोगों के लिए सामुदायिक रसोई
c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र
d) मध्याह्न भोजन योजनाओं के तहत खाना पकाने के केंद्र

Q.20 गुरु ग्रंथ साहिब को निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया था?

a) गुरु गोबिंद सिंह
b) गुरु अर्जुन
c) गुरु नानक
d) गुरु हरगोबिंद

Q.21 नौसेना की समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (MCPP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नौसेना की समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (MCPP)' संख्या के बजाय क्षमता निर्माण पर जोर देती है।

2. MCPP 2005-22 से तीन योजना अवधियों में फ़ोर्स डेवलपमेंट (force development) और आधुनिकीकरण की योजनाएं निर्धारित करता है।

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22 संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया?

a) 2003 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
b) 2003 का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम
c) 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018
d) 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016

Q.23 एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है?

a) बीजिंग
b) शंघाई
c) टोक्यो
d) गुरुग्राम

Q.24 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. CCI में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 विश्व की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी?

a) हरियाणा
b) मध्य प्रदेश
c) गुजरात
d) उत्तर प्रदेश

Q.26 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया?

a) UNICEF
b) सर डेविड एटनबरो
c) मनमोहन सिंह
d) NGO प्रथम

Q.27 निम्नलिखित में से कौन G7 देशों का हिस्सा नहीं है?

a) जर्मनी
b) रूस
c) इटली
d) जापान

Q.28 अब्राहम समझौते के तहत निम्नलिखित में से किस देश के इजरायल के साथ औपचारिक संबंध नहीं हैं?

a) संयुक्त अरब अमीरात
b) जॉर्डन
c) सूडान
d) मोरक्को

Q.29 वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके पास लिथियम का उच्चतम भंडार है?

a) बोलीविया
b) अर्जेंटीना
c) चिली
d) यूएसए

Q.30 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2 (NFHS-4) से घटकर 2.0 हो गई है।
2. सभी लैंगिक और आयु समूहों में एनीमिया के मामलों में जबरदस्त कमी देखी गई है।

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31 कुपोल नामक मिसाइल चेतावनी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?

a) यूएसए
b) यूके
c) फ्रांस
d) रूस

Q.32 निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है?

a) चीन
b) भारत
c) जापान
d) पाकिस्तान

Q.33 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है
2. इसे ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किया जाता है

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.34 गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है?

a) कृषि
b) समुद्री मात्स्यिकी
c) डेयरी
d) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

Q.35 अधिकतर खबरों में रहने वाला प्रोजेक्ट-75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) मिसाइल
b) रडार
c) ग्राम पंचायत अधिकारिता
d) पनडुब्बियां

Q.36 राष्ट्रीय अपील न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये संविधान द्वारा नहीं बल्कि संसदीय विधानों द्वारा स्थापित न्यायालय हैं
2. यह सर्वोच्च न्यायालय के बोझ को कम करने में मदद करता है

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान (WISER) कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत-जापान जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (IGSTC) द्वारा एक कार्यक्रम है।
2. यह अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों/उद्योग में नियमित/दीर्घकालिक अनुसंधान पदों पर रहने वाली महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा और न तो ब्रेक-इन-कैरियर की आवश्यकता है और न ही कोई आयु सीमा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) 2 केवल
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38) संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
2. 1976 में आपातकाल के बाद की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द जोड़े गए।
3. जब 1949 में संविधान को अपनाया गया था, तब नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे, हालांकि मौलिक अधिकारों के लिए एक भाग III था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.40) ग्रीनहाउस प्रभाव कैसे काम करता है?

a) ग्रीनहाउस गैसें सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करती हैं, जिससे यह पृथ्वी को गर्म करती है।
a) ग्रीनहाउस गैसें सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, गर्मी को धीमा कर देती हैं या अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं।
b) ग्रीनहाउस गैसें सीधे महासागरों को गर्म करती हैं और नाटकीय मौसम का कारण बनती हैं।
c) महासागर ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है

उत्तर कुंजी

1. D
2. A
3. A
4. D
5. B
6. C
7. D
8. B
9. D
10. D
11. A
12. A
13. B
14. C
15. A
16. A
17. D
18. D
19. B
20. B
21. C
22. B
23. A
24. A
25. A
26. D
27. B
28. B
29. A
30. A
31. D
32. C
33. C
34. C
35. D
36. B
37. B
38. D
39. C
40. B

IAS BABA

Kickstart your IAS/UPSC 2023 Journey with

Baba's Foundation Course (Baba's FC) - 2023

The Most Comprehensive CLASSROOM & MENTORSHIP Based Program for Fresher's

OFFLINE Classes begin at

Bengaluru

Admissions Open

ENROLL NOW

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888